षष्ठम् माला, खंड 3, अंक, 11 गुरुवार, 23 जून 1977/2 आषाढ़, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. III, No. 11, Thursday, June 23, 1977/Asadha 2, 1899 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 6th
# LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हों
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

521LSS/77

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, गुरुवार, 23 जून, 1977/2 आषाढ़, 1899 (शक)

*No.* 11, *Thursday, June* 23, 1977/*Asadha* 2, 1899 (*Saka*)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | Oral Answers to Questions | 1—14 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 169 और 171 | Starred Questions Nos. 166 to 169 and 171 | |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4 | Short Notice Question No. 4 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | Written Answers to Questions | 14—102 |
| तारांकित प्रश्न संख्या 164, 165, 170 और 172 से 183 | Starred Question Nos. 164, 165, 170 and 172 to 183 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 1485 से 1523, 1525 से 1551 और 1553 से 1642 | Unstarred Questions Nos. 1485 to 1523, 1525 to 1551 and 1553 to 1642 | |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table | 103—105 |
| समितियों के लिये निर्वाचन | Election to Committees | 105—107 |
| सामान्य बजट—1977-78 | General Budget, 1977-78 | 107—124 |
| सामान्य चर्चा | General Discussion | 107 |
| श्री शिव नारायण | Shri Sheo Narain | 107 |
| श्री कचरू लाल हेमराज जैन | Shri Kacharulal Hemraj Jain | 107—108 |
| श्री चाँद राम | Shri Chand Ram | 108—109 |
| श्री वी० अरुणाचलम | Shri V. Arunachalam | 109 |
| श्री ए० वी० पी० असाइथाम्बी | Shri A. V. P. Asaithambi | 110—111 |
| श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा | Shri Mritunjay Prasad Verma | 111—112 |
| श्री सोनु सिंह पाटिल | Shri Sonu Singh Patil | 112—113 |
| डा० विजय मंडल | Dr. Vijay Mondal | 113—114 |
| श्री के० टी० कोसलराम | Shri K. T. Kosalram | 114—115 |
| श्री बृज भूषण तिवारी | Shri Brij Bhushan Tiwari | 115—116 |
| श्रीमती कमला बहुगुणा | Shrimati Kamala Bahuguna | 116 |
| डा० रामजी सिंह | Dr. Ramji Singh | 117 |
| श्री ए० सुन्ना साहिब | Shri A. Sunna Sahib | 117—118 |


किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री भारत भूषण | Shri Bharat Bhushan | 118—119 |
| श्री आर० महानारंगम | Shri R. Mohanarangam | 119—120 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel | 120—124 |
| मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव | Payment of Wages (Amendment) Bill Motion to consider— | 125—131 |
| श्री रवीन्द्र वर्मा | Shri Ravindra Varma | 125 |
| श्री वयालार रवि | Shri Vayalar Ravi | 125—126 |
| श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर | Shrimati Ahilya P. Rangnekar | 126 |
| श्री के० राममूर्ति | Shri K. Ramamurthy | 126—127 |
| श्री हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai | 127 |
| श्री के० आर० राजन | Shri K. R. Rajan | 127—128 |
| श्री सोगत राय | Shri Saugata Roy | 128 |
| श्री युवराज | Shri Yuvraj | 128—129 |
| श्री हुकमदेव नारायण यादव | Shri Hukamdeo Narain Yadav | 129 |
| चौधरी बलबीर सिंह | Chowdhry Balbir Singh | 129—130 |
| खण्ड 2 और 1 | Clauses 2 and 1 | 131 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | 131 |
| श्री रवीन्द्र वर्मा | Shri Ravindra Verma | 131 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

गुरुवार, 23 जून, 1977/2 आषाढ़ 1899 (शक)

*Thursday, June 23, 1977/Asadha 2, 1899 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

REINSTATEMENT OF EMPLOYEES IN MINISTRY OF LABOUR

*166. SHRI SATYA DEO SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry suspended and compulsorily retired, separately, during the emergency;

(b) the number of those out of such suspended employees who have been reinstated by Government; and

(c) the number of those who have not been reinstated and the reasons therefor ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) से (ग) आपातकाल के दौरान इस मन्त्रालय (मुख्य सचिवालय) का कोई भी कर्मचारी मुअत्तल या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया गया। संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

**श्री सत्य देव सिंह :** मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना।

**श्री एल० के० डोले** : इस प्रश्न में आपातकालीन शब्द का प्रयोग हुआ है और माननीय सदस्य उसी के प्रति पूछना चाहते हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या आपात स्थिति से ही जनता पार्टी का जन्म हुआ है ?

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य की उत्तर जानने की इच्छा हो तो वह अपनी अन्तरआत्मा से पूछें सभा में नहीं।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र**

*167. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में एक इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को छोड़ देने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्तावित संयंत्र का कार्य प्रारम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने अप्रैल, 1975 में मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा था। यह प्रतिवेदन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत किया जाना है। भूमि अर्जन के अलावा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था के लिये आरम्भिक उपाय कर लिए गए हैं।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : मुझे खुशी हुई कि मंत्री जी पहले भाग का उत्तर 'नहीं' में दिया है। इसका अर्थ है कि सरकार परियोजना को आगे बढ़ायेगी। प्रयोजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब हो चुका है। बल्कि 2 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। सरकार को जैसे ही रिपोर्ट मिले कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के लोगों को आश्वस्त भी किया जाये कि प्रायोजना पर कार्य जरूर होगा।

**श्री बीजू पटनायक** : प्रायोजना की रिपोर्ट इस वर्ष के सितम्बर तक एस० ए० आई० एल० को मिल जाने की आशा है। उनके द्वारा विचार होने पर मंत्रालय और सरकार उस पर विचार करेगी। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग विचार कर आवश्यक निधि का आवटन करेंगे। सभा के सामने सभी कुछ आयेगा। मैं आपको बता दूं कि यथाशीघ्र सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : उत्तर से लगता है कि मंत्री जी इस विषय में उतनी रुचि नहीं ले रहे जितनी उन्हें लेनी चाहिए। मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए और कोई राजनीतिक जटिलता पैदा नहीं करनी चाहिए। उस राज्य में कांग्रेसी मंत्रिमंडल है और विलम्ब होने से कई कठिनाइयां आ सकती हैं।

**श्री बीजू पटनायक** : मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो चीज पहले ही राजनीति से बाहर है उसमें राजनीति लाने का मेरा कोई इरादा नहीं।

**श्री के० सूर्यनारायण** : हमने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है। हालांकि पानी, भूमि के अर्जन आदि की सभी सुविधाएं दी गई हैं फिर भी लगता है कि दस्तूर एण्ड कं० सर्वेक्षण करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि 1971 में उसकी नींव रखते समय क्या इन

जटिलताओं की जांच नहीं की गई थी। वहां भूमि और पानी की समस्या है और उस विशेष स्थान पर प्रायोजना की सम्भव्यता में भी सन्देह है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार निकट के पारादीप पत्तन पर जापानी सहायता से एक और प्रायोजना चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हां उसका ब्यौरा क्या है जिससे आन्ध्र के लोग, सरकार और सारा देश सन्तुष्ट हो सके।

**श्री बीजू पटनायक** : जब सदस्य महोदय सत्ताधारी दल में थे तो तत्कालीन इस्पात मंत्री जी ने इस सम्माननीय सभा के पटल पर रखे श्वेत पत्र में 7 करोड़ 50 लाख टन इस्पात की प्रायोजना रखी थी।

मुझे आशा है कि वहां तट आधारित तीन और संयंत्र लगा दिये जाएंगे। ये स्थान हैं विशाख, मंगलौर और पारादीप और एक संयंत्र कर्नाटक में विजय नगर में लगाया जायेगा इसके साथ ही भिलाई, बोकारो और राउरकेला का सामान्य विस्तार भी होगा। यदि मैं ऐसा कर सका तो 1 करोड़ टन का उत्पादन बढ़ जायेगा।

SH. TEJ PRATAP SINGH : May I know why so much money is being invested in this project when already the manufactured steel has no market ?

**श्री बीजू पटनायक** : इस बारे में मुख्य प्रश्न नहीं है।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : महोदय, यह प्रायोजना उस समय बनी थी जब आप मुख्य मंत्री थे। चूंकि मंत्री जी देश के लिए प्रायोजनाएं बनाते हैं न कि केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए और चूंकि विशेषज्ञों की राय में यह कारखाने के लिए सर्वोत्तम स्थान है और चूंकि मंत्री जी कोई पक्की बात नहीं बता रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विशाख में प्रायोजना पूरी भी की जायेगी ?

**श्री बीजू पटनायक** : मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने पड़ौसी राज्य की प्रतिष्ठा कम नहीं करूंगा।

**श्री बी० राचैया** : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जिन प्रायोजनाओं का उल्लेख किया है विशेषकर विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में क्या राशियां आवंटित की गई हैं।

**श्री बीजू पटनायक** : : मैंने कहा है कि विजयनगर इस्पात संयंत्र की डी० पी० आर० मिल चुकी है और सम्पूर्ण विजयनगर प्रायोजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

**श्री के० लकप्पा** : श्री पटनायक के मंत्री बनने के बाद उड़ीसा के लोग दूसरे इस्पात संयंत्र की मांग कर रहे हैं। उसके लिए आन्दोलन हुआ और आप पर जोर डाल रहे हैं और आप को मजबूर कर रहे हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या आप आन्ध्र प्रदेश से इस्पात संयंत्र लेकर उड़ीसा को देंगे जिससे आपसी मतभेद हो जायें ? इससे कर्नाटक में भी मत भेद होगा। इसलिए मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

**श्री बीजू पटनायक :** उन प्रायोजनाओं को उठाने के लिए मुझे हनुमान का भक्त बनना पड़ेगा। इन इस्पात संयंत्रों को जो अभी है ही नहीं उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं । हर एक इस्पात संयंत्र पर हजारों करोड़ रुपये लगते हैं। जैसे ही हमारे पास पर्याप्त साधन हो जायेंगे तो अन्य सयंत्रों के साथ इन्हें भी आरम्भ किया जायेगा।

## ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता

*168. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट करने के लिए कि किन व्यक्तियों को ब्रिटेन में प्रवेश करने का अधिकार है तथा किन को नहीं, ब्रिटिश नागरिकता की दो श्रेणियां बनाने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस दोहरी नागरिकता के कारण भारतीयों के ब्रिटेन में प्रवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी ):** (क) यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रिकता के बारे में एक 'हरित पत्र' 27 अप्रैल 1977 को प्रकाशित किया था। इस दस्तावेज़ में जिस प्रमुख सुझाव को प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि यूनाइटेड किंगडम और उपनिवेशों की वर्तमान नागरिकता की जगह दो अलग-अलग नागरिकताएं होनी चाहिए—एक ब्रिटिश नागरिकता, उन लोगों के लिए जिनके यूनाइटेड किंगडम से निकट संबंध हैं और बाकी के लिए ब्रिटिश विदेशी (ओवरसीज) नागरिकता । सिर्फ पहले वर्ग के लोगों को ही यूनाइटेड किंगडम में मुक्त प्रवेश का अबाधित अधिकार होगा।

(ख) ब्रिटेन के गृह मंत्री के शब्दों में "राष्ट्रिकता संबंधी उनका वर्तमान कानून बहुत पुराना पड़ गया है और उसका पालन करना मुश्किल हो गया है ।" उक्त 'हरित पत्र' के अनुसार इसकी सबसे गम्भीर कमी तो यह है कि इसमें इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश का अधिकार किस को है।

(ग) ब्रिटिश गृह मंत्री ने 27 अप्रैल 1977 को 'हाउस आफ कामन्स' में कहा था कि "उक्त दस्तावेज में जिन परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है उससे यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने के किसी के वर्तमान अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा ।" 'हरित पत्र' प्रकाशित करने का उद्देश्य वर्तमान प्रथा में संभावित परिवर्तनों पर टिप्पणी आमंत्रित करना है इस दस्तावेज़ को प्रकाशित करने का अर्थ अनिवार्य तौर पर यह नहीं कि यूनाइटेड किंगडम में दुहरी नागरिकता शुरू करने से संबद्ध कानून जल्दी ही बनेगा। इस बात की संभावना नहीं ह कि आगामी दो-तीन वर्ष में इस प्रकार का कानून बन पायेगा । सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीयों के अधिकार, खासकर उनके अपने और अपने आश्रितों के यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश के अधिकार सुरक्षित रहें।

**श्री डी० बी० चन्द्र गौड :** अध्यक्ष महोदय, क्या हरित पत्र को परिचालित करने का उदेश्य रंग-भेद पर आधारित नागरिकता को दो श्रेणियों बनाना है। यदि हां, तो विदेश मंत्री जी ने विशेष रूप से एशिया मूल के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं? दूसरे क्या ब्रिटिश सरकार ने अप्रावासन नीति को इस प्रकार बदलने जा रही है जिससे श्वेत लोग वहां अधिक जाएं? क्या सरकार एशिया मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय करेगी?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि हरित पत्र में दिए गए सुझाव स्वीकार कर लिए जाते हैं और कानून बन जाते हैं तो भारत में रहने वाले आबाधित पारपत्रधारी भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में अपने प्रवास की अवधि के आधार पर ब्रिटिश नागरिक बन जायेंगे। लेकिन ब्रिटेन में रह रहे उन भारतीय नागरिकों के बारे में जो ब्रिटिश नागरिकता की शर्तें पूरी नहीं करते या भारतीय नागरिकता रखना चाहते हैं यह हरित पत्र अस्पष्ट है। लन्दन में अपनी यात्रा के दौरान मैंने ब्रिटिश अधिकारियों से बात की थी और सरकार घटनाओं पर बराबर नजर रखे हुए है ताकि ब्रिटिश गृह सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे किए जाएं।

**श्री डी० बी० चन्द्र गौड :** मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** वह इसका विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकते। यह बहुत नाजुक प्रश्न है और वह हां या न नहीं कर सकते।

**श्री डी० बी० चन्द्र गौड :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि 'हरित पत्र' रंगभेद के आधार पर नागरिकों की दो श्रेणियां तैयार कर रहा है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मुझे हरित पत्र प्रकाशित होने का पता है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं कि रंग भेद के आधार पर नागरिकों की दो श्रेणियां तैयार की जा रही हैं।

**श्री डी० बी० चन्द्र गौड :** क्या दुहरी नागरिकता या आप्रवास नीति का विषय हाल में हुए राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में उठाया गया था या दोनों प्रधान मंत्रियों की आपसी चर्चा के दौरान इस विषय को सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर उठाया गया था। यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला। मैं यह सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा नहीं की जाती। लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से मिले थे तो इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। जब ब्रिटेन से एक संसदीय शिष्टमंडल दिल्ली आया था और मुझे तथा विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से मिला था तो इस प्रश्न पर फिर चर्चा हुई थी। शिष्टमंडल ने हमें आश्वासन दिया कि भारतीय पारपत्रधारी भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में प्रवेश सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं होगी और न ही उनके आश्रितों को कोई कष्ट होगा।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** ऐसा लगता है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने पत्र भी अच्छी तरह देखा है। क्या सरकार हरित पत्र पर हरित पत्र जारी करेगी ताकि हमें ठीक स्थिति का ज्ञान हो सके।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैं नहीं समझता कि भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिपत्र निकालने का समय आ गया है ।

SH. JAGDAMBI PRASAD YADAV : May I know from the Hon'ble Minister as to how far this Green Paper will affect the persons of Indian origin holding Indian passports and who have become British Citizens ? The doctors & engineers who have gone there, are treated very badly. Such reports have been published in the Indian Newspapers also. What is the reaction of the Government thereto ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, There are two types of Indians in Britain. One category consists of those who have gone there mainly from East African countries and they hold British passports. The second category holds Indian passports. It appears from the Green Paper that the British Government wants to lay down a new policy of citizenship for those living in Singapore, Malayasia and other colonies.

There are no indications to conclude that, that policy will directly hit the Indians.

With regard to other part of the question, we have been receiving complaints of discrimination from Indians residing in Britain and it is our endeavour to remove these complaints and to ensure that Indians are treated at par.

**प्रो० पी० जी० माबलंकर :** स्वतन्त्र अफ्रीकी राज्यों में रहने वाले भारतीयों की परेशानियों तथा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं के बारे विदेश मंत्री ने विशिष्ट रूप से उत्तर दिया है । अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्थाई रूप से वहां नहीं रहते तथा इधर उधर आते जाते रहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को 'ग्रीन पेपर' के अन्तर्गत उठाये गए प्रश्नों का उत्तर निमंत्रण दिया गया है या वह स्वत: ही उसके बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट करने जा रहे हैं । दूसरे उन्होंने बताया कि वहां रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश मंत्री तथा भारत सरकार ने अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि 'ग्रीन पेपर' में इस प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं हैं जिनके आधार पर अन्तत: उन भारतीयों नागरिकों को कोई परेशानी उठानी पड़े जोकि इंगलैण्ड के नागरिक बन कर वहां रहना चाहते हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** ब्रिटेन तथा विदेशों में रहने वाले लोगों के विचारों को आमंत्रित करने के लिए 'ग्रीन पेपर' का प्रकाशन किया गया है । भारत सरकार के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं तथा हमारा इरादा उन्हें अपने विचार देने का भी है तथा हमने उन्हें इसके बारे में अपनी पारम्भिक प्रतिक्रिया से अवगत भी करवा दिया है ....

**प्रो० पी० जी० मावलंकर :** मंत्री महोदय ने बताया कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि 'ग्रीन पेपर' के अनुसार किसी के बारे में रंगभेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता । परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां इस बात के बारे में भी संतुष्ट हैं कि प्रस्तुत 'ग्रीन पेपर' में कोई त्रुटियां नहीं हैं तथा क्या इसमें कोई ऐसी दो श्रेणियां नहीं हैं जिनमें एक के आधार पर श्वेत रंग वालों के साथ अलग व्यवहार किया जाये तथा अन्य रंग वाले लोगों के साथ अन्यायपूर्ण तथा परेशानी पैदा करने वाला व्यवहार किया जाये ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत सरकार इस के बारे में सचेत है । 'ग्रीन पेपर' में कोई त्रुटियाँ नहीं हैं । परन्तु जब वह स्थिति आयेगी तो निश्चय ही हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मूल के लोगों या भारतीय पासपोर्ट वाले लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सके ।

**श्री एफ० एच० मोहसिन :** मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार 'ग्रीन पेपर' के बारे में पहले ही अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुकी है । क्या मंत्री महोदय उसे सभा पटल पर रखेंगे ? **(व्यवधान)**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : नहीं, इस समय नहीं ।

**श्री एस० कुण्डू :** मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह बता दिया 'ग्रीन पेपर' में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दर्शाया गया है । इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इंगलैण्ड जाने वाले नागरिक को पुनः वही सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जैसे कि कोई भी साधारण नागरिक 3 महीने बिना वीज़ा के लिए इंगलैण्ड जा सके । यदि उसके पास मंजूरी या वीज़ा न हो तो उसे हवाई अड्डे पर ही रोका न जा सके । क्या इन विषयों के बारे में भी 'होम सैक्रटरी' के साथ उनकी बातचीत हुई थी ? यदि हां, तो कृपया वह हमें यह बतायें कि क्या बातचीत हुई थी ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैंने उनके साथ अनेक विषयों के बारे में बातचीत की थी। मैंने उनके साथ ब्रिटेन के मौसम तथा भारत में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना के बारे में भी बातचीत की थी। परन्तु इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी ।

**अध्यक्ष महोदय :** कल हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर विचार करने वाले है । आप उसके बारे में कल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ।

## नसबंदी के लिए प्रोत्साहन

*169. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नसबंदी के लिए अब तक दिए जा रहे प्रोत्साहनों को समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन देने का है ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No Sir.

(b) It has been decided that with effect from 1st July, 1977 every acceptor of sterilisation will be given Rs. 70- as cash compensation irrespective of his number of children. According to present orders an acceptor of sterilisation operation gets Rs. 100/- if he has two living children .... *(interruptions)*.

**श्री के० गोपाल :** परम्परा यह है कि जब प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिया जाता है ..... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में उत्तर दिया जा सकता है । आपको साथ-साथ अनुवाद सुन सकने की सुविधा उपलब्ध है आप उसका उपयोग तो करते नहीं और खड़े होकर यह कहना आरम्भ कर देते हैं कि यह कठिन है। कल यह श्री रामचन्द्रन से कहेंगे कि आप हिन्दी में उत्तर दीजिए । तब क्या होगा? आप को साथ-साथ अनुवाद सुनाने वाली सुविधा का उपयोग करना चाहिए । **(व्यवधान)**

अब इसके बारे में और चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

**श्री पी० राजगोपाल नायडू :** मैंने उसका प्रयोग करने का प्रयत्न किया था परन्तु उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने उसे अपने कानों पर लगाया ही नहीं तथा वास्तव में मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा था आप अपने पूरक प्रश्न कैसे करेंगे?

**श्री आर० मोहनरंगम :** यदि मंत्री महोदय अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं तो वह बता दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय पर और चर्चा नहीं होगी । यह बहुत ही खतरनाक विषय है। आप इस प्रश्न को मत उठाइए । ..... **(व्यवधान)**

**श्री के० गोपाल :** तो फिर क्या भला हम प्रादेशिक भाषाओं में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं परन्तु आपको कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा ..... **(व्यवधान)** मैं इस विषय पर किसी को भी कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

**डा० हेनरी आस्टिन :** हमें प्रादेशिक भाषाओं में प्रश्न पूछने की अनुमति होनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बैठ जाइए । मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं । यह बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है । तीन वर्ष पूर्व भी हमारे समक्ष ऐसी ही कठिनाई आई थी। हमारे पास कुछ भाषाओं के अनुवाद की सुविधा तो उपलब्ध है परन्तु देश की सभी 14 या 15 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है। इस मामले को उठा कर आप संसद में प्रादेशिकवाद लाने का प्रयास कर रहे हैं । अन्य भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था अभी की जानी है ..... **(व्यवधान)**

कुछ भी रिकार्ड पर नहीं लिया जा रहा है। आप लोग जो कुछ भी कहते रहिये। मुझे उनका कोई उत्तर नहीं देना है । **(व्यवधान)**

**श्री कल्याण सुन्दरम :** यह बहुत विचित्र बात है कि जब मैं कुछ कहने के लिए खड़ा होता हूं आप भी खड़े हो जाते हैं । .....**(व्यवधान)**

मंत्री महोदय अंग्रेजी में उत्तर तो दे सकते हैं परन्तु मान लो कोई व्यक्ति अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी अधिक अच्छी तरह बोल सकता है ..... (**व्यवधान**)

आप कृपया बैठ जाईये। मैं आपका नाम तो नहीं जानता परन्तु आप ने इस चर्चा में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है हो सकता है कि वह उसे अच्छी प्रकार नहीं बोल पाये हों। मैं भी अंग्रेजी कम जानता हूं लेकिन मैं अपनी मातृ भाषा खूब अच्छी तरह बोल सकता हूं। जब अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है तो आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं। तमिल, तेलुगु या मलयालम में भाषण की सुविधा यहां नहीं है। (**व्यवधान**)
आप अंग्रेजी के विरुद्ध भी नहीं है। उदाहरण के लिए आपने श्री बाजपेयी से अंग्रेजी में बोलने को कहा तो वह अंग्रेजी में बोले। यदि दूसरी तरफ श्री रामचन्द्रन से हिन्दी में बोलने को कहें तो क्या वह बोल पायेंगे। आप भाषा का प्रश्न बीच में मत लाइये। यह भारतीय संसद है, राज्य विधान मंडल नहीं। यदि कोई कठिनाई है तो दलों के नेता मेरे चैम्बर में बैठ कर मामले पर विचार कर सकते हैं। वहां प्रधान मंत्री और विरोधी पक्ष के नेता भी होंगे। यहां आप सभा में इस तरह का तमाशा दिखा कर क्या समाधान कर पायेंगे? यह भारत के लिए अच्छा नहीं।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दूं। मैंने अंग्रेजी में उत्तर जरूर दिया है। पर यदि अंग्रेजी में सभी प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे तो .....
(**व्यवधान**)

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : धन्यवाद, जब हमारे पास अनुवाद की सुविधा है तो सभा में भाषा का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : तभी मैंने कहा था कि उनके नेताओं के साथ हमारी बात होनी चाहिए।

**श्री यशवंत राव चह्वाण** : हमारे दल का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि किसी को भी यह आग्रह नहीं करना चाहिये कि किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाये। सदस्य जिस भाषा को अच्छी तरह बोल सकते हैं उन्हें उसी का प्रयोग करना चाहिये। इसीलिए हमने साथ-साथ अनुवाद किए जाने का प्रबन्ध किया है। यह राष्ट्रीय हित में भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदस्य इस स्थिति को स्वीकार करें।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : कुछ मंत्री ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने विदेशी भाषा न बोलने की शपथ ली हो। शायद वह भी उनमें से हों। ऐसा नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी न आती हो। उनके अपने सिद्धान्त हो सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : सहायता के लिए आपका धन्यवाद।

SHRI RAJ NARAIN : I am again reading my question for the convenience of those Members who did not hear it earlier. The question raised is not an ordinary one. It will reverberate in the whole country.

(a) No, Sir.

(b) Yes.

You know I am very touchy on the language issue.*

**श्री जे० रामेश्वर राव :** बड़ी विनम्रता से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का वक्तव्य अनुचित और गलत है। मुझे बड़ी झिझक से कहना पड़ता है कि यह अपमानजनक वक्तव्य है। राजनारायण जी ने कहा है कि *मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हें सभा के कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे यह लगा कि उन्होंने कहा है "मेरे पिता जी को अंग्रेजी नहीं आती थी मेरी माता जी को अंग्रेजी नहीं आती थी मैं रिकार्ड में देखूंगा।

SHRI RAJ NARAIN : May I know the fate of Question No. 169. (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** यहां सभा के नेता भी बैठे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं रिकार्ड में से पता लगाऊंगा कि कौन-सी व्याख्या ठीक है, जो मैंने कही या जिसका उल्लेख आप ने किया। यह विवाद अब समाप्त समझा जाये।

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई ) :** महोदय मैं समझता हूं कि मेरे सहयोगी ने प्रश्न का उत्तर हिन्दी में देते हुए कोई टिप्पणी कर दी है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने किसी का अपमान करने के लिए ऐसा कहा है। वह केवल अपनी बात पर जोर देना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। मैं उनकी ओर से खेद प्रकट करता हूं। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा कहा है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** जब सभा के नेता ने खेद प्रकट कर दिया है तो आप उसे पुनः क्यों उठा रहे हैं? फिर खेद प्रकट करने का लाभ ही क्या है?

SHRI RAJ NARAIN : It has been decided to dispense with the practice of paying compensation at different rates on the basis of number of children from the 1st July, 1977. Now the compensation will be paid at the flat rate. According to present orders if a man with two living children undergoes sterilization, he is paid Rs. 100- a man with three living children gets Rs. 50/- and if there are more than three living children he is paid Rs. 25/- from the 1st July, 1977 every person undergoing sterilization will be paid Rs. 70/- in cash. The States, Government/Union territories will continue to get Central assistance for medicines, food etc.

The family planning programme is carried on by the States/Union territories with Central assistance and different educative and persuasive methods are adopted to make it popular. In addition to that the people are given some incentives to have small families by utilizing family planning services.

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दी गई।

*Expunged as ordered by the Chair.

Sterilization is resorted to for permanent family control. A man/woman undergoing sterilization has to remain in hospital/health centre for some time. The females are required to be admitted in the hospital and relief for some days after the operation is also necessary. The man, who undergoes sterilization will have to take leave from his work for some days and he is put to financial loss also on account of non-payment of daily wages etc. Moreover some expenditure has to be incurred on medicines, dressing and food etc. Besides some incentive is necessary for doctors also. That is why the Government of India gives cash amount as central assistance to State Governments/Union territories to meet these expenses.

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** ये सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूं ?

**एक माननीय सदस्य :** मेरा क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न पूछना आप का हक है लेकिन अब हमें अगले प्रश्न की ओर जाना चाहिए।

## भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक दूसरे के देश में यात्रा

*171. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनका विचार 1977 के दौरान चीन की यात्रा करने का है तथा क्या चीन के विदेश मंत्री भी इसी वर्ष भारत की यात्रा पर आयेंगे ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : There is no such proposal at present.

**प्रो० पी० जी० मागवलंकर :** मेरे विचार में 'इस समय' शब्द पर जोर दिया गया है। अतः आगामी महीनों अथवा वर्षों के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है। निश्चय ही सरकार इस पर विचार करेगी। इस बारे में अपना अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार रखूंगा। क्या गत दो अथवा तीन वर्षों, विशेषकर दोनों देशों में पूरे स्तर के दूतावास स्थापित होने के बाद भारत तथा चीन के बीच सम्बन्ध बढ़ते आए हैं, यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में किस प्रकार के सुधार हुए हैं।

श्री **अटल बिहारी वाजपेयी :** प्रश्न के पहले भाग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। भविष्य में बहुत सी बातें हो सकती हैं। दूतावासों के स्थापित होने के बाद भारत ने चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध जोड़ने के बारे में पहल की है। अभी तक भारतीय जहाजों को चीन की बन्दरगाहों पर खड़े रहने की अनुमति नहीं थी अब उन्हें अनुमति मिल गई है। गैर सरकारी लोगों का आना जाना रहा है। कुछ पत्रकार तथा सूचिवेधज चिकित्सक अभी हाल में चीन गये हैं।

**एक माननीय सदस्य :** अब आप जा रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** मैं नहीं जा रहा। हम सम्बध सुधारने के लिये पहल कर रहे हैं। लेकिन मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि सम्बन्ध सुधार एकतरफा मार्ग नहीं, दूसरी ओर से भी कुछ होना चाहिये।

**प्रो० पी० जी० मावलंकर** : मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं । मुझे खुशी है कि हमने इस बारे पहल की है । हमारी ओर से पहल हो गई है और कुछ प्रतिनिधिमंडल भी जा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि वे इस बात को जानते हैं कि चेयरमैन हुआ विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि मंडलों से मिलते हैं । उदाहरणतः हाल में पैकिंग में सूडान, मैक्सिको, कोगों, वियतनाम आदि आदि के प्रतिनिधिमंडल भी थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या पत्रकारों, बुद्धिजीवियों के सांस्कृतिक या संसदीय प्रतिनिधिमंडल और अधिक संख्या में चीन भेजे जायेंगे ताकि मैत्री सम्बन्धों में और अधिक सुधार हो जाये ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है और इस पर पूर्णतः विचार किया जायेगा ।

## महाराष्ट्र मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मैडिकल कालेजों में सीटें बढ़वाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई पत्र दिया है ?

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् से इस संबंध में सरकार ने सिफारिश की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) महाराष्ट्र सरकार ने 1977-78 में अपने राज्य के मडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय को लिखा है ।

(ख) जी हां ।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The Maharashtra Government have approached the Ministry for an increase in the number of admissions in the medical colleges in the State in 1977-78.

(b) Yes.

SHRIMATI MRINAL GORE : This year students after qualifying 10+2 of new education system and Inter Science will be coming for admission in the Medical Colleges and their number has almost doubled. The Maharashtra Government demanded increase in the number of seats in these colleges with a view to accommodate these students. No decision has so far been taken to increase the seats even though results have been declared some ten days ago. I want to know the reason for delay.

SHRI RAJ NARAIN : Our Ministry agree with the views of hon. member about Indian Medical Council is creating some hurdles.....

AN HON. MEMBER : You have started speaking in English.

SHRI RAJ NARAIN : You are again raising language issue. I have clearly stated that I had determined not to speak and write English in India when I was a student of 7th Class. Hon members and old members are aware that I pleaded in Hindi for 3 days before the Supreme Court when Shri Hidayattula was Chief Justice. I know how to honour the Indian languages even if I am expelled from the House.

I was saying that an autonomous body called the Indian Medical Council has been entrusted with the function of recognising the degrees of medical esciences, prescribing the standard of medical sciences education, inspecting the medical colleges and furnish information connected therewith. Therefore increasing the seats in Medical colleges is the function of the Medical Council. We have written to the Council.....

SHRIMATI MRINAL GORE : On which date ?

SHRI RAJ NARAIN : The Chairman of the council has informed me that Executive meeting of the council to consider the question of raising seats in the medical colleges of Maharashtra has been freed for 27th June. A decision in this behalf will be taken in this meeting.

We made it amply clear to the chairman of the council some 3 days ago that no technical hurdles should be created in the matter of admission and raising seats in the colleges. He assured that they will try to raise the number of seats without lowering the standard but the final decision will be taken in this meeting.

SHRIMATI MRINAL GORE : According to the Newspapers that Indian Medical Council will try to increase the number of seats provided Maharashtra Government is prepared to bear the additional expenditure. There is a statement of Shri Shinde, Health Minister of Maharashtra in today's newspaper that Maharashtra Government is prepared to incur the expenditure of Rs. 3 crores. In 1973, Karnataka had also faced this problem and a decision to increase the seats for one year was taken. Similarly, admission problem will be solved in case seats in Medical Colleges in Maharashtra are increased in the two batches July and October. The Chairman of the Indian Medical Council should remove misunderstanding, if any, and help the students of Maharashtra.

SHRI RAJ NARAIN : The question does not relate to Maharashtra only but to other States also. Maharashtra Chief Minister, Health Minister and a deputation met me. Gujarat is also facing the same problem. Gujarat Chief Minister, Health Minister and a deputation from that State also met me. Shri Jaisukhlal Hathi, Governor of Haryana who belongs to Gujarat also gave me a ring. We are ready to accept the demand in case it is rejected by the Indian Medical Council if there is a provision under which Central Government can accept the demand of State Government by rejecting the recommendation of the Council. The State Government should manage to educate the children when it is prepared to bear the expenses. On our own part we are ready to do it.

**श्री ए० ई० टी० बैरो** (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैडिकल कालजों में दो ओर से दाखिल होने के लिए लड़के आ रहे हैं, एक ओर से इंटर साइंस, तथा दूसरी ओर से हायर सैकेन्डरी (12 वर्षीय कोर्स) के। दाखला किस प्रकार हो रहा है। क्या टेस्ट लेकर या परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दाखला हो रहा है ?

SHRI RAJ NARAIN : This is a question to which detailed reply is required. The Indian Medical Council will submit a report after examining the same.

DR. SUSHILA NAYAR (JHANSI) : I want to know whether finance is the only factor for increasin g the seats. Teachers are also required whose services cannot be procured overnight. Life and death of a particular man is in the hands of a Doctor and only an experienced Doctor can do justice. I want to know whether seats are being increased by lowering the standard of medical education and whether Government will accept the decision of Medical Council which has been set up by the Government for prescribing the standard of education and endanger the health of the people by increasing the seats and produce immature Doctors. Will he throw some light on these points ? Politicians are always under pressures. It is for this reason that this function was entrusted to the Medical Council.

SHRI RAJ NARAIN : The question raised by Dr. Sushila Nayar is one which has been raised by the Indian Medical Council also. My counter question to her is : whether Maharashtra Government is the enemy of her people and Gujarat Government want to lower the health of her people ? After all, State Governments are also responsible and are prepared to incur expenditure of Rs. 3 crores. We are not in favour of lowering the standard. We want to maintain the standard. In the meantime, I do not think that the Indian council of Medical Research will take a decision about the health of people in Maharashtra or Gujarat and think that life of the country as a whole rests with it. I am not prepared to agree to it.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## TELEPHONE FACILITIES TO MANDIS AND BLOCKS

†*164. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state whether any programme has been chalked out or is being chalked out to provide telephone facility to the mandis or blocks (Thanas) with a population of 10,000 peoples ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : Yes, Sir. It has been programmed to provide telephone facilities at all District Headquarters, Sub-Divisional Headquarters, Tehsil Headquarters, Sub-Tehsil Headquarters, Block Headquarters and other places with a population of over 10,000 by March, 1979 in a phased manner.

## अनबिके इस्पात का जमा होना

*165. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनबिके इस्पात के जमा होने से इस्पात के मूल्य में वृद्धि हो रही है ;

(ख) 31-3-77 को जमा हुए अनबिके इस्पात का मूल्य कितना था; और

(ग) अनबिके इस्पात को जमा होने से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) अनबिके इस्पात के जमा होने से इस्पात की लागत बढ़ जाती है, यद्यपि मूल्य बढ़ाया नहीं गया है।

(ख) 31 मार्च, 1977 को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने के पास लगभग 225 करोड़ रुपये का स्टाक पड़ा हुआ था।

(ग) चालू वर्ष के बजट में योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है। इससे विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा इस्पात के अपक्रय में वृद्धि होगी। निर्माण-उद्योग की गतिविधियों को तेज करने पर भी विचार किया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## एल्यूमीनियम की माँग

*170. **श्री पी० के० देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश म इस समय और निकट भविष्य में एल्यूमीनियम की अनुमानित मांग क्या है; और

(ख) क्या भारत में एल्यूमीना तथा एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में बहुत से देश रुचि रखते हैं ?

**इस्पात तथा खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) देश में 1977-78 के लिए एल्यूमीनियम की मांग 220 हजार टन होने का अनुमान है, जो 1981-82 तक बढ़ कर लगभग 325 हजार टन हो जाएगी।

(ख) भारत के पूर्वी तट पर विशाल बाक्साइट भण्डारों की खोज से इन भण्डारों की खुदाई आदि के सम्बन्ध में कई देशों ने भारत के साथ सहयोग की रुचि दिखाई है। एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर इन अयस्क पिंडों के बारे में व्यापक समन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## मारुति लिमिटेड द्वारा छटनी किये गये कर्मचारी

*172. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**<br>**श्री सोमनाथ चटर्जी** } क्या : **संसदीय कार्य** और **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मारुति लिमिटेड के कमचारियों की छंटनी की गई है अथवा उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।

(ख) यदि हां, तो मार्च से मई, 1977 के बीच छंटनी किए गए कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) उन कर्मचारियों की सेवा में बहाली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) और (ख) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या, जो मई, 1977 तक नौकरी छोड़कर चले गए या जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया 228 थी।

(ग) हरियाणा सरकार ने, जो इस प्रतिष्ठान के विवादों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए संगत सरकार है, हमें सूचित किया है कि चूंकि प्रबन्धक इन श्रमिकों को बहाल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन 37 श्रमिकों के मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक अधिकरण हरियाणा को न्याय-निर्णय के लिए भेज दिए गए हैं, जिन्होंने इस आशय के विशिष्ट अभ्यावेदन दिए थे कि प्रबन्धकों ने उन्हे त्यागपत्र देने पर विवश किया या उनकी सेवाएं अन्यायपूर्ण ढंग से समाप्त कीं।

**देहातों में "लेटर-बाक्स" लगाना**

*173. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक लाख देहातों में 'लेटर-बाक्स' लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे डाक विभाग के घाटे में वृद्धि होगी ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क) जी हां इसके ब्यौरे निकाले जा रहे हैं।

(ख) ये लेटर बाक्स लगाने तथा इनसे डाक की निकासी करने में कुछ खर्च अवश्य बढ़ेगा। अतिरिक्त खर्च की जानकारी यथा समय मिल सकेगी। चूंकि डाक सेवाएं पहले से ही घाटे पर चल रही हैं इसलिए इस कार्यक्रम से घाटे की राशि कुछ अवश्य ही बढ़ेगी।

**श्री श्रीप्रकाश और डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' के सम्मान में डाक टिकटें जारी करना**

*174. **डा० रामजी सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय श्री श्रीप्रकाश और भारत के प्रसिद्ध कवि पद्म भूषण से सम्मानित डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' के सम्मान में विशेष डाक टिकटें जारी करने का है; और

(ख) क्या उनको जनता से एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें उनसे 'दिनकर' के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकालने का अनुरोध किया गया है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क) और (ख): डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री श्रीप्रकाश के सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**तालाबन्दी और छंटनी रोकने के लिए कार्यवाही**

*175. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन** } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत दो या तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कथित तालाबन्दियों और छंटनी की ओर दिलाया गया है, जिससे हजारों कर्मचारी बेरोज़गार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, समझौता करवाने की दृष्टि से सरकार विवादों में हस्तक्षेप करती है। सरकार का औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए वह शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय समिति गठित कर रही है, जिसने दो महीनों की अवधि में अपनी रिपोर्ट देनी है। समिति की रिपोर्ट से सरकार को इस विषय पर आवश्यक विधान लाने में सहायता मिलेगी।

## ग्रेफाइट का खनन

*176. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर बड़े पैमाने पर ग्रैफाइट का खनन किया जाता है ;

(ख) क्या तमिलनाडु के रामनाड जिले के शिवगंगा में ग्रैफाइट का खनन क्षेत्र की खनिज क्षमता के अनुपात में पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) देश के ग्रेफाइट का मुख्य खनन केन्द्र उड़ीसा के बोलनगीर जिले में है। उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ग्रेफाइट का खनन हो रहा है।

(ख) और (ग) रामनाड जिले की शिवगंगा क्षेत्र में इस समय ग्रैफाइट का खनन नहीं हो रहा है। परन्तु उक्त क्षेत्र की ग्रैफाइट क्षमता मध्यम आकार के ग्रेफाइट परिष्करण और क्रूसीबल संयंत्र के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। तमिलनाडु सरकार इन ग्रेफाइट भंडारों के, दोहन के प्रश्न पर विचार कर रही है।

## लेडी हार्डिग और कलावती सरन अस्पतालों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

*177. **श्री गंगाधर अप्पा बूराडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लेडी हार्डिंग और कलावती सरन अस्पतालों के कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों को परेशान किए जाने के बारे में एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(ग) क्या उपरोक्त अस्पतालों के बर्खास्त तथा मुअत्तिल अधिकारियों को काम पर वापिस ले लिया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) 5 मार्च, तथा 18 अप्रैल 1977 के ज्ञापन प्राप्त हुए जिसमें लेडी हार्डिंग तथा कलावती सरन अस्पतालों में कार्य कर रहे विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप लगाए गए थे।

(ख) ज्ञापन में दिए 12 कर्मचारियों के निकालने की कार्यवाही जांच अधिकारियों के निष्कर्षों के आधार पर की गई थी किन्तु इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा कि इसमें से कोई मामला इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों से तो संबंध नहीं रखता, अगर ऐसा हुआ तो अवश्य ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जो व्यक्ति निलम्बित थे उनको फिर से जांच के दौरान ही कार्य पर वापस ले लिया गया है।

(ग) निकाले गए इन कर्मचारियों को वापिस नहीं लिया गया। तथापि 9 कर्मचारियों के सस्पैंशन आर्डर वापस ले लिये गए हैं।

## विकसित राष्ट्रों की लन्दन में बैठक

*178. **श्रीमती मृणाल गोरे**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सात विकसित राष्ट्रों की हाल ही में लन्दन में हुई बैठक की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इस बैठक में एक नई आर्थिक व्यवस्था के लिए विकासशील देशों की मांग को सर्वथा नामंजूर कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विकासशील देशों के बारे में एक नई आर्थिक व्यवस्था के लिए जोर देने के उद्देश्य से अन्य विकासशील देशों के साथ सलाह कर के क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : (क) जी हां।

(ख) 'सर्वथा नामंजूर कहना' कुछ कठोर होगा, हालांकि मैं यह मानने के लिए तत्पर हूं कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में प्रगति इतनी मंद हुई है कि उसे देखकर निराशा और तकलीफ होती है। लंदन के शिखर सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया था कि "अगर विकासशील देश अपने विकास के फल को परस्पर बांटें तभी विश्व की अर्थ-व्यवस्था एक सुदृढ़ और न्यायोचित आधार पर विकसित हो सकती है।" इस सम्मेलन की विज्ञप्ति में यह भी कहा गया था कि "विकसित और विकास शील देशों का हित एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है।" अन्योन्याश्रय के सिद्धांत को तो स्वीकार किया गया, जो कि नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को बुनियादी तौर पर नए सिरे से स्थापित करने का, जो कि इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना के लिए अनिवार्य है, बड़ा भारी विरोध है।

(ग) उम्मीद है कि इस वर्ष सितम्बर में 77 देशों के समूह की बैठक होगी जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थापना की दिशा में विकासशील देश जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए वे और क्या कदम उठा सकते हैं।

MOBILE DISPENSARIES FOR JHUGGI-JHONPRI DWELLERS

*179. SHRI ISHWAR CHOUDHARY :
SHRI G. Y. KRISHNAN } : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Central Government propose to introduce mobile dispensaries for providing medical facilities to the jhuggi-jhonpri dwellers of big cities; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) & (b) The feasibility of mobile dispensaries for providing medical facilities to jhuggi-jhonpari dwellers in big cities would be studied from technical and financial angle and if found more advantageous than static dispensaries, would be recommended to State Governments and municipal authorities for favourable consideration.

**बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ विवादों का हल किया जाना**

*180, **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ौसी देशों के साथ सभी विवादों को हल कर लिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ कुछ विशेष विवादों का हल अभी तक नहीं हुआ; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के साथ शेष विवादों को हल करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) और (ख) श्रीलंका के साथ सभी मतभेद परस्पर संतोषजनक ढंग से निबट गए हैं। बर्मा और पाकिस्तान के साथ अभी कुछ मसले बकाया हैं जिन्हें निबटाया जाना है।

(ग) बर्मा के साथ अपने मतभेदों को जहां तक संभव हो सके निबटाने के लिए बातचीत की जा रही है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया, जिसके अधीन ऐसे बहुत-से संपर्क पुनः स्थापित हो गए हैं जो विगत में तोड़ दिए गए थे, यथाशीघ्र पुनः चालू होनी चाहिए।

**नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक द्वारा यूनियन के नेताओं को बर्खास्त किया जाना**

*181 **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक एम्प्लाइज यूनियन के नेताओं ने उक्त बैंक के प्रबन्धकों द्वारा आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों का निराकरण करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने अवैध रूप से बर्खास्त करके यूनियन के नेताओं को परेशान किया; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींन्द्र वर्मा)** । (क) जी हां।

(ख) नेशनल और ग्रिंडलेज बैंक कर्मचारी यूनियन के सहायक सचिवों, सर्वश्री एस० एम० राने और एम० बी० फर्नान्डीज को घोर कदाचार के कथित आरोपों के लिए 6 अगस्त, 1976 से बैंक की सेवा से बरखास्त कर दिया गया। पता चला है कि प्रबन्धकों की कार्रवाई केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता द्वारा अनुमोदित की गई है। यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(2) (ख) के परन्तुक के अधीन उक्त अधिकरण को भेजा गया था।

(ग) यूनियन को सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय के समक्ष यथारीति औद्योगिक विवाद उठाने की सलाह दी गई है।

**डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारी**

*182 **श्री दिनेश जोरदर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि डाक-तार विभाग में कार्यरत विभागेतर कर्मचारी 'सिविल सर्वेण्ट' हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या डाक-तार विभाग विभागेतर कर्मचारियों को सभी उद्देश्यों से नियमित कर्मचारियों के समान मानने के लिए कदम उठा रहा है।

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिज)** (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 22-4-1977 के फैसले में यह कहा है कि विभागेत्तर एजेंट राज्य के अधीन एक पद-धारण करता है, यद्यपि यह पद नियमित सिविल सेवाओं की परिधि के बाहर है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न की जांच की जा रही है।

**टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार**

*183 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना पर अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह योजना संयुक्त क्षेत्र की परियोजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग**

1485. **श्री प्रद्युमन बाल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों की संख्या क्या है जिनमें श्रमिक सक्रिय रूप से प्रबन्ध में भागीदार हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मई, 1977 के अन्त तक सरकारी और निजी क्षेत्र के 2,013 एककों ने योजना को कार्यान्वित किया है या कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है या इसको कार्यान्वित करने की वैकल्पिक व्यवस्था की है।

**ग्रामीण भारत के लिये पैदल चलकर सेवा करने वाले डाक्टरों को प्रशिक्षण**

1486. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भारत में सेवा करने के लिये पैदल चलकर गांव-गांव जाने वाले डाक्टरों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) और (ख) देश में ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्हें स्वास्थ्य विज्ञानों की बुनियादी बातें, सफाई, आम संक्रामक रोगों का उपचार, प्राथमिक चिकित्सा आदि के बारे में तीन महीने का प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने की यौगिक क्रियाओं तथा परम्परागत पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए इस विषय पर विभिन्न मानचित्र और नक्शे खासकर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के अधीन प्रत्येक गाँव समुदाय के लिए दाइयों को एक महीने का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है।

APPRENTICES IN INDUSTRIES IN MADHYA PRADESH

1487. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the number of existing apprentices in various industries in Madhya Pradesh as well as the number of those candidates among these apprentices who belong to Harijan community, tribes, minority communities and backward classes respectively ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : The number of apprentices undergoing apprenticeship training under the Apprentices Act, 1961, in the various industrial establishments in Madhya Pradesh is indicated below category-wise :

| | |
|---|---|
| Scheduled Castes | 754 |
| Scheduled Tribes | 550 |
| Minority communities | 777 |
| Backward classes | 432 |
| Others | 33,395 |
| Total : | 5,908 |

**भारत बंगलादेश सम्बन्ध**

1488. **डा० बापू कालदते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय बातचीत के पुनः शुरू होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) इसमें समान हित के किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा होने की संभावना है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क), (ख) और (ग) द्विपक्षीय समस्याओं का परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिये और दोनों देशों में मित्रता एवं सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और बंगलादेश में निरन्तर विचार-विमर्श हो रहा है ।

**केरल में भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना**

1489. **श्री वयालार रवि :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ सरकारी उपक्रमों ने भविष्य निधि अंशदान के अपने हिस्से की धनराशि जमा नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं, कितनी धनराशि जमा नहीं कराई गई और इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यह सूचना यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

**टैलीफोन आपरेटर**

1490. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नए टेलीफोन आपरेटरों को नियमित वेतनमान देने से पूर्व तीन महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है ;

(ख) जुलाई, 1976 में आयोजित की गई परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए बैच में से कब तक कितने टेलीफोन आपरेटरों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा चुका है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना बाकी है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह सूचना सर्किलों/जिलों से एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही इसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

**टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा कथित चोरबाजारी**

1491. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी और हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा, जो देश में इस्पात की बिक्री के लिए वितरक है, बड़े पैमाने पर चोर बाजारी की जाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**डाक जीवन बीमा के ग्रुप क्रेडिटों का मिलान**

1492. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियमों को मूल स्रोत पर कटौती हो जाने के बावजूद भी डाक जीवन बीमा पालिसियों में काफी संख्या में क्रडिटें गुम हो जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के बजाय नियोक्ताओं के माध्यम से गुमशुदा क्रेडिटों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क) जी हां ।

(ख) किस्तों के गुम जमा खातों को ढूंढ़ने के लिए, डाक जीवन बीमा संगठन द्वारा गुम जमा खातों के मामलों में नियोजकों या खासतौर पर पी० एल० आई० बीमादारों के वेतन और लेखा प्राधिकारियों से लिखा पढ़ी की जाती है । जो कर्मचारी डाक जीवन बीमादार हैं उन्हें भी इस मामले में पत्र लिखे जाते हैं ताकि पालिसी खातों को पूरा करने के लिए जो भी सहायक सूचना मिल सके उसे प्राप्त किया जाए ।

यदि बीमा किस्तों के जमा खाते न मिलें तो संवितरण अधिकारियों से ऐसे प्रमाण-पत्र लिये जाते हैं कि डाक जीवन बीमा किस्तों की वास्तव में वसूली की गई है । इन प्रमाण पत्रों को इस बात का सबूत मान लिया जाता है कि वसूली वास्तव में की गई है भले ही संबंधित जमा रकम डाक जीवन बीमा संगठन में प्राप्त न हुई हो ।

**मंत्रियों द्वारा की गई विदेशों में टेलीफोन कालें**

1493. **श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों ने 24 मार्च, 1977 से मई, 1977 के बीच विदेशों में सरकारी तौर पर कितनी कालें की और उन मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

**संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

## RECOGNITION TO WORKERS' UNION IN FLOOD CONTROL DEPARTMENT, DELHI

1494. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether there is a registered workers' union in the Flood Control Department of Delhi Administration and if so, the name thereof;

(b) the reasons for not granting recognition to this union;

(c) whether this Union has been requesting the officers of Delhi Administration and the Ministry of Labour for according recognition for the last seven to eight years; and

(d) if so, the time by which the Union would receive recognition ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : The facts as obtained from Delhi Administration are as follows :—

(a) A union by the name of 'Delhi Flood Control Workers Union' registered under the Trade Unions Act, 1926 is functioning in the Food Control Department of Delhi Administration.

(b) The provisions of Central Civil Services (Recognition) Rules framed under rule 4(b) of the erstwhile Central Civil Services (Conduct) Rules, 1955 regarding recognition of association having been struck down by the Superme Court of India, no de-jure recognition can be granted to any service Association.

(c) Yes, request is being made to Delhi Administration.

(d) For reasons set out as in (b) above, there is no question of the Union being granted recognition.

## इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर वर्क्स का विस्तार

1495. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दस्तूर समिति ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के बर्नपुर वर्क्स के विस्तार हेतु बर्दवान जिले के हीरापुर थाना के अन्तर्गत को अर्जित करने की सिफारिश की थी,

(ख) क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित किए जाने से हजारों ग्रामवासी बेघर हो जायेंगे, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) इस्को के बर्नपुर के इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण/विस्तार के बारे में मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी की विस्तृत शक्यता रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी नवम्बर, 1976 में प्रस्तुत की गई अपनी प्रारम्भिक सांकेतिक रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया है कि इस्को को, इस्को के विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि अर्जन के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत आरम्भ कर देनी चाहिए। इस भूमि के अन्तर्गत सता गांव भी आता है जो बर्नपुर कारखाने के अन्दर है ।

(ख) और (ग) सत्ता गांव के अर्जन में लगभग 10,000 निवासियों को दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। इस पहलू पर उचित समय पर ध्यान दिया जायेगा।

**दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन की मांगें**

1496. **श्री वसंत साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन ने रिहायशी क्षेत्रों में निजी क्लीनिक तथा 'नर्सिंग होम' खोलने तथा अस्पतालों में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने हेतु अपनी मांगों के बारे में सरकार को हाल में एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** (क) और (ख) : दिल्ली चिकित्सा संघ ने एक ज्ञापन दिल्ली प्रशासन को भेजा है, जो इस पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

**कलकत्ता पत्तन में हड़ताल**

1497. **श्री के० ए० राजन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर 5000 बजरा-नाविक 20 अप्रैल, 1977 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** (क) से (ग) : कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन के नेतृत्व में 19 अप्रैल, 1977 की अर्द्धरात्रि से लगभग 5,000 बार्जमैन ने हड़ताल आरंभ कर दी। यह हड़ताल राष्ट्रीय अधिकरण, कलकत्ता के उस पंचाट को कार्यान्वित न करने के विरोध में की गई जिसके द्वारा बजरो लाइटरों और बोटों में काम करने वाले डांडियों और मांझियों को पहली जनवरी, 1976 से पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों के ऊपर मज़दूरी और भत्तों का भुगतान करने का निर्णय दिया गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए श्रम मंत्री ने नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में अनेक बैठकें कीं। संबंधित पक्षों द्वारा 24 मई, 1977 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह हड़ताल अन्ततः समाप्त कर दी गई।

**मारुति लिमिटेड में इस्पात के लाइसेंस का दुरुपयोग**

1498. **डा० बापू कालदत्ते**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति (प्राइवेट) लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा) द्वारा इस्पात के औद्योगिक लाइसेंसों के दुरुपयोग की जांच के आदेश दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं, और

(ग) जांच प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक** (क) से (ग) : मैसर्स मारुति प्राइवेट लि० गुड़गांव को इस्पात बनाने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसलिए इस मामले की जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विदेशी नियुक्तियां**

1499. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशी नियुक्तियों के बारे में एक नई नीति अपनाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है;

(ख) विदेशों में जाने के संबंध में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में कितने आवेदन-पत्र निपटाये गए और उनमें नामंजूर किए गए आवेदन-पत्र की संख्या कितनी है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) जी हां । सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि नौकरी पर अथवा रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय कार्मिकों के संबंध में क्या-क्या प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा दूसरे परिवर्तन किए जाने चाहिएं।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

**बोनस अधिनियम का निरसन**

1500. **श्री ज्योतिर्भय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का शीघ्रातिशीघ्र कब बोनस अधिनियम का निरसन करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को रद्द करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, उक्त अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं और इन पर विचार किया जा रहा है ।

**पाकिस्तान पर आक्रमण करने की भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की कथित योजना के बारे में श्री रिचर्ड निक्सन का वक्तव्य**

1501. **श्री जी० एम० बनतवाला**
**श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
**श्री ईश्वर चौधरी** } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन ने एक वक्तव्य दिया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1971 में पश्चिम पाकिस्तान पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने की योजना बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस आरोप के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) जी हां।

(ख) रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने श्री निक्सन के इस वक्तव्य का खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय मंत्रिमंडल ने 1971 में पाकिस्तान पर आक्रमण करने का निर्णय कतई नहीं किया था। प्रधान मंत्री ने भी भारत की पिछली सरकार के विरुद्ध श्री निक्सन के वक्तव्य को अस्वीकार किया।

**ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दिया गया वक्तव्य**

1502. **श्री गौरी शंकर राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 अगस्त, 1976 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने श्री बिड़ला के भाषण का उल्लेख करते हुए लन्दन में कहा था कि वे श्री बिड़ला द्वारा कही गई सब बातों से सहमत हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चायुक्त से यह पूछा है कि उन्होंने उच्चायुक्त के पद के लिए निर्धारित सब नियमों के विरुद्ध उक्त विवादास्पद भाषण का क्यों समर्थन किया ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** (क) : 11 अगस्त 1976 को भारतीय अखबारों में समाचार एजेन्सी की एक रिपोर्ट छपी थी कि लंदन में भारत के हाई कमिश्नर ने श्री बिड़ला के इस मत से सहमति प्रकट की थी कि आपात काल की घोषणा बहुत पहले की जानी चाहिए थी।

(ख) हाई कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवसर पर अपने आशु भाषण में उन्होंने जो कहा था उसमें जोर इस बात पर था कि बहुत वर्षों तक कानून को लागू करने में असफल रहने के कारण भारत के हालात इतने बिगड़ गए थे कि देश अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ रहा था जिसपर आपात-काल से रोक लगी।

भूतपूर्व सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों को निर्देश दिए थे कि वे आपात-काल की घोषणा की पृष्ठभूमि बताते हुए इसका औचित्य समझाएं। विदेश स्थित मिशनों में सेवारत प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे सत्ताधारी सरकार के कार्यों और नीतियों के औचित्य की यथासंभव युक्ति-युक्त ढंग से व्याख्या करें।

OPENING OF SUB-POST OFFICE IN ABADPUR, BIHAR

†1503. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be please to state :

(a) whether there is no sub-Post Office in Abadpur in Katihar District of Bihar inspite of its being near the border Districts of West Dinajpur and Malda of West Bengal;

(b) whether Post and Telegraph and telephone services here are necessary from administrative and social point of view; and

(c) if so, the time by which a sub-Post Office would be opened in Abadpur and if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes, Sir.

(b) Postal :—Extra-departmental Br. P.O. stands provided which affords adequate postal facilities. Government is following a liberal policy for provision of telegraph and telephone services even on loss at places of administrative importance. Other places with a population exceeding 5000 in ordinary areas and 2500 in hilly or backward areas are also

considered for provision of telegraph facilities on loss, subject to minimum revenue conditions. Even under the liberalised terms, Abadpur does not justify the provision of these services.

(c) Upgradation of this EDBO into departmental sub-Post Office has not been found justified in the past. The case is being re-examined.

## FINANCIAL AID FROM SWEDEN

1504. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received some financial aid from Sweden;

(b) if so, the amount and the nature thereof; and

(c) the terms and conditions thereof ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) to (c) The information is being collected and will be furnished in due course.

## औद्योगिक श्रमिकों पर ऋण

1505. **श्री कर्पूरी ठाकुर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों पर व्यक्तिगत ऋणों का भार बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इन ऋणों से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भविष्य में सूदखोरों द्वारा औद्योगिक श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क), (ख) और (ग) कर्जदारी में वृद्धि अथवा कमी को इंगित करने वाले तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली में हाल ही में किए गए मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में श्रमिक वर्ग परिवार संबंधी औसत कर्जदारी के तुलनात्मक आंकड़े 1958-59 (परिवार निर्वाह परिणाम) तथा दिसम्बर, 1976 (मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण परिणाम) के संबंध में निम्नलिखित हैं :—

| अवधि | श्रमजीवी वर्ग परिवार संबंधी औसत कर्जदारी |
|---|---|
| (i) परिवार निर्वाह सर्वेक्षण 1958-59 | 451.00 रु० |
| (ii) कर्जदारी संबंधी मार्ग-दर्शी सर्वेक्षण, 1976 | 1800.00 रु० |

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा इस समय 25 चुने हुए केन्द्रों में कर्जदारी सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों में कर्जदारी में कोई वृद्धि या कमी हुई इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन सर्वेक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करना उचित होगा।

कर्जदारी के बोझ से औद्योगिक श्रमिकों को बचाने के लिए एक उपयुक्त विधान को बनाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

REPORTS ON REVIVAL OF BONDED LABOUR

1506. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received reports indicating revival of bonded labour system in the country;

(b) if so, from which parts of the country such reports are being received; and

(c) the effective steps taken by Government in this regard and the results thereof ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) No such reports have been received.

(b) Does not arise.

(c) Collectors in the State Governments and Union Territories have been directed to rehabilitate freed bonded labourers as early as possible in on-going Plan Schemes and programmes including those of soil conservation, irrigation works, social welfare measures, tribal and harijan welfare programmes. Collectors have been authorised to issued loans for agricultural purposes.

Out of 95,993 bonded labourers freed till 31st May, 1977, 23691 have been rehabilitated by providing them with employment in Government Departments, allotment of agricultural lands, house sites, loans for purchase of milch animals, sheep, carpentry implements, provision of education and free hostel facilities to the children of the freed bonded labourers. Loans have also been given by Nationalised Banks at differential rates of interest.

**देश में मैडिकल कालेज**

1507. **श्री विजय कुमार मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सभी राज्यों में मैडिकल शिक्षा का स्तर एक समान करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) गैर-सरकारी प्रबन्धक के अधीन अभी भी कितने मैडिकल कालेज हैं और उनका राष्ट्रीयकरण करने अथवा प्रवेश चाहने वाले छात्रों और उनके माता-पिता को शोषण से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में मैडिकल कालेज चलाने के लिए प्राइवेट पार्टियों या व्यक्तियों को खुली छूट दे रखी है; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई योजना बनाई गई है कि चिकित्सा स्नातक ठीक उतनी ही संख्या में शिक्षा प्राप्त करके निकलें, जितने स्नातकों को आवश्यकता हो और इस प्रकार डाक्टरों को बेरोजगारी से बचाया जा सके ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, देश में चिकित्सा शिक्षा का स्तर एक समान बनाए रखने के लिए स्नातक पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम, मेडिकल कालेजों को मानक अपेक्षाओं, शिक्षकों की

पात्रता के लिए अर्हताएं, परीक्षकों आदि की नियुक्ति संबंधी पद्धति तय कर दी है। यह परिषद् कालेजों का समय समय पर निरीक्षण भी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कालेजों का स्तर भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार ही रखा जाता है।

(ख) इस समय 10 मेडिकल कालेज हैं जो गैर सरकारी प्रबन्ध में चल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा पूर्णत: राज्य का विषय है और यदि संबंधित राज्य सरकार चाहें तो वे इस संबंध में दखल कर उन्हें अपने अधिकार में ले सकती हैं।

(ग) कर्नाटक 4 पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में 10 प्राइवेट मेडिकल कालेज स्थित हैं। जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, 1973 के बाद गैर सरकारी प्रबन्ध में कोई भी मेडिकल कालेज नहीं खोला गया है।

(घ) भारत सरकार का विचार है कि इस समय पढ़कर प्रतिवर्ष निकल रहे लगभग 12,500 मेडिकल डाक्टर देश की चिकित्सा, मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगे। अत: पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोला जाना चाहिए।

## STUDENT ADDICTION TO INTOXICANTS

1508. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the students, both boys and girls in the Capital are getting addicted to intoxicants; and

(b) if so, the steps being taken by Government for the improvement of health of these youths by preventing them from taking to this evil ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) & (b) There have been reports to the effect that the use of intoxicating drugs is on the increase, particularly among the students. The Central Government, therefore, have appointed a Committee to *inter alia* enquire into the extent of drug addiction in the country, particularly amongst the student community and to submit its recommendaions. The recommendations of the Committee are awaited.

## मैसर्स एंग्लोफ्रेंच टेक्सटाइल लिमिटेड, पांडिचेरी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान जमा न कराना

1509. **श्री के० राममूर्ति :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल्स लिमिटेड, पाण्डिचेरी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, जो कि लाखों रु० तक हो गया है, जमा कराने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बावजूद कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी यूनियन तमिलनाडु ने इस चूक के मामले को विशेष रूप से निगम के ध्यान में लाई थी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तमिलनाडु के प्रादेशिक निदेशक द्वारा अंशदान की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा ) :** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है —

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी यूनियन से शिकायत प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय निदेशक ने फैक्टरी के रिकार्ड की दो बार जांच करवाई और कम भुगतान के कुछ मामलों का पता चला । क्षेत्रीय निदेशक ने अधिनियम के अन्तर्गत आने की तारीख से सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन की संख्या लगभग 7000 है, फैक्टरी के रिकार्ड का एक विशिष्ट निरीक्षण करने का आदेश दिया है। वास्तविक बकाया राशि का पता चलने पर वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

**धुलिया (महाराष्ट्र) कपड़ा मिल के मजदूरों को मजूरी का भुगतान**

1510. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने धुलिया (महाराष्ट्र) कपड़ा मिल के बन्द होने के दौरान दो महीने और दस दिनों के लिए मजदूरों को मजूरी का भुगतान करने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या उक्त मिल के लगभग पांच हजार मजदूरों को दो महीने और दस दिन के बजाये जैसा कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक महीने की मजूरी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उक्त मिल के हजारों मजदूरों को शेष मजूरी का भुगतान कब किया जायेगा ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम जिसने हाल ही में धुलिया टैक्सटाइल मिल का प्रबन्ध अपने उत्तरदायित्व में लिया है, से प्राप्त सूचना के अनुसार बम्बई उच्च न्यायालय ने 24-4-1969 को मिल के श्रमिकों को केवल एक महीने की मजदूरी के भुगतान का आदेश दिया था। तदनुसार, सरकारी परिसमापक ने 4329 श्रमिकों को एक महीने की मजदूरी का भुगतान किया और भुगतान की गई कुल राशि 3,33,240.90 रु० थी ।

**केन्द्रीय उपदान प्रत्याभूति कोष**

1511. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या संसदीय **कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उपदान प्रत्याभूति कोष स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीद्र वर्मा) :** (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन कोष स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव किया है। अभी ब्यौरे तैयार किए जाने हैं।

**श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन**

1512. **श्रीमती रेणुका देवी बड़ कटकी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो संशोधन की रूप रेखा क्या है?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) श्रम कानून पुनरीक्षा समिति गुजरात (1974) और भारतीय कानून आयोग (1974) ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों की पुनरीक्षा की है और उन्होंने इस अधिनियम में संशोधन करने संबंधी अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों के विचार आमंत्रित किए गए हैं तथापि कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित दो संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं।

(i) अधिनियम अन्तर्गत लाने संबंधी मजदूरी की सीमा को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ;

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय प्रतिकर की दरों को बढ़ा दिया गया है।

**राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की बहाली**

1513. **श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के उन सब कर्मचारियों को बहाल करने के लिये कार्यवाही करने का अनुरोध किया है जिन्हें आपात स्थिति के दौरान निकाल दिया गया था :

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सेवा से निकाले गए ऐसे कितने कर्मचारियों को अब तक राज्यवार, बहाल किया गया है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में सेवा से निकाले गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।

(ग) और (घ) राज्यवार ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

GRANT OF CITIZENSHIP TO PEOPLE OF INDIAN ORIGIN IN SRI LANKA

†1514. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFAIRS be pleased to state :

(a) the present position in regard to granting citizenship of Sri Lanka to the people of Indian origin in that country as per talks held between Governments of the two countries;

(b) the number of persons who have been granted citizenship and the position of the remaining persons; and

(c) whether Government of India have taken a decision to allow some of them to return to India and if so, the number thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJYAPEE) : (a), (b) & (C) Under the Agreements of 1964 and 1974 between India and Sri Lanka on persons of Indian Origin in Sri Lanka, Sri Lanka has agreed to grant citizenship to 375,000 persons of Indian origin, in addition to their natural increase, and India has agreed to grant citizenship to 600,000 persons of Indian origin, in addition to their natural increase, and to their repatriation to India in stages by 1979.

As on 30-4-1977, Sri Lanka has granted citizenship to 145,006 such persons, in addition to their natural increase, and India has granted citizenship to 288,613 such persons, in addition to their natural increase. 199,968 such persons with their natural increase, have been repatriated to India till 31-3-1977. Remaining applications are under consideration of the authorities concerned.

## विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा वणिज्य दूतावासों की संख्या को कम करना

1515. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा के अनुत्पादक भार को घटाने के लिये विदेश स्थित अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की संख्या को घटाने का विचार है ;

(ख) कितने ('गैर-केरियर) राजनयिक इस समय राजनैतिक पदों पर आसीन हैं ;

(ग) उनमें से कितनों ने नई सरकार की अनुमति से त्याग-पत्र दे दिया है कितने वापस बुला लिये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उक्त व्यक्तियों को दिया गया राजनैतिक संरक्षण एकदम समाप्त कर दिया जाये ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) राजनयिक प्रथा के अनुसार राजनयिक मिशनों की स्थापना पारस्परिकता के आधार पर की जाती है । लेकिन सरकार समय-समय पर विदेश-स्थित राजदूतावासों और कोंसलावासों की संख्या के विषय में विचार करती रहती है । सरकार नहीं समझती कि विदेश-स्थित राजदूतावास और कोंसलावास विदेशी मुद्रा के अनोत्पादक भार हैं । किफायतसारी के उपाय लागू किए जाने के परिणामस्वरूप जिसमें कि अमले की वृद्धि को जहां तक संभव हो कम करने के उपाय भी शामिल हैं मुद्रा-स्फिति की प्रवृत्तियों और विदेशी मुद्रा विनियम की बदलती दरों के बावजूद खर्च को कम किया जा रहा है । अनुमान है कि 1977–78 के दौरान किफायदसारी के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप करीब 40 लाख रुपये की बचत हो सकेगी ।

(ख) विदेश-स्थित 14 राजनयिक मिशनों के प्रमुख गैर-वृत्तिक हैं । इसमें वे अधिकारी और वृत्तिक राजनयिक भी शामिल हैं जिन्हें निवृतमान आयु प्राप्त होने के बाद राजनयिक मिशन-प्रमुखों के रूप में पुर्ननियोजित किया गया है ।

इस समय विदेश मंत्रालय को इतर मंत्रालयों के लगभग 150 अधिकारी विदेशों में हैं जिन्हें राजनयिक दर्जा प्राप्त है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) सरकार नहीं मानती कि विदेशों में कोई भी नियुक्ति राजनीतिक संरक्षण होता है ।

## केरल में स्थानीय 'काल' दूरी

1516. **श्री स्कारिया थामस:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में स्थानीय 'काल' की दूरी बढ़ाकर दिल्ली के समान करने के लिये इस बीच कोई मापदंड अपनाया गया है ;

(ख) चंगनाचारी तथा एट्टुटा माम्मूरो की दूरी कोटायम टेलीफोन एक्सचेंज से 14 मील है और वे एक स्थानीय काल प्रणाली के अन्तर्गत नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार चंगनाचारी तथा एटटामाम्मूरो को इन क्षेत्रों में स्थानीय काल सुविधाओं के लिये कोटायम टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत लाने का है; और

(ङ) यदि हा, तो कब से ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क),(ख) और (ग) सभी स्टेशनों पर टेलीफोन प्रणाली का स्थानीय इलाका सामान्यत: उस स्थान की नगरपालिका नगर निगम की सीमाओं के समान हैं जहां एक्सचेंज स्थित हैं या टेलीफोन एक्सचेंज से 5 मील की अरीय दूरी तक है इनमें से जो भी ज्यादा हो। तथापि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली और कुछ दूसरी बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में स्थानीय इलाका सिर्फ नगरनिगम की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा गया है बल्कि उनके दायरे में संलग्न इलाके भी आ जाते हैं। कोट्टायम टेलीफोन एक्सचेंज से चंगनाचारी 10 मील और एट्टामाम्बरी 6 मील दूर है। ये कोट्टायम के स्थानीय इलाके की सीमाओं से बाहर हैं।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## दुर्गापुर मिश्रधातु इस्पात संयंत्र

1517. **श्री के० ए० राजन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने दुर्गापुर मिश्रधात इस्पात संयंत्र में लाभ पर चल रही मिल के विस्तार के लिए 9 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसकी शीघ्र क्रियान्विति की क्या संभावनाएं हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक):** (क) और (ख) मार्च 1977 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की ब्लूमिंग एण्ड बिलेट मिल की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त विद्युत् चाप भट्टी (अनुकूलन सुविधाओं सहित) लगाने के लिए एक योजना अनुमोदित की थी। योजना की अनुमानित लागत 8.46 करोड़ रुपये हैं जिसमें 0,18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे। अनुमान है कि अतिरिक्त भट्टी की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 61,000 टन इस्पात पिण्ड की होगी जिस बिक्री के लिए 43,000 टन ब्लूम और बिलेट बनेंगे। जब यह योजना पूरी हो जायेगी उस समय ब्लूमिंग और बिलेट मिल में रोजाना वर्तमान एक पारी के स्थान पर दो पारियों में काम होगा।

आशा है यह योजना लगभग 2 वर्ष में पूरी हो जाएगी।

**कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र**

1518. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिये 1500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी,

(ख) यदि हां, तों इस संबंध में कितनी प्रगति हुई, और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) जी नहीं । विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन हालही में प्राप्त हुआ है तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) इस कारखाने के लिए कुल 9,021 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से 7 367 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है । शेष भूमि सरकारी भूमि है । बस्ती के लिए भूमि अर्जन संबंधी आरंभिक कार्रवाई की जा चुकी है । राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने कच्चे माल का अन्वेषण धरातल सर्वेक्षण भूभौतिक अन्वेषण आरंभिक जल आपूर्ति योजनाओं तथा बिजली आपूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है ।

(ग) इस कारखाने के चालू होने की संभाव्य तारीख के बारे में तभी मालूम होगा जब भारत सरकार द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली जाएगी और इसका अनुमोदन कर दिया जायेगा ।

**पासपोर्ट जब्त करना**

1519. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में जिन व्यक्तियों के पास पोर्ट जब्त किए गए हैं उनके नाम एवं पते क्या हैं;

(ख) पासपोर्ट जब्त करने के प्रत्येक मामले के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या किन्हीं व्यक्तियों ने देश से भागने का प्रयास किया था; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस देश से उनके भागने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी ) :** (क) जिन 24 व्यक्तियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं अथवा जिन्हें पासपोर्ट सुविधाएं नहीं दी जानी हैं उनके नाम और पतों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

**(ग्रंत्रालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 488/77)**

(ख) इन सभी मामलों में पासपोर्ट जब्त करने अथवा अस्वीकार करने के आदेश सामान्य जनहित में पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

AIR MAIL SERVICE TO RAJASTHAN CITIES

†1520. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of cities in Rajasthan served by air mail service at present and when this service would be extended to other cities also; and

(b) the names of the Cities to which this service would be extended ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) & (b) Jaipur and Udaipur are the two cities in Rajasthan which are linked by air at present. Mails for and from these places are being airlifted. Other proposals can be considered only when more towns of Rajasthan are put on the air map. The Indian Airlines do not have any proposal for airlinking in additional cities in Rajasthan during winter of 1977-78.

RECANALISATION OF UNMARRIED STERILISED DURING EMERGENCY

1521. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the action being taken for recanalisation in those cases in which unmarried persons were sterilised forcibly during emergency; and

(b) the number of cases of the sterilisation operations in various States during emergency in respect of which information has been received by the Ministry upto 15th June, 1977 and the action taken against the doctors who issued false certificates in this regard ?

MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) :

(a) Instructions have been issued that in all such cases arrangements for recanalisaiton by an expert should be made. The complete treatment should be given free of cost and in addition cases should be paid the cost of travel from their place of residence to the hospital where operation is arranged.

(b) 13 complaints citing instances of fake sterilisation operations have been received so far. They have been sent to the State Governments for detailed enquiry. Action will be taken against the doctors who on enquiry are found to have issued the false certificates.

REDUCTION OF WORKING HOURS TO REMOVE UNEMPLOYMENT

1522. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether with a view to remove increasing unemployment, Government propose to reduce working hours from 8 hours a day to 6 hours a day in the factories employing more than 100 workers; and

(b) if so, by what time ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Government does not have such proposal under consideration, at the moment.

(b) Does not arise;

ALLEGED CHARGES OF CORRUPTION AGAINST REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER, UTTAR PRADESH

1523. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from Members of Parliament containing charges of discrimination, nepotism and partiality against Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh;

(b) whether it has also been alleged that the officer has acquired property worth lakhs of rupees by misusing his office; and

(c) if so, the action taken in the matter by Government so far ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The allegations are being investigated.

## POPULATION GROWTH RATE

1525. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the population growth rate in India at present; and

(b) the population growth rate in India as compared to the growth rate in other densely populated countries ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The present population growth rate in India is estimated to be about 2 percent.

(b) A statement showing the population growth rates in respect of certain other Asian countries is attached.

**STATEMENT**

| Sl. No. | Country | Rate of growth 1970-75 (percentage) |
|---|---|---|
| 1. | Philippines | 3.34 |
| 2. | Thailand | 3.27 |
| 3. | Pakistan | 3.09 |
| 4. | Iran | 2.98 |
| 5. | Malaysia | 2.89 |
| 6. | Democratic People's Republic of Korea | 2.64 |
| 7. | Indonesia | 2.60 |
| 8. | Afghanistan | 2.54 |
| 9. | Burma | 2.37 |
| 10. | Nepal | 2.25 |
| 11. | Sri Lanka | 2.22 |
| 12. | Socialist Republic of Vietnam | 2.11 |
| 13. | Republic of Korea | 2.00 |
| 14. | Bangladesh | 2.14 |
| 15. | China | 1.66 |
| 16. | Japan | 1.26 |

SOURCE—Data Sheet on Selected World Demographic Indicators by Region and Country or Area, 1970-75 (Based on medium variant projections)—prepared by the United Nations Secretariat (Population Division of the Department of Economics and Social Affairs). The rate of growth is arrived at as the difference between birth and death rates.

## सोवियत संघ की सहायता के बिना बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार

1526. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सहायता के बिना बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता का विस्तार करने संबंधी केंद्रीय सरकार के निर्णय से सोवियत संघ के साथ हमारे संबंधों को आघात पहुंचने की संभावना है ; यदि हां, तो किस सीमा तक :

(ख) क्या इस विषय पर भारत यात्रा पर आये रूस के विदेश मंत्री के साथ बात-चीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) सरकार ने यह निश्चय किया है कि बोकारो कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलैक्स के निर्माण का कार्य यह देशीय तकनीकी ज्ञान और कौशल से ही अपने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत करेगी । यह हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है जोकि बराबर ही भारत सोवियत सहयोग को और अधिक सुदृढ़ तथा विकसित करने की बनी हुई है।

(ख) और (ग) सरकार के इस निर्णय के कारणों के औचित्य को सोवियत विदेश मंत्री को बता दिया गया था और उन्होंने स्थिति को समझ लिया था ।

**'अलाय स्टील' की मांग और उत्पादन**

1527. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में 'अलाय स्टील' की मांग कितनी थी तथा स्वदेशी उत्पादन कितना हुआ और पहले वर्ष की तुलना की मांग तथा उत्पादन की स्थिति क्या है,

(ख) क्या 'अलाय स्टील' उद्योग ने उत्पादन बढ़ाने में आने वाली बाधाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में विभिन्न प्रकार के मुख्य मिश्रित इस्पात का देशीय उत्पादन क्रमशः 1.43 लाख टन तथा 1.27 लाख टन था । इस अवधि में मिश्र इस्पात का आयात क्रमशः 0.52 लाख टन और 0.38 लाख टन हुआ । इसलिए इन 2 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए दृष्ट मांग इन किस्मों के उत्पादन और आयात (निर्यात नगण्य था) मिलाकर 1.65 लाख टन मानी जा सकती है । महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि मांग लगभग उतनी हो रही है आयात में काफी कमी आई है। मिश्र-इस्पात के उत्पादकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने आयात पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाने और आयात शुल्क में परिवर्तन करने की प्रार्थना की है । चालू वर्ष के लिए आयात नीति तैयार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गा है।

**खान सुरक्षा उपाय**

1528. **श्री सतेन्द्रनारायण सिन्हा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में अधिकांश खान दुर्घटनाएं उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित खान सुरक्षा उपायों की उपेक्षा के कारण हुई; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति में परिवर्तन किया जा रहा है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) विभिन्न खानों में वर्ष 1975 के दौरान हुई 283 घातक दुर्घटनाओं की तुलना में वर्ष 1976 के दौरान 286 घातक दुर्घटनाएं हुई। वर्ष 1975 और 1976 के दौरान आकस्मिक दुर्घटनाओं अर्थात ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या, जो किसी व्यक्ति की गलती के कारण हुई न समझी जाएं, लगभग 22 प्रतिशत थी । यह स्थिति वर्ष 1974, 1973 और 1974 की तुलना में अच्छी है क्योंकि यह संख्या वर्ष 1975 के दौरान 28 प्रतिशत 1973 के दौरान 22 प्रतिशत और 1974 के दौरान 24 प्रतिशत थी । 1975 में कोयले का उत्पादन 990 लाख टन था, जो बढ़कर 1976 में लगभग 1070 लाख टन हो गया। परन्तु यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई साक्ष्य प्रतीत नहीं होता कि कोयले के उत्पादन म वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता । तथापि, सरकार ने सभी खान प्रबन्धकों पर जोर दिया है कि उत्पादन में वृद्धि सुरक्षा की लागत पर नहीं होना चाहिए ।

**समाचार पत्र केन्द्रों से डाक द्वारा समाचार पत्र भेजने की सुविधा का वापस लिया जाना**

1529. **श्री आर० कोलनथाइवेलू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र केंद्रों से डाक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र भेजने की जो सुविधाएं पांच वर्ष पूर्व उपलब्ध थीं, जिससे समाचार पत्र पढ़ने वालों को समाचार पत्र अगले दिन प्रातः प्राप्त हो जाता था, वे वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विशेषतया तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थिति बहुत बुरी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुरानी प्रतिक्रिया को फिर से चालू करने का है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क) और (ख) : देहाती इलाकों में समाचार पत्रों के लाने ले जाने और उनके वितरण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) तमिलनाडु के सेलम जिले में समाचार पत्रों के लाने ले जाने और उनके वितरण की मौजूदा व्यवस्थाएं सन्तोषजनक हैं और यह प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है ।

(घ) इस समय जो सन्तोषजनक स्थिति चल रही है, उसे मद्देनजर में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कोयला खानों में दुर्घटनाएं**

1530. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 तथा 1976 में देश में विभिन्न कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे और उन्हें कुल कितना मुआवजा दिया गया ।

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) और (ख) : विभिन्न कोयला खानों में वर्ष 1975 और 1976 के दौरान घातक दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 222 और 206 थी । इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या वर्ष 1975 में 663 (चसनाला कोयला खान दुर्घटना में हुई 375 मौतों सहित) और वर्ष 1976 में 293 (सुदामडीह कोयला खान में विस्फोट में हुई 43 मौतों सहित) थी।

कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धकों द्वारा मुआवजा देय है । इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

## STERILISATION OPERATIONS DURING EMERGENCY

1531. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the number of Sterilisation operations performed Statewise, throughout the country during emergency ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : A statement giving the required information is attached.

### STATEMENT

Statement showing state-wise number of sterilisation operations pesformed in the country during emergency period (July 1975 to March 1977).

| Sl. No. | States/U.Ts/Agencies | Sterilisation operations performed during the emergency period (July, 1975-March, 1977) |
|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | 881,773 |
| 2. | Assam | 363,097 |
| 3. | Bihar | 736,558 |
| 4. | Gujarat | 455,175 |
| 5. | Haryana | 276,025 |
| 6. | Himachal Pradesh | 117,020 |
| 7. | Jammu & Kashmir | 24,038 |
| 8. | Karnataka | 536,151 |
| 9. | Kerala | 351,127 |
| 10. | Madhya Pradesh | 1,103,680 |
| 11. | Maharashtra | 1,438,039 |
| 12. | Manipur | 7,018 |
| 13. | Meghalaya | 9,284 |
| 14. | Nagaland | — |
| 15. | Orissa | 436,261 |
| 16. | Punjab | 188,489 |
| 17. | Rajasthan | 443,228 |
| 18. | Tamil Nadu | 813,267 |
| 19. | Tripura | 16,377 |
| 20. | Uttar Pradesh | 958,994 |
| 21. | West Bengal | 1,075,799 |
| 22. | A & N Islands | 1,640 |
| 23. | Arunachal Pradesh | 291 |
| 24. | Chandigarh | 3,498 |
| 25. | D & N Haveli | 924 |
| 26. | Delhi | 158,781 |
| 27. | Goa, Daman & Diu | 7,829 |
| 28. | L. M. A. Islands | 203 |
| 29. | Mizoram | 1,380 |
| 30. | Pondicherry | 12,117 |
| 31. | M/o Defence | 38,860 |
| 32. | M/o Railways | 111,847 |
| | All India | 10,568,770 |

Provisional figures.

**चीन के लिये सांस्कृतिक शिष्टमंडल**

1532. **श्रीमति विभा घोष गोस्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में कोई सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) जी नहीं, अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा का सत्र**

1533. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 में जेनेवा में हुए विश्व स्वास्थ्य विभाग के सत्र में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने वहां कहा था कि भारत के लिए वर्तमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे में तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण सभी को भूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना कठिन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में भारत की सहायता करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो किस हद तक ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) जी हां ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने बतलाया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वे काफी महंगी और अधिकांशतः उपचारात्मक किस्म की होती हैं । साथ ही अस्पताल आदि संस्थाएं शहरों में ही अधिक होती हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख का बहुत ही कमजोर आधार होता है । इसलिए रोग कम करने का जो छोटे से छोटा कार्यक्रम भी होता है उसके लिए भी पर्याप्त साधन जुटाना एक टेढ़ी खीर बन जाता है। भारत जैसा विकासशील देश प्रत्येक नागरिक को हर सम्भव किस्म की चिकित्सा टेक्नॉलाजी देने की व्यवस्था नहीं कर सकता । विश्व स्वास्थ्य सभा को यह बतला दिया गया था कि गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं अवश्य मिलें यह सुनिश्चित करने तथा रोगों की रोकथाम में लोगों की मदद करने और आम रोगों के सामान्य उपचार की व्यवस्था करने के लिए समुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की परिकल्पना को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से समाज में ही उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए भारत कदम उठा रहा है ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में तैयारी की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पद्धतियों की नहीं परिकल्पनाओं में काफी रुचि दिखाई है । विश्व स्वास्थ्य सभा के अधिवेशनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन धन का देश--वार बंटवारा नहीं करता । वह कार्यक्रम बजट नीतियों और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल विनियोजनों के बारे में ही निर्णय करता है। अधिकांश कार्यक्रमों के लिए विनियोजन तथा वास्तविक कार्यक्रम कार्यान्वित के लिए खर्च का

प्रतिशत, दोनों, बढ़ा दिये गये ह । दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति अपनी अगली बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के लिये, प्रत्येक देश को कितना-कितना धन विनियोजित किया जाएगा, इसका निर्णय करेगी । विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत को कितनी सहायता मिलेगी यह तभी मालूम होगा जब अलग अलग देशों के लिए विनियोजित की जाने वाली राशियों के बारे में क्षेत्रीय समिति निर्णय कर लेगी ।

REINSTATEMENT OF WORKERS IN SHRI SAJJAN MILLS LTD. RATLAM (M. P.)

1534. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :—

(a) whether the management of Shri Sajjan Mills Ltd., (Madhya Pradesh) situated at Ratlam had retrenched more than hundred labourers during emergency;

(b) whether some complaints in respect of increased work load in the said Mill have also been received by Government; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) & (c) The matter falls essentially in the State sphere. According to the information made available by the Government of Madhya Pradesh, the services of five workers who were detained under Preventive Detention, were terminated by the management. All the five workers are reported to have been reinstated in April, 1977. As for the alleged increased work load, the matter has been brought to the notice of the Government of Madhya Pradesh.

**केन्द्रीय कोयला प्रक्षालनशाला संगठन का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ विलय के बारे म ज्ञापन**

1535. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय कोयला प्रक्षालनशाला संगठन का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ विलय करने के बारे में 11-4-77 को संयोजक, केंद्रीय कोयला प्रक्षालनशाला संगठन समन्वय समिति, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, धनबाद द्वारा दिया गया ज्ञापन उन्हें प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उठाये गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है और इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनगर्ठन करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस मामले में अन्तिम निर्णय लेते समय ज्ञापन व्यक्त किए गए विचारों पर सम्यक रूप से ध्यान दिया जाएगा ।

PAYMENT OF MINIMUM WAGES IN LIME MINES

1536. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether minimum wage has been fixed for the workers in all the mines and if so, what is the rate of minimum wage of workers working in stone mines;

(b) whether the workers of lime stone mines are getting minimum wages and what action is being taken against the owners of those mines where this benefit is not being given;

(c) whether wage at the rate of about Rs. 2 per day only is being padi at present to the workers working in the lime stone mines of Satna Stone and Lime Company Ltd., Satna (Madhya Pradesh) in violation of the Minimum Wages Act and if so, the action taken against the guilty persons; and

(d) how Government propose to enforce effectively the minimum Wages Act in lime stone mines ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) A Statement containing the classes of mines in which minimum wages under the Minimum Wages Act, 1948 have been fixed is appended. The rates are as under :

Unskilled—Rs. 5.80 per day

Semi-skilled—Rs. 7.25 per day

Skilled—Rs. 8.70 per day

(b) Yes, Sir. In cases of default necessary action is taken in accordance with the provisions of the Minimum Wages Act, 1948. Certain lime stone owners have, however, filed Writ Petitions in High Court of Karnataka contending that minimum wages fixed in respect of the employment in stone mines does not apply to lime stone since lime stone is not stone. While these Writ Petitions are being contested by Government, the Court has ordered stay of the operation of minimum wage notification in respect of the petitioners.

(c) Information is being collected.

(d) The enforcement machinery is advised, from time to time to ensure strict enforcement of the notified wages.

STATEMENT

*Statement showing* names of mines where minimum wages have been fixed under the *Minimum Wages Act*, 1948 :

(1) Employment in Cypsum mines.
(2) Employment in Barytes mines.
(3) Employment in Bauxite mines.
(4) Employment in Manganese mines.
(5) Employment in China clay mines.
(6) Employment in Kyanite mines.
(7) Employment in Copper mines.
(8) Employment in Clay mines.
(9) Employment in Stone mines.
(10) Employment in White clay mines.
(11) Employment in Fire clay mines.
(12) Employment in Ochre mines.
(13) Employment in Steatite (including Soapstone and talc) mines.
(14) Employment in Asbestos mines.
(15) Employment in Chromite mines.
(16) Employment in Quartzite mines.
(17) Employment in Quartz mines.
(18) Employment in Silica mines
(19) Employment in Mica mines.

**सोवियत संघ के विदेश उप-मंत्री का दौरा**

1537. श्री **पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सोवियत संघ के विदेश उप-मंत्री ने अघोषित रूप से भारत का दौरान किया था और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बात-चीत के मुख्य विषय क्या थे ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) और (ख) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उप विदेश मंत्री श्री एन० पी० फिरयूबिन, नेपाल बर्मा, लाओस तथा वियत-नाम की यात्रा से लौटते समय 9 से 11 जून, 1977 तक भारत में रुके थे। नई दिल्ली में अपने इस प्रवास के दौरान श्री फिरयूबिन ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अपनी यात्राओं के विषय म उन्होंने भारतीय पक्ष को समान्य रूप से बताया था। इस अवसर पर द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार-विनियम हुआ था।

**दलाई लामा की तिब्बत को वापसी**

1538. श्री **सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दलाई लामा की वापसी तथा पुनर्वास के बारे में चीन सरकार के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे म सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) 1-5-1977 को इस बारे में न्यू चाइना न्यूज एजेंसी में छपे एक वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष का बताया जाता है और जो कि उन्होंने वहां आए एक जापानी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष दिया था।

(ख) इस पर प्रतिक्रिया का निश्चय करना परम पावन दलाई लामा का काम है।

**केरल सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें**

1539. **श्री बयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में केरल सर्किल के डाक तथा तार विभाग द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिये शुरू की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनायें कौन कौन सी हैं ; और

(ख) इसके लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क) केरल सर्किल के डाक तार कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाए नीचे बताई गई हैं । वर्ष 1977-78 में सभावित वित्तीय खर्च भी प्रत्येक मद के सामने दिखाया गया है :—

| योजना | संभावित वित्तीय खर्च (रुपए) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (i) छात्रवृत्तियां | 27,500 |
| (ii) खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां | 5,000 |
| (iii) चिकित्सा खर्च | 13,15,000 |
| (iv) कल्याण संबंधी अन्य कार्यक्रम | 45,000 |

वस्तुत: इस प्रकार की योजनाऐं देश के सभी राज्यों के डाक तार सर्किलों में प्रचलित हैं ।

(ख) वर्ष 1977–78 की विभिन्न योजनाओं के लिए अभी तक रकम अलाट नहीं की गई है । वास्तविक अनुदान मिल जाने पर इन्हें यथा समय अलाट कर दिया जायगा।

**केरल स्थित कालीकट जिले में लौह अयस्क निक्षेपों का विदोहन**

1540. श्री **वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कालीकट जिले में लोह अयस्क निक्षेपों का वाणिज्यिक विदोहन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री** (श्री **बीजू पटनायक**) : (क) और (ख) जी नहीं । इस समय केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम कोजीकोजे लौह अयस्क निक्षेपों के इष्टतम विकास के लिए विस्तृत अध्ययन कर रहा है और विभिन्न तकनीकी तथा आर्थिक प्राचलों के मूल्यांकन के पश्चात ही वे अन्तिम निर्णय लेंगे ।

**श्री शरत चन्द्र बोस के सम्मान मे डाक टिकटें जारी करना**

1541. श्री **शशंकशेखर सान्याल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शरत चन्द्र बोस के सम्मान में स्मारक डाक टिकटें जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भविष्य निधि की राशि को देर से जमा कराने के लिए हर्जाने से छूट पाने वाले संस्थान**

1542. **श्री शिव नाराण सरसूणियां :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 तक गत दो वर्षों में कितने संस्थानों से भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई ; और

(ख) कौन-कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनका हर्जाना पांच हजार से अधिक का है और प्रत्येक मामले में कितनी छूट दी गई ?

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना भविष्य निधि प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

**इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० के कर्मचारियों के लिये नल-जल की व्यवस्था**

1543. **श्री रोबन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है आसनसोल क्षेत्र में जहां इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० स्थित है, गर्मी के मौसम में सूखा की स्थिति रहती है, इंडियन आयरन और स्टील कं० के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में तीन मील की परिधि में रह रहे हैं जो इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी टाउनशिप में नहीं आती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार तीन मील की परिधि के गावों तथा मोहल्लों में जल उपलब्ध कराने का है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) और (ख) : 15 अप्रैल से 1 जुलाई तक के शुष्क मौसम में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्को के प्रबन्धक बर्नपुर के उपनगरों को, जहां काफी संख्या में कंपनी के कर्मचारी रहते हैं, प्रतिवर्ष रोजाना 40,000 गैलन पानी की सप्लाई करते हैं । इसके अलावा आसनसोल नगर पालिका को रोजाना 20,000 गैलन पानी की आपूर्ति की जाती है जिसके वितरण का प्रबन्ध वह स्वयम् करती है । इस्को ने बर्नपुर के 2 मील के घेरे में स्थित उपनगरों में 92 सामुदायिक नलों की व्यवस्था भी की है ।

**एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड में तालाबन्दी**

1544. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जे० के० नगर आसनसोल में वर्ष 1974 से तालाबन्दी चल रही है ; और

(ख) कारखाने को शीघ्र खुलवाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) कम्पनी में सितम्बर, 1973 से तालाबन्दी चल रही है ।

(ख) कम्पनी के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ने कुछ सहायता की मंजूरी दी थी ताकि संयंत्रों को फिर से शुरु किया जा सके ।

कम्पनी ने कार्यशील पूंजी हेतु आवधिक ऋण और नकद ऋण सुविधाओं के बारे में वित्तीय संस्थाओं से प्रबंध कर लिया है । अब वह बिजली पूर्ति तथा श्रमिकों आदि के लिए भी प्रबंध कर रही है ।

**जन-दिवसों की हानि**

1545. **डा० बापू कालदते :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से मई, 1977 तक, उद्योगवार और राज्यवार, कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण रिपोर्टें अभी आनी हैं । तथापि, 18 जून, 1977 को उपलब्ध सूचना के आधार पर, एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 469/77] ।

**एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि**

1546. **डा० बापू कालदते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि करने को सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**"पुश बटन टेलीफोन" मशीन का निर्माण :**

1547. **डा० बापू कालदते :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा 'पुश बटन टेलीफोन मशीन" का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी मशीनों का निर्माण करती हैं ;

(ग) क्या प्राइवेट कम्पनियों द्वारा कम आयातित कल-पुर्जों से निर्मित की गई मशीनें बैहतर होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मशीनों के निर्माण को बंद करने का है ?

**संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :** (क) जी हां । इण्डिन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज "पुश बटन टेलीफोन" उपकरण तैयार कर रही है ।

(ख) व (ग) : सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह के टेलीफोन उपकरण भारत में किसी निजी कम्पनी द्वारा भी तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित यह समाचार भी निराधार है कि डाकतार विभाग ने किसी निजी कम्पनी को देश में "पुश बटन टेलीफोन" उपकरण बनाने के लिए प्राधिकृत किया है।

(घ) जी नहीं ।

**नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बेलूर में तालाबन्दी**

1548. **श्री शिव सम्पत :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बेलूर स्थित नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 13 मई, 1976 की घोषित की गई तालाबन्दी के बाद 81 बेरोजगार श्रमिकों की भुखमरी तथा कुपोषण से मृत्यु हो गई है और दो श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है तथा दो अन्य श्रमिक पागल हो गए हैं और उन्हें पागलखाने में भर्ती किया गया है ; और

(ख) नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा करने तथा स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

**मसर्स हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर**

1549. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर को भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर के कर्मचारियों तथा तकनीशियनों ने सरकार से इस कम्पनी के कार्यकरण की जांच करने का आग्रह किया है ;

(ग) क्या उपरोक्त कम्पनी अपने भ्रष्ट आचरणों, धनराशि की बरबादी और अदक्ष नीतियों को छुपाने के लिए इन हानियों के ब्यौरों में हेर-फेर कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) से (घ) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के देवारी प्रद्रावक में 1976–77 के दौरान जस्ता धातु व गन्धक प्राप्ति में कमी हुई है । जस्ता और गन्धक की कम प्राप्तियां पुरानी बैच लीचिंग शोधन प्रणाली को सतत प्रणाली में बदलने तथा इस नयी प्रणाली को देवारी प्रद्रावक विस्तार की अतिरिक्त निष्कर्षण व शोधन क्षमता के साथ जोड़ने के कारण हुई । 1975–76 की तुलना में जस्ते की लगभग 6.4 प्रतिशत कम प्राप्ति से देवारी में जस्ता उत्पादन की अर्थ व्यवस्था प्रभावित हुई

ह--जस्ता धातु की ये मात्रा फिलहाल 'मूर केक' में खर्च हो रही है, 'मूर केक' कम्पनी द्वारा जमा की जा रही है तथा केक के पुनः शोधन द्वारा धातु निकालने के लिए परीक्षण और प्रयोग किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में परीक्षण प्रयोगों से पूरी तरह सफल होने की आशा है। जब 'मूरकेक' से जस्ता धातु निकलेगी तो ये घाटा कुछ सीमा तक पूरा हो जाएगा।

SETTING UP AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGE IN BHAGALPUR

†1550. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an automatic telephone exchange in Bhagalpur which is a headquarter of the Division; and

(b) if so. the time by which it would be set up ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes, Sir.

(b) The land for the construction of Automatic Exchange building has just been taken over and it is hoped that automatic exchange might be commissioned at Bhagalpur by 1981-82.

FAMILY PLANNING CENTRES

1551. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of HEALTH & FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of family planning centres, State-wise, set up by the former Government throughout the country and the number of centres run in the buildings constructed by Government as also number of centres run in rented buildings and the monthly and annual expenditure incurred on these centres separately, during the last two years;

(b) whether Government propose to make changes for improving arrangements in these centres; and

(c) if so, the manner in which changes would be made ?

MINISTER OF HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha when received.

(b) & (c) Yes. The following changes have been proposed to improve the working of the Family Welfare Centres.

(i) 200 additional Rural Family Welfare Centres will be established during 1977-78 to achieve the norm of one Rural Family Welfare Centre at each Primary Health Centre.

(ii) Buildings for all the Rural Family Welfare Centres which are in progress will be completed.

(iii) Greater emphasis will be laid on educational and motivational aspect of the Programme and the Family Welfare Programme will be implemented as a wholly voluntary programme.

(iv) Vacant posts of medical officers, LHVs and ANMs sanctioned for the Rural Welfare Centres will be filled.

(v) Greater emphasis will be laid on Immunization Programme both among the children and expectant mothers. Schemes of Prophylaxis against Nutritional anaemia and control of blindness among children due to Vit-A deficiency will be promoted vigorously and all methods of contraception will be given equal emphasis for propogating the small family norm.

(vi) A re-organisation of the urban centres set up on the basis of population was carried out during 1976-77. It will be ensured that in urban areas, as far as possible, urban centres are either located in hospitals or are attached to Post Partum Centres so as to render better services.

## गांवों में डाक सेवाएं

1553. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे 36,000 गांव हैं, जहां इस समय डाक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी गांवों में डाक सेवा उपलब्ध करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) :** (क) और (ख) : देश के सभी गांवों में डाक का वितरण किया जाता है। तथापि 26,942 गांव ऐसे हैं जो दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत नहीं आते :

(ग) वर्ष 1977–78 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है—

(i) बाकी 26,942 गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना का विस्तार करना।

(ii) ऐसे 5000 गांवों में, जहां डाकघर नहीं है, डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री की विक्री के लिए एजेंट नियुक्त करना;

(iii) देहाती इलाकों में 1,00,000 नए लैटर बक्स लगाना; और

(iv) चलते-फिरते डाकघरों के माध्यम से 50,000 गांवों में डाक काउंटर की सुविधाएं देना ।

## कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

1554. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना का निर्माण कार्य किस चरण में है,

(ख) क्या इस परियोजना की लागत में उसके मूल प्राक्कलन की तुलना में वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण तथा तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक ) :** (क) नेशनल ईरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ किए गए समझोते के अनुसार लौह अयस्क सांद्रण की सुपुर्दगी नए मंगलौर बन्दरगाह पर सितम्बर, 1980 से आरंभ होनी है । सिविल कार्य, उपस्करों के लिए आर्डर देने अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि, जैसे विभिन्न कार्यों में काफी प्रगति हुई है । आशा है कि ईरानी कंपनी के साथ किए गए समझोते के दायित्व पूर्ण हो जायेंगे ।

(ख) और (ग) : इसका पता तभी लग सकेगा जब अगले महीने सलाहकारों से निश्चित लागत अनुमान प्राप्त हो जायेंगे ।

**कर्नाटक में डाक तथा तार कार्यालय**

1555. **श्री डी० बी० चन्द्रे गोडा:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में, सर्किल चार कितने डाक तथा तार कार्यालय हैं ;

(ख) क्या 1975–76 के दौरान इन सर्किलों में डाक कार्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के सभी गांवों में दैनिक डाक सेवा आरम्भ करने के लिए प्रायास किए हैं ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस):** (क) कर्नाटक राज्य और कर्नाटक डाक सर्किल की क्षेत्रीय सीमाऐं एक समान हैं । इस सर्किल में 8652 डाकघर और 1730 तारघर हैं ।

(ख) वर्ष 1975–76 में 34 डाकघर खोले गए थे ।

(ग) कर्नाटक के सभी गांव दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

**राज्यों में दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नीति**

1556. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा):** (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जैसी कार्य के दैनिक और साप्ताहिक घंटे, मध्यावकाश, प्रतिष्ठानों के खुलने तथा बन्द होने का समय, मजदूरी भुगतान, ओवर टाइम, सवेतन त्यौहारी छुट्टियां, वार्षिक छुट्टी आदि विभिन्न राज्यों सरकारों के दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियमों द्वारा प्रशासित होती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने दुकानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की पुनरीक्षा की और निम्न सिफारिश की :—

"248 (क) आजकल दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य की दशाओं का नियमन, राज्यों के कानूनों द्वारा होता है। (ख) इस हेतु केन्द्रीय सरकार को एक व्यापक विधान तैयार करना चाहिए । यह विधान ऐसी इकाइयों पर लागू हो, जिनमें एक निर्धारित संख्या में कर्मचारी हों अथवा एक निर्धारित सीमा से अधिक का वार्षिक उत्पादन होता हो । (ग) वर्तमान विधान स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है । यह क्रियान्विति सन्तोषप्रद नहीं है । यह कार्य राज्य के श्रम आयुक्त को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए ।"

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी**

1557. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए एक नई योजना तैयार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने संबंधी एक योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को लोग स्वंय चुनेंगे। ऐसे कार्यकर्त्ता सामुदायिक स्तर पर रोगों की रोकथाम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और रोंगों का इलाज करने की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 5.8 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और इतनी संख्या में ही दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, डाक्टरों को काफी संख्या में देहाती क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए मेकिडल कालेजों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देहात में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए सभी लोगों का सक्रिय रूप से सहयोग प्राप्त करना है।

**गांवों में काम करने वाले डाक्टरों को प्रोत्साहन**

1558. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे डाक्टरों को, जो गांवों में काम करते हैं, प्रोत्साहन दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाने के निर्माण-स्थल का बदला जाना।**

1559. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**
**श्री पी० के० कोडियन** } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाने के निर्माण स्थल में परिवर्तन किया जाने वाला है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार उपरोक्त कारखाना कहां लगायेगी, और

(घ) सरकार का विचार इस कारखाने का निर्माण कब तक पूरा करने का है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विशाखापत्तनम में।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने अप्रैल, 1975 में मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा था। यह प्रतिवेदन सेल को सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत किया जाना है। सेल द्वारा रिपोर्ट की जांच कर लेने के पश्चात् इसे सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। अतः इस समय निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि कारखाने का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा।

**क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में अचानक दौरा**

1560. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष मई के प्रारम्भ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई का निरीक्षण करने के लिए अचानक दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वहां क्या स्थिति देखी तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये, और

(ग) क्या इसी प्रकार के तत्काल उपाय अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों विशेषकर गुजरात में अहमदाबाद स्थित कार्यालय में भी उठाये जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी ) :** (क) जी हां।

(ख) बंबई का अचानक दौरा किया गया क्योंकि बंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय नौ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से सबसे बड़ा है। इस कार्यालय में 1976 में डेढ़ लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए थे और आशा की जाती है कि 1977 में यहां से दो लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। यद्यपि हमने 30 अतिरिक्त कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छः महीने के लिए भर्ती किया है लेकिन इस कार्यालय में पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 40 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण पासपोर्ट जारी करने में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने के बावजूद अपरिहार्य विलम्ब हुआ है। इस कार्यालय के लिए आवास-स्थान, जो कि अपेक्षित स्थान का आधा है, बहुत कम होने के कारण भी यह समस्या गंभीर हो गई है। बढ़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए अमले में वृद्धि के प्रस्तावों पर तो सरकार विचार कर रही है परन्तु अभी तक पर्याप्त आवास-स्थान नहीं ढूंढ पायी है।

(ग) अमले में वृद्धि के प्रस्ताव, जो विचाराधीन हैं, केवल बंबई और अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए भी हैं जिनके कार्य में वृद्धि हो रही है। पासपोर्ट आवेदनों की कार्य-प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय विचाराधीन हैं। अहमदाबाद का पासपोर्ट कार्यालय अधिक स्थान वाले भवन में शीघ्र जाने वाला है।

**गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित आवेदन-पत्र**

1561. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गूजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और भावनगर में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में अभी कितने आवेदन पत्र हैं ;

(ख) क्या सरकार प्रतीक्षा सूची में दर्ज नामों तथा अतिरिक्त मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रही है और यदि हां, तो कैसे और अनुमानतः किस तिथि तक इन मांगों को पूरा किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त नगरों में प्राथमिकता की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अनेक व्यक्तियों जैसे मेडिकल डाक्टरों को अभी भी उनके निवासस्थानों, घरों अथवा उपचार गृहों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस :** (क) प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार आवेदकों की संख्या का उल्लेख नीचे किया गया है :—

| सं० | स्थान का नाम | ओ-वाई-टी | विशेष | सामान्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अहमदाबाद | 367 | 1204 | 7514 | 9085 |
| 2. | बड़ौदा | 342 | 120 | 1742 | 2204 |
| 3. | सूरत . | 75 | 29 | 4007 | 4111 |
| 4. | राजकोट . | कोई नहीं | 1 | 215 | 216 |
| 5. | भावनगर . . . | कोई नहीं | 4 | 178 | 182 |

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज मांगों और अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. **अहमदाबाद :** नदी के पूर्वी ओर के इलाके की मौजूदा मांग रेलवे पुरा एक्सचेंज में 13000 लाइनों के विस्तार से पूरी की जाएगी। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में यह कार्य हो जाएगा। भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए 3000 लाइनों वाला एक नया एक्सचेंज (39) खोलने का प्रस्ताव है। आशा है कि 1980-81 तक यह एक्सचेंज स्थापित हो जाएगा। नदी के पश्चिम की तरफ के इलाके के लिए नवरंगपुरा एक्सचेंज में 2000 लाइनों का विस्तार करने और वासना में 3000 लाइनों का एक एम-ए-एक्स–1 टाइप एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। आशा है कि वर्ष 1978-79 के दौरान में यह अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। इससे इस इलाके की मौजूदा मांगों और आने वाली अतिरिक्त मांगों की पूर्ति की जाएगी।

2. **बडौदा :** वर्ष 1977-78 के दौरान क्रासबार एक्सचेंज में 1000 लाइनों के खोलने का कायक्रम है। इस एक्सचेंज में 1979-80 में 3000 लाइनों का और विस्तार करने की योजना है। आशा है कि तब मौजूदा मांगे पूरी कर दी जाएंगी।

3. **सूरत :** सूरत एक्सचेंज प्रणाली में चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में क्रमशः 1000 लाइनों और 1200 लाइनों का विस्तार करने का कार्यक्रम है। टेक्सटाइल मार्किट में प्रारम्भ में 3000 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। इसके लिए एक इमारत बनवानी है। आशा है कि वर्ष 1982-83 तक यह इमारत तैयार हो जाएगी और एक्सचेंज के 1983-84 में खुल जाने की संभावना है।

4. **राजकोट :** मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए काफी क्षमता उपलब्ध है। भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए 1979-80 में 1200 लाइनों के विस्तार की योजना है।

5. **भावनगर :** इस समय की मांग को पूरा करने के लिए एक्सचेंज को मौजूदा क्षमता काफी है। वर्ष 1977-78 के दौरान 300 लाइनों के विस्तार को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस एक्सचेंज के आगे और उचित विस्तार की योजना आगे उत्पन्न होने वाली अनुमानित मांगों पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) गैर ओ-वाई-टी विशेष श्रेणी में कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने वाले आवेदकों की संख्या जिसमें डाक्टर भी शामिल हैं नीचे दी गयी है :—

| क्र० सं० | स्थान | विशेष क्षेणी के अन्तर्गत कुल बाकी पड़ी मांगे |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदाबाद | 1204 |
| 2. | बड़ौदा | 120 |
| 3. | सूरत | 29 |
| 4 | राजकोट | 1 |
| 5. | भावनगर | 4 |

प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की मांग पूरा करने के लिए दिए गए प्रत्येक 100 कनेक्शनों में 10 कनेक्शन गैर ओ-वाई-टी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। आशा है कि इस आरक्षण से कुल मिलाकर इस मांग की पूर्ति कर दी जाएगी।

**अहमदाबाद में मच्छर**

1562. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद की जनता विशेष रूप से दक्षिण क्षेत्र और साबरमती नदी के तटों पर रह रहे व्यक्ति, नगर मल-प्रवाह क्षेत्र में पैदा होने वाले मच्छरों से निरन्तर और बुरी तरह परेशान रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को स्थायी रूप से सुधारने और हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) और (ख) जी हां। इस समस्या को कम करने के लिये अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी पहले से ही दवाई जहाज से आर्गेनी फासफोरस कीटनाशक दवाइयां छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसका स्थायी हल यही है कि मल शोधन के लिए कोई मल शोधन संयंत्र लगाया जाये और शोधित पानी को ही नदी में छोड़ा जाये। मल का उपयोग घास उगाने के लिये नहीं करने देना चाहिए।

**बेरोजगारों के लिए रोजगार**

1563. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, मार्च, 1977 तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या उन्हें रोजगार प्रदान करने की कोई बड़ी योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) उपलब्ध सूचना 31 मार्च, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से संबंधित है जो कि सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं जिसे संलग्न विवरणी में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) सरकार को बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता की जानकारी है और वह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर उचित बल के साथ रोजगारोन्मुख कौशल का अनुसरण करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं और समूचे ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति की लाइन में 1977-78 के केन्द्रीय बजट का उद्देश्य पैदावार की ऊंची दर को प्राप्त करने में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना तथा कृषि, लघु तथा ग्रामीण उद्योग में ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल धन लगाने पर बल द्वारा रोजगार प्राप्त करना है।

विवरण

(हजारों में)

| क्र० सं० | राज्य/संघ-शासित क्षेत्र | 31-3-1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **राज्य** | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 715.7 |
| 2. | असम | 207.5 |
| 3. | बिहार | 1017.5 |
| 4. | गुजरात | 407.7 |
| 5. | हरियाणा | 244.9 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 89.1 |
| 7. | जम्मू-व-कश्मीर | 47.0 |
| 8. | कर्नाटक | 487.0 |
| 9. | केरल | 781.0 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 612.8 |
| 11. | महाराष्ट्र | 877.6 |
| 12. | मणिपुर | 50.2 |
| 13. | मेघालय | 13.4 |
| 14. | नागालैण्ड | 2.4 |
| 15. | उड़ीसा | 353.4 |
| 16. | पंजाब | 319.0 |
| 17. | राजस्थान | 268.7 |
| 18. | सिक्किम | — |
| 19. | तमिलनाडू | 881.1 |
| 20. | त्रिपुरा | 52.9 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1241.5 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 1235.5 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | |
| 1. | अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह | 4.1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — |
| 3. | चण्डीगढ़ | 40.2 |
| 4. | दादर व नागर हवेली | — |
| 5. | दिल्ली | 228.1 |
| 6. | गोआ | 31.4 |
| 7. | लक्षद्वीप | 2.6 |
| 8. | मिजोरम | 6.0 |
| 9. | पांडिचेरी | 20.5 |
| | अखिल भारतीय योग | 10,238.7 (सं०) लगभग एक करोड़ 2 लाख 38 हजार सात सौ |

नोट : 1. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

2. इन राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

3. दिल्ली तथा महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन केन्द्रों के संबंध में आंकड़ें सम्मिलित नहीं हैं।

4. राऊंडिंग आफ के कारण आंकड़े योग में एड अप न हों।

5. सं० संशोधित।

**दिल्ली अस्पतालों में मेडिकल सोशल वर्करों की सेवा शर्तें और वेतनमान**

1564. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के मैडिकल सोशल वर्करों से उनकी काम की शर्तों, दर्जा तथा वेतनमान के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब और हरियाणा में मैडिकल सोशल वर्करों का दर्जा बढ़ा दिया गया है जिससे उन्हें अपना कार्य दक्षतापूर्वक करने में सहायता मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत मैडिकल सोशल वर्करों की सेवा-शर्तों, वेतनमानों आदिको सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) जी नहीं, किन्तु दिल्ली अस्पतालों के चिकित्सा/मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्त्ता/स्वास्थ्य शिक्षक संघ के अवैतनिक सचिव ने 8 जून, 1977 को हुई दिल्ली अस्पताल बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में मैडिकल सोशल वर्कर्स की सेवा शर्तों के बारे में एक पद शामिल करने का सुझाव दिया था। परन्तु इस पद को उक्त बैठक की कार्यसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड की बैठक की कार्यसूची पहले ही काफी बड़ी थी।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) मेडिकल सोशल वर्कर्स के पदों के लिए उच्चतर वेतनमान देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा का निर्धारण**

1565 **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक ओर भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका में और दूसरी ओर भारत, इंडोनेशिया और बर्मा के बीच त्रिपक्षीय सीमा निर्धारण संबंधी समझौता भी हुआ है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) 8 अगस्त, 1974 और 14 जनवरी 1977 के समझौतों के अधीन भारत और इंडोनेशिया के बीच की महाद्वीपीय शेल्फ सीमा हिन्द महासागर के दूरतम बिन्दू से अन्डमान सागर के उस बिन्दू तक सीमांकित कर दी गई है जोकि भारत तथा इंडोनेशिया और थाइलैंड के बीच संभावित त्रिसंगम के बहुत निकट है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका तथा भारत; इंडोनेशिया और बर्मा के बीच कोई संभावित त्रिसंगम नहीं है।

**स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटड का पुनर्गठन**

1566. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का पुनर्गठन करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनर्गठन करने का सम्पूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस प्रश्न पर जब अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा तो उसका प्रभाव कुछ हद तक सेल के ढांचे पर भी पड़ सकता है ।

**राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम का असफल होना**

1567. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षयरोग एसोसियेशन ने कहा है कि राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम असफल रहा है ;

(ख) क्या देश में इस भीषण रोग की रोक-थाम के लिये कोई सुझाव दिये गए हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) जी हां। भारतीय क्षयरोग संघ ने भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मार्च 1975 में दिए गए अपने ज्ञापन में यह बताया था कि राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम की स्थिति और प्रगति बहुत ही असंतोषजनक थी और इसकी उपलब्धियां अपर्याप्त और अपेक्षाओं से कम थी।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को विशेष समिति ने जो कि भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर शक्ति प्रदत्त समिति तथा भारतीय टी० ओ० एसोसिऐशन द्वारा गठित की गई थी, सुझाव दिए हैं कि इस कार्यक्रम को फिर से चालू किया जाए ।

(ग) देश में राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कदम उठाये जा रहे हैं वे इस प्रकार है :—

(1) देश के प्रत्येक जिले में समुदाय-वार एक जिला क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना करना ।

(2) बी० सी० जी० वैक्सीनेशन को सामान्य स्वास्थ्य सेवा के साथ समन्वित करना ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोगियों का पता लगाने के लिए जिसमें थूक के स्मीयर्स एकत्र करना और घर जाकर उपचार करना भी शामिल है, चिकित्सा अधि-

कारियों और बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ताओं (पुरुष और महिलाओं) को शामिल करना ।

(4) राज्यों के जिन जिला क्षयरोग केन्द्रों में अभी तक उपकरण नहीं हैं उन्हें सुसज्जित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के जरिये एक्स-रे उपकरण प्राप्त करना ।

(5) राज्य क्षय रोग केन्द्रों को फिर से सक्रिय रूप से चलाना तथा उन्हें कार्यक्रम मानिटरिंग तथा पर्यवेक्षण कार्य के लिए लगाना ।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में बाल चिकित्सकों, निजी चिकित्सकों तथा सामाजिक नेताओं को शामिल करना ताकि इसमें समुदाय का पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

(7) क्षयरोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा को एक व्यापक अभियान के रूप में आरम्भ करना ।

(8) छठी योजना में केन्द्रीय पोषित योजना के रूप में राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव करना ।

**चसनाला समिति का प्रतिवेदन**

1568. **श्रीमती मृणाल गोरे**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी** } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चसनाला कोयला खान दुर्घटना के बारे में की गई जांच का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) क्या इस समिति ने खान श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में कोई टिप्पणियां की हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ; और

(घ) सरकार ने कितनी टिप्पणियां कार्यान्वित की हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) चसनाला कोयला खान में दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 और 5 अप्रैल, 1976 को हुई दुर्घटनाओं के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय की रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

(ख) और (ग) दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के अतिरिक्त, न्यायालय ने कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम 127 में संशोधन करने के कुछ सुझाव भी दिए हैं ।

(घ) न्यायालय की निष्कर्ष/सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

## ABOLITION OF FORCED LABOUR

1569. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that practice of forced labour is still prevalent in many places; and

(b) if so, the action being taken by Government to put an end to the practice ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) & (b) Information is being collected.

## SCHEME FOR DEVELOPMENT OF AYURVEDIC SYSTEM OF MEDICINE

1570. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the comparative statement of expenditure incurred annually during the last two years by the Central Government on the education and research on allopathic and Ayurvedic systems of medicines;

(b) whether Government are paying more attention to allopathic system than ayurvedic system; and

(c) if not, the scheme being formulated by Government for proper development of ayurvedic system of medicine during Five Year Plan ?

MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(b) & (c) Government are paying increasing attention to the development of Indian Systems of Medicine. While in the first Five Year Plan there was a provision of Rs. 40.0 lakhs only for the development of I.S.M. an outlay of Rs. 10.2 crores has been made for this purpose in the Central Sector of the Fifth Plan. This provides for schemes for strengthening of post-graduate departments in I.S.M.; establishment if National Institutions in Ayurved, Unani and Naturopathy; development of Pharmacies and herb gardens, preparation of pharmacopoea in ayurveda, unani and Sidda and conducting research in various branches of I.S.M., etc.

## HOUSING FACILITY TO NURSES

1571. SHRI ISHWAR CHOUDHARY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether nurses working in hospitals in Delhi and other big cities in the country have to face great difficulty in the absence of any housing facility;

(b) whether a memorandum has recently been submitted to him; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) (b) & (c) Yes. The Delhi Nurses Association have represented that the nursing personnel are facing difficulty in the absence of residential accommodation near the Hospital and have, in particular, requested that the D.D.A. flats lying vacant at Safdarjang Enclave (Raj Nagar) may be given to the nursing personnel of Safdarjang Hospital or any other accommodation near the Hospital. This request is under consideration in consultation with the Ministry of Works and Housing. Besides, a proposal to construct a hostel for staff nurses and student nurses providing accommodation for 365 nurses and for 126 student nurses in dormitory etc. at an estimated cost of Rs. 1.35 crores approximately at Safdarjang Hospital is under consideration.

**जोहान्सबर्ग से भारतीयों को निकाला जाना**

1572. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोहान्सबर्ग में रहने वाले भारतीयों को वहां से उन्हें 80 वर्ष रहने के बाद निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनको निकाले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) और (ख) जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है वे भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रिक, मुख्यतः व्यापारी हैं । दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अपने 'वर्ग क्षेत्र अधिनियम' के अन्तर्गत उनके रहने की जगह 'पेज ब्यू' को 'श्वेत क्षेत्र' घोषित कर दिया और उन्हें एक नये विक्रय केंद्र 'ओरिऐंट प्लाजा' चले जाने का आदेश दिया जिसका निर्माण विशेषकर भारतीय मूल के व्यापारियों के लिए ही किया गया है । बताया जाता है कि इससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनमें से कुछेक परिवार अस्सी वर्षों के लम्बे अरसे से 'पेज ब्यू' में रह रहे थे ।

(ग) भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी सरकार की जातीय पृथग्वासन की हमेशा निंदा की है और वर्ग क्षेत्र अधिनियम इसी का अभिन्न अंग है ।

हम संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्यत्र भी जातिवाद के विरुद्ध अभियान में सदा आगे रहे हैं और हमने दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक समानता के संघर्ष में राजनीतिक और व्यावहारिक समर्थन दिया है । जोहन्सबर्ग में व्यापारियों को हाल ही में जिस तरह परेशान किया गया है उसे हम पृथग्वासन नीति की एक और निन्दनीय अभिव्यक्ति मानते हैं जिसका हम निश्चय विरोध करते रहेंगे ।

**डा० फिलीपोज कोशी का आयोग से त्यागपत्र**

1573. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण को दिये गये इलाज के स्वरूप के बारे में जांच करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित किये गये एक सदस्यीय आयोग से डा० फिलीपोज कोशी ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो त्याग-पत्र का मुख्य कारण क्या था;

(ग) मई, 1977 में उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और मंत्री महोदय के विचारों को स्वीकार न करने पर उन्हें नजरबंद रखा गया था; और

(घ) क्या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) और (ख) : डा० फिलीपोज कोशी ने एक सदस्यीय आयोग से इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि उनके लड़के की पी० जी० आई० चण्डीगढ़ में नियुक्ति होने से एक विवाद खड़ा हो गया था । सरकार ने डा० फिलीपोज कोशी का त्यागपत्र 13 मई, 1977 से मंजूर किया ।

(ग) डा० फिलीपोज कोशी को इस जांच से संबंधित कागजात अपने उत्तराधिकारी को सौंपने के लिए मई, 1977 में दिल्ली आने के लिए कहा गया था । डा० कोशी को न तो घर में नजरबन्द रखा गया और न उन्हें मन्त्री के विचार मानने के लिए बाध्य करने की कोई कोशिश की गयी ।

(घ) डा० फिलीपोज कोशी के स्थान पर डा० नागप्पा अलवा का एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है ।

**काश्मीर**

1574. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर के प्रश्न को सदा के लिये ही हल कर लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

**विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) और (ख) हाल ही के कई वक्तव्यों में पाकिस्तान के नेताओं ने निकट भविष्य में काश्मीर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श का समर्थन किया है ।

**परिवार नियोजन कार्य को स्थगित करना**

1575. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से निदेश प्राप्त न होने के कारण परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त कार्य स्थगित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को पहले शुरू किये गये कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कहा गया है ; और

(घ) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का आगे सुधार करने के लिये इन राज्यों को कोई संशोधित योजना भेजी गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)**: (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की नीति और पैटर्न की विशेषकर वर्तमान सरकार की इस घोषित नीति को ध्यान में रखकर कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेजी के साथ पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाएगा, समीक्षा की है । इस प्रयोजन के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम की संशोधित नीति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया । राज्य सरकारों को जो-जो विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :--

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम को बिना किसी जोर जबर्दस्ती और दबाव के पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाए ।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम न केवल देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है, बल्कि प्रत्येक परिवार के कल्याण, सुख एवं समृद्धि के लिए भी इसका विशेष महत्व है ।

(3) शिक्षा और प्रेरणा देना, गर्भरोधन के सभी तरीकों पर समान बल देकर सेवाएं करना तथा शहरी और देहाती इलाकों में प्रसूताओं और बच्चों दोनों की देख-रेख पर अधिक ध्यान देना इस कार्यक्रम की क्रियान्वित का आधार स्तम्भ होना चाहिए ।

**व्यास परियोजना में काम करने वाले श्रमिकों को उपदान का लाभ दिया जाना**

1576. **श्री दिनेश जोरदर:** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि व्यास परियोजना के काम करने वाले श्रमिकों को उपदान का लाभ नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनको यह लाभ देने पर विचार कर रही है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा):** (क) यह सूचित किया गया है कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन हकदार श्रमिकों को उपदान के भुगतान से वंचित नहीं किया जाता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**रिलाइंस फायरब्रिक्स एण्ड पौटरीज़ कम्पनी लिमिटेड, धनबाद का राष्ट्रीयकरण**

1577. **श्री ए० के० राय:** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चास पौटरी जिला धनबाद स्थित रिलाइंस फायरब्रिक्स एण्ड पौटरीज कम्पनी लिमिटेड नामक कारखाने के सैरेमिक श्रमिकों की ओर से कारखाने के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार को संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा):** (क) और (ख) शायद संकेत इस एकक के राष्ट्रीयकरण के संबंध में जून, 1977 में श्रम मंत्रालय में प्राप्त बिना तारीख के अभ्यावेदन की ओर है । इसे उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को छान-बीन के लिए भेज दिया गया है ।

**प्यूरटोरिकन का प्रश्न**

1578. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्यूरटोरिकन के प्रश्न पर क्या रुख अपनाया है ।

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र की हाल की बैठक में भारत ने जो रुख अपनाया है वह अब तक अपनाये जा रहे रुख से बिल्कुल भिन्न है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) भारत ने, उपनिवेशों को समाप्त करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति द्वारा 30 अगस्त, 1973 को पारित प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था जिसके कार्यकारी पैराग्राफों में दूसरी बातों के अलावा "प्यूर्टोरिको के लोगों के आत्म-निर्णय और स्वाधीनता के अविच्छेद्य अधिकार की" पुनः पुष्टि की गई है, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से निवेदन किया गया है कि वह "ऐसा कोई कदम न उठाये जिस से उक्त अधिकार के पूर्ण और स्वतंत्र प्रयोग में बाधा पड़ सकती हो" और समिति के संवक्ता से इस प्रश्न पर समस्त संगत जानकारी एकत्र करने' का अनुरोध किया गया है और साथ ही इस प्रश्न पर बराबर विचार करते रहने का निर्णय लिया गया है ।

मतदान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि उसके प्रतिनिधि मंडल ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत मुख्यतः उस पैराग्राफ के कारण दिया है जिसमें समिति के संवक्ता से इस प्रश्न पर समस्त उपयुक्त जानकारी एकत्र करने का अनुरोध किया गया है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रस्ताव की उन व्यवस्थाओं के संबंध में उनके प्रतिनिधि मंडल के आरेक्षणों को नोट कर लिया जाए जिनका संबंध इस मामले की विषयवस्तु से है और जोकि समिति को उपलब्ध अधूरी जानकारी के संदर्भ में अपरिपक्व-सी लगती हैं ।

(ख) और (ग) उपनिवेशों को समाप्त करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति की 1974, 1975, और 1976 की बैठकों में भारत ने विशेष समिति के अगले अधिवेशनों तथा प्यूर्टोरिको के प्रश्न पर विचार स्थगित रखने का समर्थन किया था ।

इस प्रश्न पर भारत सरकार की वर्तमान नीति में प्यूर्टोरिको में नवम्बर, 1976 में हुए चुनावों को भी ध्यान में रखा गया है ।

**मैसर्स जयपुर उद्योग सीमेन्ट कारखाने के विरुद्ध भविष्य निधि की राशि न जमा किए जाने के बारे में कार्यवाही**

1579. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री मैसर्स जयपुर उद्योग सीमेंट कारखाने द्वारा भविष्य निधि के राशि के जमा न किए जाने के बारे में 6 मई, 1676 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जयपुर उद्योग सीमेंट कारखाने द्वारा किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा तथा समय पर वर्तमान अंशदान जमा करने के बारे में शर्तों का घोर उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) भविष्य निधि की राशि जमा करने में विलम्ब से उक्त फर्म के कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि फरवरी, 1974 से जुलाई, 1974 की अवधि के लिए किश्त भुगतान सुविधा की शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्थान के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मई, 1975 में किश्त भुगतान सुविधा संबंधी अनुमति वापस ले ली । बकाया राशियों की वसूली

के लिए, सवाई माधोपुर के कलेक्टर को प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं कि वह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन इन राशियों को भूराजस्व की बकाया राशियों के रूप में वसूल करें । इसके अतिरिक्त, अधिनियम, की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले चलाए गए और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस अधिकारियों के पास शिकायतें दायर की गईं । अप्रैल, 1976 में मैसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाईमाधोपुर के प्रबन्धक बदल गए और इस प्रतिष्ठान ने 15.85 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया है । आशा है कि तीन लाख रुपए की बकाया राशि अगस्त, 1977 तक वसूल हो जाएगी । वे चालू अंशदान का भुगतान समय पर कर रहे हैं ।

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान देर से करने के कारण किसी श्रमिक पर प्रभाव नहीं पड़ा है । भविष्य निधि प्राधिकारियों को निपटान हेतु जब कभी कोई भी दावा प्राप्त हुआ है, तो वे भविष्य निधि की बाबत कर्मचारियों तथा नियोजकों दोनों के हिस्से का भुगतान करते रहे हैं ।

**सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों का सेवा में बहाल किया जाना**

1580. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सभी कर्मचारियों को जिन्हें आपात स्थिति के दौरान दण्ड दिया गया था, सेवा में बहाल करने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सभी उद्योगों सहित गैर-सरकारी क्षेत्र में इस संबंध में क्या रुख अपनाया जा रहा है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों के ऐसे कर्मचारी, जो आंतरिक सुरक्षा कानून या भारतीय रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम के अधीन कैद में रहने के कारण या उनका ऐसे संगठनों से संबंध होने के कारण जिन पर या तो पिछली केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था या जिनके हक में तत्कालीन सरकार नहीं थी, अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की वजह से उनके नियोजकों द्वारा आपातकाल के दौरान सेवा से मुक्त, या बर्खास्त कर दिए गए थे, उनको अपने नियोजकों द्वारा तत्काल सेवा में लिया जाना अपेक्षित है । अन्य कर्मचारियों के मामले में जिन्हें आपात स्थिति के दौरान आपातकाल के वातावरण का लाभ उठा कर उनके नियोजकों द्वारा विधिवत कार्रवाई और निर्धारित पद्धति का पालन किए बिना तथा स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किए बिना सेवा मुक्त या बर्खास्त किया गया था, उनके मामलों पर नियोजकों द्वारा पुनरीक्षा करनी और संबंधित कर्मचारियों को अपना बचाव का मौका देना अपेक्षित है । इस प्रयोजन के लिए संराधन तंत्र को यह निर्देश दिया गया है कि वह पक्षकारों को बुलाए और पारस्परिक सन्तोष-

प्रद सामाधान को बढ़ावा दें और जहां कहीं यह संभव नहीं है वहां औद्योगिक विवाद न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(ग) ऐसा कोई दृष्टांत जो इस निर्णय को लागू करने के विरोध से संबंधित है, निजी क्षेत्र के नियोजकों, जिनमें उद्योग भी शामिल हैं, के बारे में सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

**डाक्टरी चिकित्सा के बारे में वृहद् योजना**

1581. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों में जनता को डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अपनी वृहद् योजना के अंग के रूप में आयुर्वेद, युनानी तथा होमियोपैथि चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने तथा उन पद्धतियों से इलाज कराने पर विचार करेगी; और

(ख) क्या सरकार बड़ी संख्या में उपलब्ध, उन परम्परागत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की प्रतिभा का उपयोग करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी जिन्हें पर्याप्त अनुभव तो है परन्तु जिनके पास शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) जी हां ।

(ख) चाहे वह स्कूल-अध्यापक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो अथवा स्थानीय चिकित्सक कोई भी हो, इस योजना के अनुसार लोग किसी भी ऐसे आदमी को चुन सकते हैं, जिसमें समाज की सेवा करने की प्रवृति और रुचि हो । वैसे यह अच्छा होगा यदि वह पढ़ा लिखा हो और यदि मैट्रिक स्तर तक पढ़ा हो तो और भी अच्छा है । जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों को इस संबंध में उपयुक्त छूट दी जा सकती है ।

POSTS AND TELEGRAPHS AND TELEPHONE FACILITIES TO VILLAGES

†1582. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN
SHRI S. R. DAMANI } : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) in view of the statement that the Government want to give top priority to provide posts and telegraphs facilities to the villages which are not having these facilities, whether the Government has made any list of those villages in India.

(b) if so, the State-wise break-up of the number of those villages;

(c) the steps taken so far to implement this scheme;

(d) whether Government also intend to provide telegraphic facilities and telephone facilities also to rural and backward areas which are not so far having these on a priority basis; and

(e) if so, the salient features of this proposal ?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) & (b) Telecom.

Yes, Sir. A decision has been taken to extend telegraph facilities to all locations which are—

(a) District Headquarters;

(b) Sub Divisional Headquarters;

(c) Tehsil Headquarters;

(d) Sub Tehsil Headquarters;

(e) Block Headquarters, or

(f) which have a population of more than 10,000.

even though the provision of such services may entail loss. A break up showing the number of such locations yet to be provided with telegraph facilities is given in Annexure I.

*Postal* :—A list is given in Annexure II.

*Telecom*

(c) The target for providing telegraph facility under the 5th Five Year Plan is 4,500. So far, 2820 locations have been provided with telegraph facility.

*Postal*

(i) 2,45,383 villages have been brought under the daily delivery scheme from 1-4-74 to 31-3-77.

(ii) 3,482 post offices have been opened in rural areas during the same period.

(iii) 2710 agents have been appointed for sale of postage stamps and postal stationery in rural areas during 1976-77.

(iv) 18834 letter boxes have been installed in villages in 1976-77.

(v) All village postmen and Extra Departmental Delivery Agents have been authorised to sell postage stamps and postal stationery while on their beats.

(d) & (e) Apart from the locations which are eligible for provision of telegraph facilities without consideration of revenue, there are other locations which are eligible for provision of telegraph and telephone facilities under certain conditions. Full details are furnished in Annexure III (pages 1, 2 & 3). It will be noted that the terms for provision of facilities in respect of backward and hilly areas are much more liberal compared to normal areas.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 490/77].

GOVERNMENT POLICY FOR LABOUR PARTICIPATION IN MANAGEMENT

1583. SHRI YAGYA DATT SHARMA<br>SHRI PRADYUMNA BAL } : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the Government policy in regard to labour participation in management; and action taken in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Government policy is to ensure full and effective participation of labour in management. This matter was discussed at the recent Tripartite Labour Conference and a tripartite Committee is being appointed to study and report on this; the Committee will also consider the experience of the schemes of workers' participation introduced in the recent past.

MEMORANDA WITH REGARD TO EXCESSES IN STERILIZATION DURING EMERGENCY

1584. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have received memoranda or representations regarding excesses committed in the matter of sterilization during the emergency; and

(b) if so, the reasons for not laying down a general policy in this regard, so far ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir.

(b) It is the decided policy of the Government that no excesses, coercion or compulsion of any sort should be allowed in the implementation of the Family Welfare Programme. The complaints of excesses during emergency received by the Central Government have been sent to the State Governments and the implementing agencies for taking appropriate action after enquiry into them. Grievance Cells have been set up under the Central Government and the State Governments to process such complaints promptly and for ensuring redressal of grievances.

TELEPHONE CONNECTIONS IN DELHI

†1585. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of pending applications for telephone connections in Delhi upto March, 1977;

(b) the number of persons among them who will get the telephone connections during this year; and

(c) the time by which the remaining persons are likely to get the connections ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) 42,652 applications were pending as on 31-3-77.

(b) It is expected that about 16,000 applicants among them will be provided with telephone connections during 1977-78.

(c) Under the present rules for allocation of telephones, 75% of the connections are provided against OYT demand and the rest 25% are available for non-OYT (general and special) applicants. Actual allocation of connections as and when capacity permits will depend on the demand for telephone connections under OYT category at the time of allotment. No definite time limit can be specified by which all the remaining applicants as on 31-3-1977 would be provided with telephones. It is expected that about 75% of the waiting list will be provided with connections by June, 1979.

POST OFFICES IN REMOTE AREAS

†1586. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of post offices upto March, 1977 in remote areas in the country;

(b) the area and number of villages covered by them; and

(c) the future plan for improving the position ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) & (b) For purposes of extending postal facilities, the areas have been classified as Urban and Rural. The Rural areas include "Very Backward areas" which have been declared as such. On 31-3-77, there were 1,08,491 Post Offices in Rural areas including 15,581 in very backward areas. A rural Post Office, on an average, covers 30.2 Sq. Kms. and about 6 villages.

(c) It is proposed to open 3100 new Post Offices in Rural areas in 1977-78. A substantial number of these Post Offices will be opened in Very Backward areas. Many of these Post Offices will be mobile Post Offices so as to provide postal counter facilities to more than one village.

One lakh letter boxes are proposed to be installed in rural areas during 1977-78. A good percentage of these letter boxes will be planted in Very Backward areas if postal traffic so warrants.

## राज्यों द्वारा खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिया जाना

1587. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दे रहे हैं;

(ख) कितने राज्य खेतिहर राज्यों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं दे रहे हैं; और

(ग) सरकार ऐसी क्या नीतियां अपनाना चाहती है जिनसे खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने के लिए संवैधानिक गारंटी मिल जाये ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) और (ख) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन खेतिहर श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की हैं ।

(ग) सरकार 10 वर्ष की नियत समयावधि में गरीबी को दूर करने के लिये बचनबद्ध है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार रोजगारोन्मुख नीति का अनुपालन करेगी, जिसके अन्तर्गत कृषि, कृषि आधारित उद्योग लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का दर्शाने वाला विवरण जिनमें न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 के अधीन खेतिहर श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है ।

### राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र प्रदेश
11. मणिपुर

**राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**

12. मेघालय
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. तमिल नाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल
20. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
21. चण्डीगढ़
22. दादर और नागर हवेली ।
23. दिल्ली
24. गोवा दमण और दीव
25. पांडिचेरी ।

**जनकपुरी नई दिल्ली में महामारी का फैलना**

1588. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित रिहायशी कालोनी जनकपुरी में महामारी फैलने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं तथा इस महामारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनकपुरी में 6 नवम्बर 1976 से 16 मार्च 1977 तक 1028 व्यक्ति वाइरल हेपाटाईटिस से ग्रस्त हुए थे जिनमें 4 की मृत्यु हुई बताई गई है । जनवरी 1977 के अन्त में इस रोग की घटनाओं में कमी आना शुरू हो गई और 22 अप्रैल 1977 के बाद इसके किसी रोगी के होने की रिपोर्ट नहीं मिली ।

मल की नालियों के रिसने से पीने के पानी के दूषित होने और अनजाने में एकत्र हुए मल से भूमिगत जल के दूषित होने के कारण यह महामारी हुई है । सरकार ने जो रोकथाम के उपाय किए हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. अस्थाई पानी की नालियों से पीने के पानी का वितरण किया गया, क्षेत्र के कम गहरे नलकूपों को बंद किया गया, जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी गई, रोगियों की सक्रिय खोज कर उनका निदान किया गया, पानी प्रदाय करने वाली नालियों और मल की बड़ी नालियों को ठीक किया गया ।

2. रक्त पेशाब और पानी के नमूनों की नियमित रूप से जांच की जा रही है ।

3. इस कालोनी के निवासियों के साथ अच्छा सम्पर्क रखा जा रहा है और उनकी सभी शिकायतों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

4. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने नगर निगम से मिलकर महामारी के फैलाने के कारणों का पता लगाया ।

5. 27-3-77 तक 4622 व्यक्तियों को गामा ग्लोबुलिन (ह्यूमन) के टीके लगाए गए थे ।

SPRAYING OF D.D.T. AND LARVICIDAL OIL AGAINST SPREAD OF MALARIA IN DELHI

1589. SHRI SHIV NARAIN SARSUNIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether D.D.T. has not been sprayed in Delhi City, Sadar and Karol Bagh for the last two years as a result of which mosquitoes are breeding and Malaria is spreading :

(b) the time by which arrangement is proposed to be made for D.D.T. spray, Malathian and B.H.C. spray in each house to check malaria; and

(c) whether larvicidal oil is also not being sprayed in small and big drains and pits in the said areas for the last one month and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) & (b) In urban areas insecticidal spray is not undertaken for mosquito control. Anti larval measures are undertaken to check breeding of mosquitoes. Pyrathrum spray is conducted in and around the houses of malaria patients only.

(c) Mosquito larvicidal oil or alternative larvicides like baytex and pyrosene oil emulsion etc. are being used for controlling the mosquito breeding in all areas of Delhi including Delhi city, Sadar and Karol Bagh.

RECOGNITION TO DESU TRADE UNION

1590. SHRI SHIV NARAIN SARSUNIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :—

(a) the number of unions functioning in Delhi Electricity Supply Undertaking (MCD) at present and their names;

(b) whether Delhi Electricity Supply Committee had accorded recognition to the DESU Trade Union of the Undertaking;

(c) if so, the reasons for not enforcing the resolution in the Undertaking adopted by the Committee; and

(d) whether the management of Delhi Electricity Supply Undertaking is holding talks with all the Unions except this Union and if so, the reasons for this discrimination ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Five trade unions namely (1) Delhi State Electricity Workers Union, (2) Delhi State Electricity Board Employees Union, (3) Delhi Electricity Supply Undertaking Mazdoor Congress, (4) Delhi Electricity Supply Undertaking Mazdoor Sangh and (5) Delhi Electricity Supply Undertaking Workcharge Union, are at present functioning in Delhi Electric Supply Undertaking (M.C.D.).

(b) No union under the name of 'DESU Trade Union' exists in the Delhi Electric Supply Undertaking.

(c) Does not arise.

(d) The management of D.E.S.U. have been holding talks with the Delhi State Electricity Workers Union, Delhi State Electricity Board Employees Union, Delhi Electric Supply Undertaking Mazdoor Congress, on their request. The request from Delhi Electric Supply undertaking Mazdoor Sangh is under consideration of the DESU management; no such request has been received so far from the Delhi Electric Supply Undertaking work-charge Union.

'EXEMPTION FROM ESIS TO CLERKS IN DELHI CLOTH MILL'

1591. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether memoranda for exemption from E.S.I. Scheme under Section 88 have been submitted to the Ministry and Delhi Administration on behalf of 1200 clerks of Delhi Cloth Mill;

(b) if so, the steps taken for providing facilities to these middle class and poor people;

(c) whether it has resulted in the reduction in wages of each of these clerks by Rs. 60/- because the allowance received by them at the rate of four and a half percent of the pay for medical facilities and city compensatory allowance has been stopped by Delhi Cloth Mill and deductions towards their contribution to ESIS have also been started; and

(d) the time by which they will get exemption from the E.S.I. Scheme ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes. A representation has been received in the Ministry of Labour.

(b) & (c) Under the existing policy, any person or class of persons employed in any factory or establishment may be granted exemption from the operation of the provisions of the ESI Act, 1948, provided that the employees are, on an overall assessment, in receipt of benefits which are superior or substantially similar to those provided under the Act. In the present case, the Employees' State Insurance Corporation has reported that the benefits, cash as will as medical, available to the clerical staff of the D.C.M. have been found to be inferior to those provided under the ESI Act and as such, they are not eligible for exemption.

(d) Does not arise.

**आसाम में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि**

1592. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए कर्मचारियों के अंशदान बकाया राशि निरन्तर बढ़ती जा रही है; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की बकाया राशि कम हो रही है ।

(ख) देय राशियों की वसूली के लिए दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन शीघ्र और सामयिक कार्रवाई की जाती है और जो लगातार दोषी रहते हैं उन पर भी अधिनियम की धारा 85 के अधीन अभियोजना चलाए जाते हैं । दण्ड भी लगाए जाते हैं जो दोषी नियोजकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करते हैं ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की होम्योपैथिक पद्धति लोकप्रिय बनाना**

1593. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की होम्योपैथिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** (क) और (ख) जी हां । ग्राम स्वास्थ्य सेवा योजना में, जिस पर सरकार विचार कर रही है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को होम्योपैथी प्रणाली से भी उपचार करने का प्रशिक्षण देने का और जहां कहीं आवश्यक हो वहां लोगों के उपचार के लिए अन्य पद्धतियों की दवाइयों के साथ-साथ उनके किटों में होम्योपैथी की दवाइयां देने का प्रस्ताव है ।

**आसाम में नये डाकघर खोलना**

1594 **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में वर्ष 1975—77 के दौरान कितने डाकघर खोले गये; और

(ख) वे किन किन स्थानों पर खोले गये और उनसे प्रत्येक से कितनी जनसंख्या को लाभ पहुंचा है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** (क) 72 ।

(ख) इन डाकघरों के नाम और प्रत्येक डाकघर अनुमानत: जितनी जनसंख्या को सेवा देगा, इनका ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दे दिया गया है ।

**विवरण**

असम में उन स्थानों के नाम, जहां 1976-77 के दौरान डाकघर खोले गए तथा प्रत्येक डाकघर द्वारा अनुमानित जनसंख्या को दी जाने वाली सेवा:—

| नाम | अनुमानित जनसंख्या जिसे सेवा मिलेगी |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. पत्रवाड़ी | 4,500 |
| 2. उलुकुची | 80 |
| 3. मर्लग्राट | 3,050 |
| 4. घरिंगला-पुखरी | 2,275 |
| 5. दैवघोरिया | 4,300 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 6. दयाचरलि | 12,550 |
| 7. अखोईपुटिया | 8,350 |
| 8. महमराबालीगांव | 6500 |
| 9. तिलिकियाम | 3,300 |
| 10. जलुकगांव | 3,100 |
| 11. लालपाटी | 10,050 |
| 12. चैपंशिला | 3,576 |
| 13. साशेरगांव | 4,500 |
| 14. अम्बनी | 998 |
| 15. नार्थ बोंगईगांव | 10,000 |
| 16. सलुंगफुम | 3,992 |
| 17. फुनैलमरिंग | 2,039 |
| 18. थुंगबाखुलैन | 3,633 |
| 19. चन्दमन | 2,645 |
| 20. लम्पेलपट | 20,327 |
| 21. मणिपुर भाग—I | 2,320 |
| 22. जनकल्याण बाजार | 5,750 |
| 23. कुठलटालि बाजार | 3,750 |
| 24. कोटामणि बाजार | 2,560 |
| 25. दुलालगाम | 4,559 |
| 26. करसनटोला | 4,950 |
| 27. फुलागुडी | 5,200 |
| 28. होलीमोहनपुर | 4,500 |
| 29. बालीपाड़ा खेलमती | 3,800 |
| 30. बेठलम्बेंग | 1,800 |
| 31. प्यैनम | 450 |
| 32. मिशन वेहष्थलम | 4,200 |
| 33. बिरकी | 213 |
| 34. सिन्दुली बाजार | 1,096 |
| 35. बोबीनाथ किला | 350 |
| 36. बोल्चुगिरि | 409 |
| 37. रोंगमिल | 300 |
| 38. ला बिरतुन | 500 |
| 39 मुस्तेम | 1,270 |
| 40. ईचामाटी | 2,730 |
| 41. नार्थ ब्लाक | 6,900 |
| 42. सिगनल विलेज | 700 |
| 43. तारापुर भाग–VII | 5,500 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 44. कमरंगा . | 2,634 |
| 45. जीरो बाजार . | 850 |
| 46. यजाली | 880 |
| 47. सिंगा | 800 |
| 48. गेलिंग | 366 |
| 49. सेनुआ | 2,880 |
| 50. खोनुआ | 100 |
| 51. नूरपुर | 3,500 |
| 52. गुरवटिल्ला . | 850 |
| 53. हरिचेरा . . . | 3,350 |
| 54. कैलाशहर एयरपोर्ट . | 2,000 |
| 55. कुर्मा . | 950 |
| 56. जमटिंग . | 2,600 |
| 57. लाखराय चौधरी पाड़ा . | 350 |
| 58. राजनगर . | 5,500 |
| 59. घनी बागान . | 2,250 |
| 60. कमल नगर . | 800 |
| 61. सलगागन | 5,000 |
| 62. ठिंठामुख . | 1,700 |
| 63. जलया | 2,000 |
| 64. ग्रौगुड़ी . | 5,100 |
| 65. वरलुंग | 725 |
| 66. ग्रशोकनगर ग्रादर्श गांव . | 200 |
| 67. रुपटाडि | 5,400 |
| 68. बमदेरदेव | 2,160 |
| 69. हिलटाप | 800 |
| 70. पाला | 1,090 |
| 71. लासोहत्त्व | 2,030 |
| 72. पोलोग्राउंड | 5,000 |

**रिजनल प्रोविडेन्ट फंड स्टाफ एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल को मान्यता दिया जाना**

1595. **श्री चित बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजनल प्रोविडेंट फंड स्टाफ एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल की मान्यता दिसम्बर, 1976 में समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अब पुनः मान्यता दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) क्षेत्रीय भविष्य निधि एसोसियशन कलकत्ता को मंजूर की गई मान्यता दिसम्बर, 1976 में निलंबित की गई ।

(ख) एसोसियेशन में विभाजन हो गया था और दो कार्यकारिणी समितियां थीं । ग्रुप प्रतिद्वन्दिता, अनुशासनहीनता, हिंसात्मक कामों में भाग लेने और एक ग्रुप द्वारा दूसरे के विरुद्ध अभियोग तथा प्रति अभियोग लगाने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम बंगाल के कार्यकरण के व्यापक हित में यह उपयुक्त समझा गया कि दोनों ग्रुपों में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखा जाय ।

(ग) और (घ) एसोसिएशन की मान्यता बहाली का प्रश्न विचाराधीन है ।

**मूल्य सूचकांक**

1596. **श्री चित बसु**
**श्री सुख देव प्रसाद वर्मा** } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला ब्यूरो द्वारा तैयार किये गये मूल्य सूचक आंकड़े वास्तविक मूल्य स्थिति को नहीं दर्शाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने का है : और

(ग) ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, जिसका मुख्यालय शिमला में है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है । यह सूचकांक जो देश के 50 औद्योगिक केंद्रों में 1958-59 में किए गए परिवार बजट सर्वेक्षण के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों की उपभोग टोकरी में शामिल की गई विभिन्न वस्तुओं की खुदरा कीमतों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है ।

सरकार ने हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की है ।

## राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी का निर्धारण

1597. **श्री चित बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में (एक) उचित मजूरी, (दो) आवश्यकता पर आधारित मजूरी और (तीन) निर्वाह मजूरी की परिभाषा करने का है ; और

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना और वर्तमान निर्वाह लागत सूचकांकों के अनुसार उसकी मात्रा निश्चित करना आवश्यक समझती है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय मजदूरी नीति के निर्माण की आवश्यकता के बारे में सक्रिय है जिसमें वह अन्य बातों के साथ आवश्यकता के आधार पर मजदूरी, उचित मजदूरी और गुजारेलायक मजूरी के सिद्धांत तथा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की संभाव्यता पर भी विचार करेगी ।

## उद्योगों के बन्द होने तथा जबरन छुट्टियों के कारण बेरोजगारी

1598. **श्री चित बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 तक उद्योगों के बन्द होने, उनमें तालाबन्दियों तथा जबरन छुट्टियों के कारण उद्योग-वार कितने-कितने लोग बेरोजगार हो गये; और

(ख) इससे उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

## Maintenance of Shrines in India and Pakistan

†1599. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the number of muslim shrines in India and the number of non-muslim shrines in Pakistan which have been provided with protection by the respective Governments as per the Pant-Mirza agreement, 1955 and how they are being maintained ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : The information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

## प्राइवेट कम्पनियों को प्रसारण पारेषण लाइसेंस देना

1600. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश में कितने मामलों में प्राइवेट प्रसारण लाइसेंस दिए गए; और

(ख) गत तीन वर्षों में पारेषण लाइसेंसों के लिए कितने व्यक्तियों और कम्पनियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

**संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रसारण लाइसेंसों की मंजूरी के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें**

1601. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की कौन सी मांगे सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) उन मांगों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों ने इस से पहले कई मांगें रखी थी। ये मांगे या तो स्वीकार कर ली गई हैं या स्वीकार नहीं की गई । इस समय सरकार के विचाराधीन कोई विशेष मांग नहीं है ।

**कुवैत में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड और भारतीय निर्माण श्रमिकों के बीच विवाद**

1602. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत स्थित भारतीय दूतावास, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड और वहां पर लगभग 1400 भारतीय निर्माण श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या इन श्रमिकों को भर्ती करने और उन्हें कुवैत ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को घूस के रूप में काफी धन देना पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और अपराधियों को दण्ड देने का है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) कुवैत स्थित भारतीय राजदूतावास से इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट्स इण्डिया लिमिटेड तथा उसके निर्माण कार्य में लगे भारतीय श्रमिकों के बीच के किसी भी झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा गया था ।

(ख) कुछेक श्रमिकों ने यह आरोप लगाया था कि भरती के समय भारत में भरती करने वाले अभिकरणों को रिश्वत दी गयी थी । ये लोग कोई लिखित विवरण नहीं दे पाये हैं जिससे कि इस मामले में आगे जांच पड़ताल की जा सके ।

(ग) स्पष्ट आरोपों के अभाव में कोई और कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

**दिल्ली और कोट्टायम के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएं**

1603. **श्री स्करिया थामस :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कोट्टायम के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केरल राज्य की जनता को दिल्ली से कोट्टायम के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि दिल्ली और कोट्टायम के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हो जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना अब तैयार की जा रही है।

CHASNALA COLLIERY ACCIDENT

1604. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the persons held responsible for Chasnala Colliery accident by the Enquiry Commission and the action taken by Government against the guilty persons ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : The Court of Inquiry appointed under Section 24 of the Mines Act, 1952, has observed that the accident in Chasnala Colliery on the 27th December, 1975, must be considered to have occurred due to the carelessness of Sarvshri J. N. Ohri, Chief Executive (Collieries), S. K. Banerje, Area Manager, Dipak Sarkar, Group Safety Officer and Planning Officer (Mining) and Ramanuj Bhattacharya, Manager, Chasnala Collieries. The same Court has concluded that the accident in Chasnala Collieries which had happened on 5-4-1976 was due to the carelessness on the part of Shri Dipak Sarkar as the Agent and Area Manager of 3/4 Incline and Quarries of the Chasnala Collieries. The report as well as the action taken on it is under consideration.

**क्षेत्रीय "बोन बैंक" खोला जाना**

1605. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अनेक अंगों को बचाने के लिए जिन्हें अन्यथा काटना पड़ता है, क्षेत्रीय 'बोन बैंक' स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)**: जी, नहीं।

**भारत में जनता सरकार बनने से अन्य देशों में प्रतिक्रिया**

1606. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जनता सरकार बनने पर अमरीका, सोवियत रूस, पश्चिमी देशों तथा अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या उपरोक्त देशों के प्रति वर्तमान सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अमरीका और अन्य लोकतंत्री देशों के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) अमरीका और पश्चिम यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया निश्चयात्मक और अनुकूल थी। सोवियत संघ ने बताया कि भारत में सरकार के बदल जाने

को वह देश का एक आन्तरिक मामला समझता है और वह भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को महत्व देता रहेगा। अरब देशों में, भारत में सरकार के इस प्रजातान्त्रिक परिवर्तन का काफी प्रचार हुआ। जनता सरकार बनने के बाद भारत तथा इन देशों के बीच सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे हैं।

(ख) सरकार ने कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि भारत की विदेश नीति के सारतत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जोकि समानता, पारस्परिकता तथा परस्पर उपयोगी द्विपक्षवाद को आधार मान कर सभी देशों के साथ सहयोग और मित्रता के सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने पर आधारित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अमरीका तथा अन्य प्रजातांत्रिक देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में बराबर सुधार हुआ है और मार्च 1977 के चुनावों के बाद इन सम्बन्धों में और अधिक सुधार होने के संकेत मिले हैं।

**सोसाइटी आफ गाड, यशवन्त प्लेस, नई दिल्ली को अनुदान**

1607. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में यशवन्त प्लेस, नई दिल्ली स्थित सोसाइटी आफ गाड को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) इस सोसाइटी के संयोजक कौन हैं, उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को सोसाइटी के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) इस संस्था को मेरे मंत्रालय ने कोई अनुदान नहीं दिया है।

(ख) यह सूचना सोसाइटी आफ सर्वेण्ट्स आफ गाड से मांगी गयी है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मोहम्मद यूनस द्वारा यात्रा किये गये देश**

1608. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मोहम्मद यूनस ने गत दो वर्षों में अब तक किन-किन देशों की सरकारी खर्चे पर यात्रा की ;

(ख) प्रत्येक यात्रा का क्या उद्देश्य था और सरकार ने प्रत्येक यात्रा पर कितनी राशि खर्च की ;

(ग) क्या हाल ही के चुनावों के दौरान वह देश से बाहर थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 491/77]**

(ग) जी नहीं, जहां तक विदेश मंत्रालय को मालूम है ।

(घ) उपरोक्त (ग) के संदर्भ में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत-रूस सन्धि**

1609. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-रूस सन्धि 1971 से भारत को क्या ठोस उपलब्धियां तथा लाभ प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि इससे हमारे देश को लाभ पहुंचा है तो क्या सरकार का विचार अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की सन्धि करने का है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अन्य देशों के नाम क्या हैं ?

**विदेश मंत्री ((श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : (क) अगस्त, 1971 की भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि से दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता और सहयोग के संबंधों की भावना परिलक्षित होती है जिससे भारत तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की जनता का हित सधता है ।

(ख) और (ग) भारत की गुट निरपेक्षता और सभी देशों के साथ शान्ति, समझ बूझ और सहयोग की नीति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार समानता, आपसी लाभ तथा पारस्परिकता के आधार पर सभी देशों के साथ संबंधों को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न करेगी ।

DEMAND FOR DIALYSIS MACHINES

1610. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the demand for dialysis by kidney patients is on the increase in the country;

(b) the names of the hospitals in the country in which dialysis facility is available indicating the number of dialysis machines; and

(c) the steps being taken to manufacture dialysis equipment or to import it in greater number from abroad ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No survey to assess this has been undertaken so far.

(b) Information regarding the number of dialysis machines available in hospitals in the country is not readily available. However, a statement showing the names of hospitals in the country wherein dialysis facilities are available is laid on the table of the Sabha.

(c) Dialysis equipment is not manufactured indigenously in the country uptil now. The question of importing such machines in large numbers for use in hospitals in the country will depend upon the priority given and fund resources available with the State/U.T. Governments since "Health" is a State subject.

STATEMENT

The dialysis facilities are available in the following places/hospitals in the country :

*DELHI*

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
Irwin Hospital, New Delhi.
Safdarjang Hospital, New Delhi.

*BOMBAY*

Jaslok Hospital,
K. E. M. Hospital & Seth G. S. Medical College.
Bombay Hospital & Research Centre.
Sir H. V. Hospital & Research Centre.
Bai Balabhai Nanavati Hospital & Research Centre.
B.Y.L. Nair Hospital.

*POONA*

Medical Foundation
K. E. M. Hospital.

*MIRAJ*

Wanless Wadi Hospital

*NAGPUR*

Govt. Medical College Hospital

*MADRAS*

Govt. General Hospital
Stanley Medical College & Hospital

*MADURAI*

Erskine Govt. Hospital

*VELLORE*

Christian Medical College

*CHANDIGARH*

Postgraduate Institute for Medical Education & Research

*AGRA*

S. N. Medical College and Hospital

*JAIPUR*

Sawai Manshingh Hospital

*CUTTACK*

S. C. B. Medical College

*BERHAMPUR*

Medical College Hospital

*CALCUTTA*

Calcutta Medical College and Hospital
Institute of Postgraduate Medical Education and Research
S. S. Karnani Memorial Hospital.

*ROHTAK*

Rohtak Medical College and Hospital

*AHMEDABAD*

B. J. Medical College & Hospital

*HYDERABAD*

Osmania General Hospital

*PONDICHERRY*

Jawaharlal Institute for Postgraduate Medical Education and Research

*SRINAGAR*

Medical College and Hospital

*GOA*

Goa Medical College and Hospital

## CATCHING AND KILLING OF STRAY DOGS IN CAPITAL

1611. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that great resentment is prevailing among the people in regard to catching and killing stray dogs in cruel and merciless manner in the capital; and

(b) whether Government would consider the question of getting the city rid of stray dogs and adopt more humane methods and if so, the reaction of Government thereto ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) No specific complaint regarding catching and killing stray dogs in cruel and merciless manner in the capital has come to the notice of Government.

(b) The local bodies in the Capital are already taking action to catch and destroy stray dogs by following humane methods.

## OPENING OF POST OFFICES IN MANIHARI BLOCK IN KATIHAR DISTRICT OF BIHAR

*1612. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether people are greatly inconvenienced for want of post office in Mahuar, Medanipur, Ambadih [Santhal Adivasitola, Neema (Adivasi Samthaltola) villages in Manihari Block in Katihar district of Bihar];

(b) whether all these villages are in backward and flood-prone areas; and

(c) if so, the time by which rural branch post office is proposed to be opened there ?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) All the 4 villages are covered by Daily Delivery Scheme. There is a Post Office at a distance of 1½ Kms. from Medanipur village and opening of a Post Office at Medanipur is not justified.

(b) These villages are in flood-prone areas, but the area has not been declared "very backward" for purpose of extension of Postal facilities under relaxed conditions.

(c) Except in the case of Medanipur where opening of Post Office is not justified, the proposals for opening of P.Os. in the 3 other villages are under consideration.

**स्टील एम्पलाइज ट्रेड यूनियन, राउरकेला से ज्ञापन**

1613. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील एम्पलाइज ट्रेड यूनियन, राउरकेला से सरकार को कोई ज्ञापन मिला है,

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय स्टील एम्पलाइज ट्रेड यूनियन द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किए गए मांग पत्र से है। ज्ञापन में सम्मिलित मांगें, सेवा सम्बन्धी मामलों, जैसे प्रोत्साहन बोनस का भुगतान, आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि के बारे में है।

राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं।

**इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कथित भ्रष्टाचार**

1614. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बर्नपुर और कुलटी में विशेषकर, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में भर्ती और रोजगार के संबंध में अधिकारियों में अत्यधिक भ्रष्टाचार है, और

(ख) यदि हां, तो इन कदाचारों का अन्त करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) और (ख) इस बारे में कोई विशिष्ट मामले ध्यान में नहीं आए हैं। "इस्को" के बर्नपुर तथा कुलटी के कारखानों में भर्ती चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

**असंगठित श्रमिकों के लिए कर्मीदल**

1615. **श्री बसंत साठे :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों के कार्य और जीवन यापन की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार विशेष कार्यवाही पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इन श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए कर्मीदल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) ठेका श्रमिकों के स्थान पर श्रम सहकारी समितियां बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : (क), (ख) और (ग) इस समय असंगठित श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए "टास्क फोर्स" बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार का असंगठित श्रमिकों की काम-काज और रहन-सहन की दशा में सुधार करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का प्रश्न 6-7 मई, 1977 को हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के समक्ष आया। यह स्वीकार किया गया कि इस संबंध में संनिहित जटिल प्रश्नों तथा असंगठित श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए, उनकी समस्याओं पर एक विशेष सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

(घ) ठेका श्रम पद्धति ठेकेदारों के स्थान पर श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा बनाकर समाप्त नहीं की जा सकती।

**कुष्ठ रोग उन्मूलन तथा कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के बारे में नीति**

1616. **श्री वसंत साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोग उन्मूलन तथा कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की समस्या के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है ;

(ख) इसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) सरकार की वर्तमान नीति इस रोग पर काबू पाने की है, भले ही अन्तिम ध्येय इसका उन्मूलन करने का ही हो। कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा-शल्य और सामाजिक उपायों के द्वारा और उनके साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देकर जीवन में फिर से स्थापित किया जाता है।

(ख) और (ग) इस रोग पर काबू पाने के उपायों में घर घर जा कर कुष्ठ रोगियों का शुरू में ही पता लगाना और शरीर में लैप्रा नामक कीटाणुओं को मारकर और इस प्रकार संक्रमण के स्रोत को समाप्त कर कुष्ठ रोगियों का इलाज करने की व्यवस्था करना शामिल है। कुछ रोगियों को अस्थायी तौर पर अस्पतालों में भर्ती भी करना पड़ता है। गले हुए अंगों के निर्माण संबंधी शल्य चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

चिकित्सा शल्य उपचार करके प्रशिक्षणके साथ-साथ उत्पादन केन्द्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देकर और कृषि, कुटीर-उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ऐसे केन्द्र खोलकर, जहां से उन्हें बाहर न जाना पड़े, समाजार्थिक दृष्टि से अव्यवस्थित हुए रोगियों को मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों से फिर से बसाया जाता है।

**डाक व तार विभाग नैमित्तिक तथा अंशकालिक कर्मचारियों के संगठन की मांगे**

1617 श्री **वसंत साठे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक व तार विभाग द्वारा कार्य पर रखे गये नैमित्तिक स्वयं अंशकालिक कर्मचारियों के साथ न्याय करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) इन कर्मचारियों के संगठन की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क), (ख) और (ग) डाक तार विभाग के दैनिक मजदूरी वाले नैमित्तिक मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें 4 महीने/6 महीने तक निरन्तर काम कर लेने पर नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाये । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

POST OFFICES IN U.P.

*1618. SHRI ARJUN SINGH BHADORA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the district-wise number of sub-post offices and branch post offices in Uttar Pradesh:

(b) the district-wise number of sub-post offices and branch post offices proposed to be opened in Uttar Pradesh during the financial year 1977-78;

(c) The tehsil and the number of new sub-post offices and branch post offices proposed to be opened in Agra and Etawah districts; and

(d) the criterion for opening new branch post offices and sub-post offices and whether a relaxation is proposed to be made in the said criterion with a view to open more post offices in backward areas ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) The information is given in Statement 'A' attached.

(c) The information is given in Statement 'B' attached.

(d) Criteria for opening new post offices are given in statement 'C', attached.

[Placed in Library. *See* No. LT. 492/77].

PENDING APPLICITIONS FOR TELEPHONE CONNECTIONS

*1619. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of applications for telephone connections pending throughout the country as on 31st March, 1977 and the State-wise and Union Territory-wise break up thereof: and

(b) the State-wise and Union Territory-wise break-up of telephone connections proposed to be provided during the current financial year ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A statement giving the number of applications for Telephone connections pending throughout the country and its State-wise and Union Territory-wise break up as well as the proposed number of telephone connections for each State/Union territory is placed on the Table of the House.

STATEMENT

| Sl. No. | Name of State | Applications waiting on 31-3-1977 | New Telephone connections proposed to be provided during 77-78 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (A) | | |
| 1. | Andhra | 2797 | 6500 |
| 2. | Assam | 84 | 500 |
| 3. | Bihar | 435 | 3000 |
| 4. | Gujarat | 17398 | 27500 |
| 5. | Haryana | 1221 | 2500 |
| 6. | Himachal | 269 | 500 |
| 7. | J & K | 1107 | 1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | Karnataka | 4435 | 6000 |
| 9. | Kerala | 4557 | 4000 |
| 10. | M.P. | 161 | 2500 |
| 11. | Maharashtra | 61425 | 50000 |
| 12. | Manipur | nil | 100 |
| 13. | Meghalaya | 3 | 75 |
| 14. | Nagaland | 2 | 75 |
| 15. | Orissa | 133 | 1000 |
| 16. | Punjab | 8250 | 4500 |
| 17. | Rajasthan | 3438 | 5000 |
| 18. | Sikkim | 5 | 10 |
| 19. | Tamil Nadu | 2944 | 6000 |
| 20. | Tripura | nil | 50 |
| 21. | U.P. | 2476 | 8000 |
| 22. | West Bengal | 27809 | 25000 |
| | **Union Territories (B)** | | |
| 1. | Andaman & Nicobar Islands | 11 | 15 |
| 2. | Arunachal | 8 | 100 |
| 3. | Chandigarh | 1659 | 500 |
| 4. | Delhi | 41702 | 20000 |
| 5. | Goa | 1097 | 1700 |
| 6. | Lakshadweep | 3 | 10 |
| 7. | Mizoram | nil | 100 |
| 8. | Pondicherry | 9 | 85 |
| 9. | Daman Diu Silvasa | 41 | 100 |
| 10. | Maahe | 22 | 25 |
| | Total : (A+B) | 183518 | 176945 |

TELEGRAPH OFFICES IN U.P.

*1620. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of telegraph offices in Uttar Pradesh, district-wise, at present;

(b) the district-wise total number of new telegraph offices opened during the last three years, year-wise;

(c) the total number of telegraph offices proposed to be opened in Uttar Pradesh during the current financial year and the names of places where these offices would be opened; and

(d) the criteria adopted for opening of the telegraph offices ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) The number of telegraph offices in Uttar Pradesh, district-wise is given in Annexure I.

(b) The total number of new telegraph offices opened in Uttar Pradesh, district-wise, during the last three years (year-wise) are in Annexure II.

(c) The total number of telegraph offices proposed to be opened in Uttar Pradesh during the current financial year is 300 and the names of the places are in Annexure III.

(d) Annexure IV spells out the policy in respect of telephone and telegraph offices. [Placed in Library. *See* No. L.T. 493/77]

STRIKE BY WORKERS IN GUJARAT REFINERY

1621. SHRI DHARMASINGH BHAI PATEL : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether workers had gone on strike in Gujarat Refinery in May, 1977 and if so, the duration of strike:

(b) the number of workers who had gone on strike; and the loss of man hours as also the loss of production as a result thereof; and

(c) whether any offers have been made to call off the strike and if so, by whom ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a), (b) & (c) The matter falls essentially in the State Sphere. According to available information, the workers in Gujarat Refinery were on strike from May 9 to May 19, 1977, the maximum number of workers on strike, on any day, being 1250. The Strike was called off on May 20, 1977 following an understanding between the parties at the intervention of the State Chief Minister, and the State Labour Minister and the Union Minister of Petroleum. The number of man hours lost due to the strike is reported to be 73,736 and according to the Management, 59,400 metric tonnes of crude oil could not be refined due to the strike.

**भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के साथ बातचीत**

1622. **श्री निहार लास्कर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नये राजदूत दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से कुछ प्रस्ताव लाये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनके साथ इन प्रस्तावों के बारे में बातचीत की है ;

(ग) उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और भारत सरकार उनसे किस सीमा तक सहमत है; और

(घ) क्या उनके साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क), (ख), (ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका के नये राजदूत राष्ट्रपति कार्टर की ओरसे बधाई लेकर आए और उन्होंने अमरीकी प्रशासन की यह इच्छा अभिव्यक्त की कि वह भारत के साथ अपने सम्बन्ध घनिष्ठतर करना चाहता है और लोगों की भलाई के काम में साथ होना चाहता है ।

अमरीकी राजदूत द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव तो नहीं रखा गया परन्तु विचार विमर्श के लिए जब कभी विशेष मसले सामने आते हैं तो संबंधों में सुधार लाने की सम्भावनाओं का पता लगाने की कोशिश की जाती है ।

**परिवार कल्याण, जच्चा तथा बच्चे की देखभाल के बारे में केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश**

1623. **श्री निहार लास्कर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में वे परिवार कल्याण और जच्चा तथा बच्चे की देखभाल के कार्य को निर्बाध रूप से चलाएं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1977 में राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निर्देश जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मुद्दे उठाए गए और देश में परिवार नियोजन की क्रियान्विति के लिए विगत तीन महीनों में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को निम्नलिखित मुद्दों पर विशिष्ट निदेश जारी किये जा चुके हैं :--

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम को बिना किसी जोर जबर्दस्ती और दबाव के पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाए;

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम न केवल देश की प्रगति के लिए ही अनिवार्य है, बल्कि प्रत्येक परिवार के कल्याण, सुख एवं समृद्धि के लिए भी इसका विशेष महत्व है।

(3) शिक्षा, प्रेरणा तथा गर्भरोधन के सभी तरीकों पर समान बल देकर सेवाएं प्रदान करना तथा शहरी और देहाती इलाकों में प्रसूताओं और बच्चों दोनों की देखरेख पर अधिक ध्यान देना इस कार्यक्रम की क्रियान्विति का आधार स्तम्भ होना चाहिए।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली में अप्रैल, 1977 में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें केन्द्रीय सरकार की नीति घोषित की गई थी और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों पर, विशेषकर उनके निम्नलिखित पहलुओं पर, आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया था :--

(i) जन्म-दर को कम करने के समग्र राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गर्भरोधक के विभिन्न तरीकों के बारे में कार्य-निष्पादन के प्रस्तावित स्तर को मील का पत्थर तथा निश्चित मापदण्ड माना जाना चाहिए।

(ii) स्वीकारकर्ता के बच्चों की संख्या के आधार पर मुआवजा देने के केन्द्रीय सहायता के वर्तमान पैटर्न को बदल कर नसबन्दी आपरेशन के सभी मामलों में, भले ही स्वीकारकर्ता के बच्चों की संख्या कितनी हो, समान रकम देने की बात मान ली गई।

**इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का 1976-77 में कार्य निष्पादन**

1624. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का 1976-77 में कार्य-निष्पादन कैसा रहा और इससे पूर्व दो वर्षों की तुलना में यह कितना न्यूनधिक है;

(ख) इस यूनिट में लगातार हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम यूनिट बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : (क) वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | बर्नपुर इस्पात कारखाना | | कुलटी का कारखाना | |
|---|---|---|---|---|
| | इस्पात पिण्ड | विक्रय इस्पात | स्पन पाइप | ढली वस्तुएँ |
| | | (टन) | | |
| 1974–75 | 532,000 | 415,000 | 119,246 | 38,904 |
| 1975–76 | 630,000 | 500,000 | 121,906 | 33,460 |
| 1976–77 | 667,000 | 542,000 | 99,943 | 30,045 |

कार्य परिणाम नीचे दिये गये हैं :—

| वर्ष | लाभ (+) हानि (–) (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 1974–75 | (+) 1.05 |
| 1975–76 | (–) 5.61 |
| 1976–77 | (–) 11.24 (अनुमानित) |

(ख) हानि होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन के लिये अप्रचलित प्रौद्योगिकी अपनाना,

(2) ब्याज का बोझ व्यनुपाती रूप से अधिक होना,

(3) आदानों की लागत में वृद्धि,

(4) इस्पात कामगारों के वेतन में वृद्धि,

(5) भूत में प्रतिस्थापन/मरम्मत के कार्यों आदि पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, और

(6) कुलटी में उत्पादित स्पन पाइप की मांग में कमी होना ।

(ग) 'इस्को' को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है :—

(1) बर्नपुर इस्पात कारखाने की क्षमता को पुनः इसके निर्धारित स्तर पर लाने के लिए 61 करोड़ रुपये की लागत से संयंत्र प्रतिस्थापन कार्यक्रम योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है । इस योजना का लगभग 80% काम पूरा हो गया है ।

(2) उत्पादिता में वृद्धि करने तथा उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिए आगामी 10 वर्षों में लगभग 42.5 करोड़ रुपये की लागत से कुछ अन्य पूंजीगत योजनाएं भी बनाई गई हैं ।

(3) इस समय इस कारखाने में लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए जिस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा वह पुरानी हो गई है । लोहा और इस्पात बनाने की सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

(4) कारखाने के प्रबन्ध ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं ।

(5) कंपनी के पूंजीगत ढ़ांचे पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो उसमें उचित परिवर्तन करने का विचार है । ताकि ऋण और इक्विटी में उचित अनुपात रखा जा सके ।

## ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

1625. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सही स्थिति क्या है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधायें देने की क्या कसौटी है;

(ग) तमिल नाडु के सेलम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय क्या टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नियमित रूप से ये सुविधाएं देने का है ; और

(ङ) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** :(क) और (ख) आमतौर पर टेलीफोन की सुविधा उसी स्थान पर दी जाती है, जहां डाकघर मौजूद हों बशर्ते कि वह प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से लाभकर हो। अल्प विकसित क्षेत्रों में यह सुविधा देने की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणीगत स्थानों पर टेलीफोन की सुविधाएं देने के लिए उदार नीति अपनाई जाती है चाहे वहां से प्राप्त होने वाले राजस्व और उससे होने वाली घाटे की रकम कितनी भी क्यों न हो :--

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडल मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(5) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) वे स्थान जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो ।

निम्नलिखित श्रेणीगत स्थानों में टेलीफोन की सुविधा इस शर्त पर दी जाती है कि वहां का अनुमानित राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत निकलता हो ।

(1) वे स्थान जो किसी वर्तमान टेलोफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक दूर हो ।

(2) वे स्थान जो किसी मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के भीतर स्थित हों तथा वहां की जनसंख्या 5000 हो ।

(3) पर्यटन/तीर्थ स्थल ।

(4) कृषि/सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल/टाउनशिप ।

इन चारों श्रेणीगत स्थानों में पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामलों में न्यूनतम राजस्व की शर्त में आगे और ढील दी गई है । पिछड़े इलाके के मामले में वहां का राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाके के मामले में 10 प्रतिशत होना चाहिए । इन दोनों इलाकों में जनसंख्या की सीमा में भी ढील दी गई है और यह सीमा 2500 रखी गई है ।

यदि कोई स्थान उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता और वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने में घाटा होता है तो भी किराए और गारंटी के आधार पर वहां यह सुविधा दी जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला घाटा भरन के लिए तैयार हो ।

विभिन्न श्रेणीगत स्थानों पर टेलीफोन की सुविधा देने के संबंध में स्थिति अनुबन्ध में दिखाई गई है।

(ग) सेलम जिले के देहाती इलाकों में उन स्थानों की संख्या 52 है, जहां टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) ये सुविधाएं विभिन्न चरणों में ऊपर (क) और (ख) में बताई गई नीति के अनुसार दी जा रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3500 स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव था। इस योजना के पहले तीन वर्षों में 2582 स्थानों पर टेलीफोन की सुविधाएं दी गई हैं।

**विवरण**

विभिन्न श्रेणीगत स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं, जैसी कि 1–4–1977 को स्थिति थी, प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र

| स्थानों की श्रेणी | कुल संख्या | इन स्थानों की संख्या जहां टेलीफोन की सुविधाएं दे दी गई हैं |
|---|---|---|
| 1. जिला मुख्यालय | 384 | 379 |
| 2. उप मंडल मुख्यालय | 646 | 596 |
| 3. तहसील मुख्यालय | 1,597 | 1,565 |
| 4. उप तहसील मुख्यालय | 283 | 212 |
| 5. ब्लाक मुख्यालय | 3,556 | 2,916 |
| 6. 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान | 1,059 | 914 |
| 7. वे स्थान जहां की जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो और जो मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के भीतर स्थित हों। | 1,797* | 1,005 |
| 8. दूरवर्ती बस्तियों वाले स्थान अर्थात् वे स्थान जहां से 40 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर कोई टेलीफोन एक्चेज न हो। | * | 168 |
| 9. पर्यटन/तीर्थ स्थान | @ | 168 |
| 10. कृषि/सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल और टाऊनशिप | @ | 95 |
| योग | | 8,018 |

*नये एक्सचेंज के खुलने पर परिवर्तन की शर्त के साथ।

@जब और जैसे ही ये मामले उठाए जाते हैं, इन पर विचार किया जाता है।

UNEMPLOYMENT PROBLEM IN BIHAR

1626. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether special schemes will be formulated to solve unemployment problem in backward State-like Bihar;

(b) the proportion of number of persons from Bihar working in Central Government establishments and offices located in Bihar; and

(c) whether Government propose to chalk out a concrete and time-bound programme to increase the ratio of persons from Bihar there ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Government is pledged to the removal of destitution from all areas in the country within a definite time frame of 10 years. Towards this end, Government will follow an employment-oriented strategy in which primacy will be given to the development of agriculture, agro-industries and small and cottage industries especially in rural areas. In line with this strategy, the Union Budget for 1977-78 aims at stimulating the economy into achieving a higher rate of growth of output and employment and at ensuring that the fruits of economic progress are as widespread as possible through emphasis on investment in agriculture, small and village industries and rural infrastructure.

(b) & (c) Information regarding the number of persons from Bihar working in Central Government establishments and offices located in Bihar is not available. However, as Central Government staff are transferable from one part of the country to another, no local or regional ratio's are arrived at.

Instructions already exist that as far as possible recruitment to jobs whose basic pay is not more than Rs. 500/- per month is to be done only through local employment exchanges.

## पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध

1627. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन, श्रीलंका और बर्मा जैसे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये यदि कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** जैसा कि सदन को मालूम है, 15 वर्ष बाद, पिछले वर्ष चीन और भारत के राजदूत एक-दूसरे के यहां नियुक्त हुए हैं । सरकारी और गैर-सरकारी दलों ने एक-दूसरे के देश की यात्राएं की हैं । पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए और अवसर खोजे जा रहे हैं ।

श्रीलंका के साथ हमारे संबंध हमेशा निकट और मैत्रीपूर्ण रहे हैं विशेषकर इसलिए कि भारत और श्रीलंका अपनी आपसी सभी समस्याओं का परस्पर संतोषजनक हल ढूंढ़ने में सफल हुए हैं । आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है । हमने हाल ही में व्यापार को संवर्धित करने के लिये ऋण की कई पद्धतियों में विस्तार किया है और अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार में अपने संयुक्त हितों की रक्षा के लिये हम श्रीलंका के साथ सहयोग कर रहे हैं । यदि उपयुक्त परियोजनाए बनाई गयीं तो संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति है । वायु संचार और दूर-संचार संबंधों में भी सुधार किया जा रहा है । दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक करार सम्पन्न करने के लिए बातचीत भी हो चुकी है ।

बर्मा के साथ भी हमारे संबंध निकट और मैत्रीपूर्ण हैं । हमारे दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समस्या नहीं है । अभी भी जो समस्याएं हैं उन्हें भी मैत्रीपूर्ण बातचीत से हल कर लेने का विचार है । भारत सरकार को आशा है कि वह बर्मा के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ा पायेगी और द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में नियमित विचार-विनिमय को संवर्धित कर सकेगी ।

**अनिवार्य बचत योजना, बोनस और महंगाई भत्ते के बारे में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना**

1628. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : श्रमिकों और कार्यालय कर्मचारियों की कई मांगों को, विशेषकर अनिवार्य बचत योजना बोनस और महंगाई भत्ते के बारे में मांगों को पूरा करने के लिए यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** अनिवार्य जमा योजना के संबंध में निर्णयों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है । बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कुछ संशोधन करने संबंधी प्रश्न विचाराधीन है । महंगाई भत्ता, मजदूरी-ढांचे का अंग होने के कारण सामान्यत: दो पक्षीय करारों, मजदूरी बोर्डों और अन्य वेतन संशोधन निकायों की सिफारिशों का विषय है ।

**बोकारो इस्पात संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता**

1629. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और अधिष्ठापित क्षमता का वस्तुत: कितना उपयोग किया जा रहा है,

(ख) निकट भविष्य में इस इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के लिये विचाराधीन प्रस्तावों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है , और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिये कोई विदेशी सहायता अथवा सहयोग लेने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) वर्तमान उत्पादन क्षमता तथा अधिष्ठापित क्षमता के वास्तविक उपयोग के बारे में बताना तभी अर्थपूर्ण हो सकता जबकि बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन पिण्ड वार्षिक के प्रथम चरण की सभी बड़ी-बड़ी इकाइयां चालू हो जाती हैं । अन्तिम बड़ी इकाई अर्थात् धमन भट्ठी नं० 3 के अक्तूबर, 1977 में चालू होने की सम्भावना है उसके पश्चात वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 17 लाख टन इस्पात पिण्ड और 13.55 लाख टन विक्रेय इस्पात की हो जाएगी । वर्ष 1976–77 में इस कारखाने में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 9.56 लाख टन और विक्रेय इस्पात का उत्पादन 7.36 लाख टन हुआ ।

(ख) बोकरो इस्पात कारखाने की क्षमता को 17 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन करने की विस्तार योजना का काम चल रहा है । आशा है ठंडी बेलन मिल (कौल्ड रोलिंग मिल कम्पलेक्स) को छोड़कर यह काम जून 1979 तक पूरा हो जाएगा । सरकार का बोकारो का आगे 47.5 लाख टन पिण्ड प्रतिवर्ष तक विस्तार करने का भी विचार है और मेकन द्वारा तैयार किए गये एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

(ग) 40 लाख टन चरण में सम्मिलित ठण्डी बेलन मिल को छोड़कर बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार योजना को कार्यान्वित करने के लिए रूसी संगठनों के साथ सहयोग जारी रहेगा । ठण्डी बेलन मिल का काम भारतीय संगठनों को सौंपने का फैसला किया गया है । आशा है इस मिल के रूपांकन और निर्माण का अधिकांश काम यह संगठन स्वयं कर लेंगे । ठण्डी बेलन मिलों के रुपांकन और निर्माण कार्य में मेकन के साथ मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियरिंग (जिनका नाम अब अमरीका के मैसर्स वीन यूनाइटेड है), प्रोसेसिंग लाइनों के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि० का अमरीका के मैसर्स वीन यूनाइटेड

औद्योगिक कार्यों और नियंत्रण आदि के सिस्टम डिजाइन के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० का पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स सीमन्स के साथ सहयोग के वर्तमान प्रबन्धों का लाभ उठाया जाएगा। सरकार आशा करती है कि ठण्डी बेलन मिल परियोजना का यह काम भारतीय संगठनों को सौंपने से न केवल तकनीकी आधार बड़ा बनेगा बल्कि इससे इस्पात क्षेत्र के अत्यधिक सम्मुन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक आत्म-निर्भरता भी प्राप्त होगी।

## सेवानिवृत्त होने वाले राजदूत

1630. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन मास की अवधि में कितने राजदूत सेवा निवृत होने वाले हैं; और

(ख) उनके नाम तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां वे इस समय कार्यरत हैं?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) और (ख) : आगामी तीन महीनों में कोई भी राजदूत न तो निवर्तमान आयु को प्राप्त होने वाला है और न सेवा से निवृत्त। लेकिन निम्नलिखित अवृत्तिक राजदूत उक्त अवधि के अन्दर विदेश में अपनी-अपनी सेवा-अवधि समाप्त होने पर अपने-अपने पद का कार्यभार छोड़ने वाले हैं :

(1) श्री बी० के० नेहरू, भारत सरकार का हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम।

(2) डा० सिसिर गुप्ता, भारत का राजदूत, पुर्तगाल, लिस्बन।

(3) श्री इमदाद अली, भारत का राजदूत, यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य, अदन।

(4) डा० के० ए० निजामी, भारत का राजदूत, सीरियाई, अरब गणराज्य।

(5) श्री एस० ए म० आगा, भारत का राजदूत, कोरिया गणराज्य।

## हिन्द महासागर में रूसी अड्डा

1631. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा लगाये गये इन आरोपों की जांच की है कि रूस ने हिंद महासागर में अपना अड्डा बनाया है ; और

(ख) क्या नई सरकार का विचार दोनों देशों की बैठक बुलाने का है जिससे उन्हें हिंद महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की आवश्यकता समझाई जा सके ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क) भारत सरकार ने अमरीका द्वारा लगाया गया आरोप और सोवियत संघ द्वारा उसकी अस्वीकृति को देखा है।

(ख) जी, नहीं। हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने के बारे में भारत की नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुविदित है। भारत सरकार हिन्द महासागर में तनाव शैथिल्य की भावना के विस्तार का स्वागत करेगी और आशा करती है कि हिन्द महासागर को विसैन्यीकृत बनाने के संबंध में अमरीका और सोवियत संघ की बातचीत से शांति क्षेत्र की स्थापना में सुविधा होगी।

**अमरीका के साथ संबंधों में सुधार**

1632. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति से दोनों देशों के संबंध में सुधार के बारे में कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो पत्र में क्या लिखा है और उसका उत्तर क्या भेजा गया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा अपने पत्र में उठाई गई बातों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अमरीका ने भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रति कोई उत्साह प्रकट किया है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** (क), (ख) और (ग) राजनय की प्रथा के अनुसार शासनाध्यक्षों के बीच हुए पत्र-व्यवहार की विषयवस्तु को सविस्तार नहीं बताया जाता, किन्तु इतना बताया जा सकता है कि राष्ट्रपति कार्टर और प्रधान मंत्री के बीच काफी उत्साहवर्धक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है जिससे यह प्रकट हुआ है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रीय स्थितियां अनिवार्यत: भिन्न होने के बावजूद, दोनों में आधारभूत मानव मूल्यों के विषय में उल्लेखनीय समानता है ।

(घ) इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि अमरीका सरकार भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहती है ।

**कृषि, निर्माण और ठेका श्रमिकों की स्थिति में सुधार**

1633. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी मिली है कि खेतिहर मजदूरों, सीमान्त और छोटे मजदूरों की स्थिति उनके लिए अनेक योजनाएं बनाए जाने के बावजूद कई वर्षों से बदतर होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या निर्माण, और ठेका श्रमिकों की स्थिति इससे भी खराब है ; और

(घ) इन श्रमिकों के बारे में केंद्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने के लिए विचार कर रही है ?

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** (क), (ख), (ग) और (घ) : सरकार असंगठित क्षेत्र में, जिसमें ग्रामीण श्रमिक, निर्माण कार्य श्रमिक तथा ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, श्रम संबंध को सुधारने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है । इस मामले पर 6-7 मई, 1977 को हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया । इस बात को महसूस करते हुए कि इस मामले में पेचीदा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं तथा असंगठित श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है, यह महसूस किया गया कि उनकी समस्याओं पर विशेष सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाना चाहिए ।

**छोटे इस्पात संयंत्रों में बिजली की कटौती की समस्या**

1634. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में छोटे इस्पात संयंत्र मध्य जनवरी, 1959 के पश्चात बिजली सप्लाई में शत प्रतिशत कटौती के कारण पूर्णतः बन्द होने वाले हैं,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रभावित हुए इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है है,

(ग) उनमें से कितने संयंत्र राज्यवार बन्द हो गए हैं,

(घ) क्या गत तीन महीनों में उत्पादन की भारी हानि हुई है; और

(ङ) इन इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

STERILIZATION OPERATIONS IN M.P. AND RAJASTHAN

1635. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of sterilization operations performed in Madhya Pradesh and Rajasthan from July 1975 to December, 1976:

(b) whether excesses were committed by officers in regard to these operations and allurement of providing lands or threats of dismissal from service was given and many were actually dismissed: and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government against such officers ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Madhya Pradesh : 10,11,129

Rajasthan : 4,30,906

(b) The State Governments have confirmed that no such cases of excesses have occurred.

(c) Does not arise.

SETTING UP OF TELEPHONE EXCHANGES AND OPENING OF PUBLIC CALL OFFICES IN MANDSAUR AND RATLAM DISTRICTS OF M.P.

*1636. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :—

(a) whether repeated requests have been made by the citizens of increasing the capacity of telephone exchanges, setting up new telephone exchanges and opening of new public call offices in various big cities and towns in Mandsaur and Ratlam districts of Madhya Pradesh;

(b) if so, the names of the places for which the said demands have been made; and

(c) the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (c) (i) *Setting up of new and expansion of existing telephone exchanges.*

The setting up of new and expansion of existing telephone exchanges is taken up on the basis of registered and anticipated telephone demands. Wherever sufficient number of applications with the necessary advance deposits are received, techno-economic studies are

undertaken and if opening of an exchange becomes feasible, the same is taken up. Similarly, in the case of expansion of the existing exchanges if the registered or anticipated demand indicate the need for increasing the exchange capacity, action is taken to plan for the same.

In this connection, 11 telephone demands have been registered for opening of a telephone exchange at Tal in Ratlam District. Techno-economic feasibility study is in progress. If the opening of the exchange is found feasible, it is hoped to open the exchange by the first half of 1978.

There is also justification for expansion of the 200 lines small automatic exchange at Jaora in Ratlam District. Plans are in hand for expansion of this exchange by 100 lines. This expansion is also expected to be commissioned by first half of 1978.

As far as Mandsaur District is concerned there is no immediate justification for expansion of an existing exchange or opening of a new one. However, a continuous review is being undertaken and action will be taken to plan expansion and opening of new exchanges as necessary.

(ii) *Public Call Offices*

Opening of local public call offices in the area of existing telephone exchanges is decided by the demand for such facilities from various members of the public. Demands have been received for opening of a local public call office at Khilchipur and for 2 in Mandsaur City. Opening of the public call office each at these places has been approved and it is hoped to commission the same during the current year.

Opening of the second public call office at Sriram Tekri in Mandsaur City is under examination, and a decision will be taken shortly.

**परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में ज्यादतियां**

1637. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की प्रक्रिया क्या है;

(ख) सरकार को ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनसे यह प्रकट हुआ कि नसबंदी आपरेशन के बाद बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्ति अभी बीमार हैं तथा बहुत से अपंग हो गये अथवा काम करने लायक नहीं रहे; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क), (ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है इसलिए जो शिकायतें केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती हैं वे संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को जांच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं । इस उदेश्य से केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के अधीन शिकायत कक्ष भी स्थापित किये गये हैं । कुछ राज्यों ने विशिष्ट घटनाओं की न्यायिक जांच के भी आदेश दिये हैं । केंद्रीय सरकार को जो शिकायतें मिली हैं उनमें नसवन्दी के बाद कुछ लोगों की मृत्यु होने, तथा अन्य प्रकार से कुप्रभावित होने के भी उदाहरण है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस विषय में पूर्ण जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु निदेश दिये गये हैं ।

न्यायमूर्ति जे० सी० शाह के अधीन गठित जांच आयोग की कार्यवाहियों में ऐसी अनेक शिकायतों के आने की आशा है ।

**मध्य प्रदेश में राक फास्फेट की उपलब्धता**

1638. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यहब ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन भागों में राक-फास्फेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; और

(ख) सरकार ने उसके दोहन के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक ):** (क) मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में आर्थिक महत्व के राक फास्फेट भंडार हैं । सागर व छतर पुर जिलों में भी अन्वेषण कार्य चल रहा है ।

(ख) झबुआ जिले में राक फास्फेट भंडारों की खुदाई का काम मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम ने अप्रैल, 1974 से शुरु किया है ।

**दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मेडिकल सोशल वर्कर**

1639. **श्री जी० एस० बनतवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अस्पताल में कुल कितने मेडिकल सोशल वर्कर नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) इनको क्या कार्य सौंपा गया है ;

(ग) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सोश्यिल वर्करों की संख्या उनके प्रभावकारी और सुचारू रूप से कार्य करने में बाधक है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :** (क) एक मेडिकल सोशल वर्कर विलिंग्डन अस्पताल में और चार सफदरजंग अस्पताल में नियुक्त किये गये है ।

(ख) मेडिकल सोशल वर्कर के पद के कर्तव्य और दायित्व इस प्रकार हैं :—

(1) रोगियों की सामाजिक स्थिति समझना ।

(2) बीमारी के समय अपनी स्थिति बनाये रखने में रोगियों की मदद करना ।

(3) ऐसी सामाजिक समस्याओं को दूर करना जिनके कारण रोगी चिकित्सा सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग न कर पाते हों और आवयश्कता पड़ने पर उनके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना ।

(4) अस्पताल निर्धन कोष में से अपंग लोगों के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करना ।

(5) रोगियों के कल्याण के लिए धन एकत्र करने के निमित प्रदर्शनियों, बिक्रियों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना ।

(6) माता-पिता द्वारा छोड़ दिये गये बच्चों के गोद लिये जाने की व्यवस्था करना ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विलिंग्डन अस्पताल में एक मेडिको-सोशल सर्विस अफसर और छः मेडिको-सोशल वर्करों के पद बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

**दिल्ली और केरल के नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा**

1640. **श्री जी० एस० बनतवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में दिल्ली से केरल राज्य के किन नगरों के लिये डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा देने की संभावना है ; और

(ख) देश के उन अन्य नगरों के नाम क्या हैं जिनमें इसी अवधि में यह सुविधा देने की आशा है ?

**संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) :

(1) मुजफ्फरनगर ।
(2) ग्वालियर
(3) लुधियाना
(4) मुरादाबाद
(5) बरेली
(6) हिसार
(7) अम्बाला
(8) इलाहाबाद
(9) वाराणसी
(10) इन्दौर
(11) भटिन्डा
(12) पटियाला

**पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा**

1641. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के विदेश मंत्री ने अप्रैल 1977 में भारत की यात्रा की थी तथा भारतीय नेताओं से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां तो बात-चीत का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** :

(क) जी हां

(ख) इस बातचीत से जिसमें परस्पर हित के अन्तर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था, कई मसलों पर विचारों में व्यापक समानता प्रकट हुई । दोनों देश प्रजातन्त्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं

अार अन्तराष्ट्रीय समझ-बूझ और सहयोग को सुदृढ़ करने में विश्वास रखते हैं । भारतीय पक्ष ने नई सरकार की नीतियों के औचित्य और उस पर बल देने के कामों को समझाया जिसका उद्देश्य उपयोगी द्विपक्षवाद के आधार पर सभी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है । जर्मन पक्ष ने दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग के विस्तार की समता पर जोर दिया और इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सुझाव दिया कि संघीय लोक गणराज्य से एक तदर्थ आयोग भारत की यात्रा करे । हमने इस सुझाव का स्वागत किया है । दोनों पक्ष आर्थिक, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के नये मार्ग खोजने पर भी सहमत हुए ।

## इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय तकनीकी जानकारी और परामर्श सेवा की मांग

1642. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय तकनीकी जानकारी तथा परामर्श सेवा की मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या निजी परामर्श सेवा संगठनों को विस्तृत इंजीनियरी और कुछ सिविल कार्यों के संबंध में आर्डर मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :** (क) से (घ) लोहे और इस्पात के क्षेत्र में भारतीय परामर्श सेवा को बहुत से विकासशील देशों में, जैसे नाइजीरिया, लीबिया, इन्डोनेशिया, वेनेजुएला, मैक्सिको, सीरिया, तुर्की, साऊदी अरब तथा मध्य-पूर्व के देशों में धीरे-धीरे मान्यता दी जा रही है । इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के कुछ भारतीय संगठन इनमें से कुछ देशों को इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं । उदाहरण के लिए, नाइजीरिया सरकार के संघीय उद्योग मंत्रालय ने सीधे अपचयन की प्रक्रिया पर आधारित दस-दस लाख टन क्षमता के दो सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए परामर्श तथा सतत् निगरानी करने की सेवाएं प्रदान करने के लिए मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि० को नियुक्त किया है । लीबिया अरब गणराज्य के मिसूरत में लगाए जा रहे लोहे और इस्पात के सर्वतोमुखी कारखाने के लिए मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० मुख्य परामर्शदाता है । इस कारखाने की आरम्भिक क्षमता 12.50 लाख टन प्रतिवर्ष होगी जिसे चरणों में विस्तार करके लगभग 70 लाख टन किया जायेगा । यही कम्पनी इण्डोनेशिया जकार्ता के पी० टी० इरोस्टील वर्क्स लि० की रूपांकन, इंजीनियरी तथा पर्यवेक्षण की व्यापक सेवाएं तथा वेनेजुएला के एक इस्पात कारखाने के विस्तार से सम्बन्धित कुछ सीमित क्षेत्रों में इंजीनियरी सेवा भी प्रदान कर रही है । इसके अलावा मिस्र दक्षिणी कोरिया और वेनेजुएला में डिवेलेपमेंट कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) तथा लीबिया में नेशनल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन जैसी दूसरी फर्मों द्वारा भी परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

**भारतीय तार (पहला) संशोधन नियम, 1977, भारतीय बेतार यांत्रिकी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार यांत्रिकी प्रचालन अनुज्ञप्ति) संशोधन नियम, 1977 इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और चार विवरण।**

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : I beg to lay the following papers on the Table of the House :

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 :—

(i) The Indian Telegraph (First Amendment) Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 255(E) in Gazette of India dated the 26th May, 1977.

(ii) The Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 726 in Gazette of India dated the 11th June, 1977.

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-480/77]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) (a) Review by the Government on the working of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, for the year 1974-75.

(b) Annual Report of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(ii) (a) Review by the Government on the working of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 481/77]

(iii) (a) Review by the Government on the working of the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, for the year 1974-75.

(b) Annual Report of the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, for the year 1974-75, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(iv) (a) Review by the Government on the working of the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, for the year 1975-76.

(b) Annual Report of the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (2) above.

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-482/77]

## परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में नीति विवरण

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I beg to lay on the Table a copy of Statement of Policy (Hindi and English Versions) dated the 28th April, 1977 relating to Family Welfare Programme.

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 483/77]

## भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

**इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०–484/77]

## खान अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचनाएं, आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण और कोयला खान दुर्घटनाओं के बारे में जांच न्यायालयों के प्रतिवेदन ।

**संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1977 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 501 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) धातु-युक्त खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1977 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 502 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 485/77]

(2) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विवरण संख्या 38—नौवां सत्र, 1969 चौथी लोक सभा

| | |
|---|---|
| (दो) विवरण संख्या 24—आठवां सत्र, 1973 | पांचवीं लोक सभा |
| (तीन) विवरण संख्या 20—बारहवां सत्र, 1974 | |
| (चार) विवरण संख्या 24—तेरहवां सत्र, 1975 | |
| (पांच) विवरण संख्या 7—सोलहवां सत्र, 1976 | |
| (छः) विवरण संख्या 4—सत्रहवां सत्र, 1976 | |
| (सात) विवरण संख्या 1—अट्ठारहवां सत्र, 1976 | |
| (आठ) विवरण संख्या 1—पहला सत्र, 1977 | छठी लोक सभा |

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 486/77]

(3) केसूरगढ़ कोयला खान में 9 अगस्त, 1975 को हुई दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) चसनाला कोयला खान में 27 दिसम्बर, 1975 को हुई दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) चसनाला कोयला खान में 5 अप्रैल, 1976 को हुई दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) सुदामधीह कोयला खान में 4 अक्तूबर, 1976 को हुई दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 487/77]

## समितियों में निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

*Motions for elections to Committees*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I beg to move :

"That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the All India Institute of Medical Sciences for a term of five years, subject to the other provisions of the said Act."

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्यों के रूप में पाँच वर्ष की कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I beg to move :

"That in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Indian Nursing Council."

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय उपचर्या परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted.*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I beg to move :

"That in pursuance of Section 5(g) of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for a term of five years, subject to the other provisions of the said Act."

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान चण्डीगढ़ अधिनियम, 1956 की धारा 5 (छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सदस्यों के रूप में पांच वर्ष की कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**अध्यक्ष महोदय :** आज सुबह मैंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा है। मुझे दलों के सदस्यों के नाम चाहिये जैसे ही ये नाम मुझे मिल जायेंगे मैं समिति गठित कर दूंगा ये सब बातें समिति के समक्ष उठाई जायेंगी। मुझे एक और पत्र भी मिला है। मैं इसे समिति के पास भेजूंगा जो एक या दो दिन में गठित की जायेगी। जब समितियाँ बन जायेंगी तो मेरे लिये आसानी होगी। वित्त मंत्री आज 3.30 बजे अपना उत्तर देंगे।

**श्री एम० कल्याणसुन्दरम** (तिरुचिरापल्लि) : मैंने नियम 377 के अधीन एक मामला उठाने के लिये आपकी अनुमति मांगी है।

**अध्यक्ष महोदय :** अभी नहीं। मैंने इसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया है। जब सूचना मिल जायेगी तो मैं आपसे यह मामला उठाने के लिये कहूंगा ताकि मंत्री कुछ उत्तर दे सकें। परन्तु यदि आप मंत्री से उत्तर नहीं चाहते हैं तो इस मामले को आप उठा सकते हैं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : अभी तक यह प्रथा रही है कि जब कभी सदस्य नियम 377 के अधीन या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना देते हैं तो उन्हें सूचित किया

जाता है कि उनकी सूचना स्वीकार/अस्वीकार किया गया है । परन्तु गत दो दिनों से मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और मंत्री महोदय के पास भेज दिया है । कल या सोमवार को मुझे समय मिलेगा । आपने जो मामला उठाया है उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में शामिल किया गया है । यह समय मिलने पर ही उठाया जायेगा।

---

## सामान्य बजट, 1977-78

## सामान्य चर्चा--जारी

GENERAL BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Yesterday I was speaking on the educational policy. This year 80,000 students will not be able to seek admission into Delhi University because of shortage of seats there. Hence, Government should raise the number of seats there. There are many complaints against the Vice-Chancellor of the Delhi University. The monopoly formed there by the previous government must be put to an end.

The courses prescribed for the junior classes are so heavy that the students are not able to bear their burden. The Education Minister should consider this matter and see that the burden of the students is lightened.

The Basti district of Uttar Pradesh, which is very poor and backward, is faced with the serious problem of floods. There are seven rivers in the district which destroy the crop every year. To control the floods in the district a dam should be constructed on the River Ghaghra.

There is great need for providing communication facilities in the country. If the Janata Government can do something concrete in this regard during its five year tenure it will be a great boon for the people.

The amount of compulsory deposit by the employees, which has been withheld by the Government for two years should be paid to them as early as possible.

Farmers should get more price for sugarcane and the tax on bidi should be withdrawn as bidi is used by the common people. With these words I support the budget.

SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : There is a proposal in the budget to increase the excise duty on bidi. While doing so the Government should go into the difficulties experienced by the bidi workers. There is no law to protect them from the exploitation of the capitalists who do not pay their wages for months together. It is high time the Janata Government should take some initiative to stop this kind of exploitation.

Many good things have been said in this budget and many facilities are proposed to be given to the people. But the question is how those things are going to be implemented. It is, therefore, necessary that the implementation machinery is geared up.

There is much corruption in the grant of credit to the farmers. If they ask for Rs. 1000, the amount that they actually receive is only Rs. 600/-. At the time of recovery high-handed methods are used with the result that the farmers are completely ruined. The Janata Government should try to rid the credit system of corruption.

**(श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए)**

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

In Madhya Pradesh and Maharashtra manganese ore is a big industry. Although the income from this industry is worth crores of rupees the workers have remained neglected. In Manganese Ore India Ltd. 17 percent of shares are held by the Central Government,

17 percent by the Maharashtra Government, 17 percent by the Madhya Pradesh Government and 49 percent by a British Company namely C.P.M.O. The industry must be fully nationalised. The workers engaged in Manganese Ore India Ltd. do not get proper wages. No wage board has been set up for these workers. It is time the Manganese Ore India Ltd. is nationalised and a wage board is set up for the workers.

As regards the irrigation schemes mentioned in the budget, Government should ensure that they are duly implemented by the State Governments.

So far as the construction of roads is concerned, what is desirable is that more attention is paid to roads in the rural areas. But what we find is that more attention is being paid to the national and state highways. The priority should be reversed as most of the part is not linked with markets in the absence of bridges and roads.

There is much corruption in the Forest Department. In Madhya Pradesh a Forest Guard who gets Rs. 200 per month is maintaining a motor cycle. You can well imagine how there is large scale misuse of forest property. This must be stopped.

The people will not excuse the Janta Party if it is unable to fulfil promises made before the elections. The public is keepnig a constant watch on the performance of the Janta Party. However, I support this Budget.

SHRI CHAND RAM (Sirsa) : Sir, I congratulate the Finance Minister for presenting this Budget. But in certain matters it needs improvement. In every para of his budget speech he has quoted one or two sentences from the election manifesto of the Janta Party. But the amount earmarked for certain items is quite inadequate.

He has mentioned about Harijans and adivasis but has devoted only five lines for them. The Harijans, adivasis and backward classes of the country constitute about 40% population of our country. They need more attention. It is not justified to devote only five lines for these down trodden population.

Sir, I was holding the portfolio of social welfare in the united Punjab Ministry and I had attended two conferences of the Ministers of Social Welfare. There we used to deal these problems very seriously. But now in 1976-77 only an estimated amount of Rs. 15.95 crores was set apart for Harijans and that too was reduced by Rs. 20 lakhs in the revised estimate. Our present Finance Minister has no doubt increased it to Rs. 18.23 crores but the price rise has set this amount.

The income in agriculture sector is also gradually going down. There is large scope for increasing our agricultural production. The Finance Minister has suggested a 4 percent increase but according to an expert it can go up by 7 to 12 percent. So we should pay more attention to agriculture. We can provide employment to much larger number of people if our agriculture is developed on a rational basis. First and foremost need of the agriculture is water for irrigation.

Although the agreement with Pakistan over Ravi waters has expired three or four years back yet Pakistan continues to draw water from Ravi river. We should try to utilise this water for providing irrigation to our lands. In addition to that we should direct our banks to provide more loans to farmers on nominal interest.

You must try to develop cottage and small scale industries if you want to end employment. The production of goods should demarcated for this sector.

The landless Harijans and adivasis should be allotted lands. This will help in raising their standard of living. Charity begins at home. So government lands, as a matter of social policy may be allotted to Scheduled Castes and landless people.

Even today persons are being recruited in the army on the basis of caste. Even today they observe the distinction of martial and non-martial communities. Desperate diseases require desperate remedies. The Centre should ensure proper representation of scheduled castes in the army. I hope in the next budget more funds will be allocated for the scheduled castes and weaker sections of the society.

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

**श्री वी० अरुणाचलम** (तिरुनेलवेली) : महोदय आज भी मानसून पर हम उतने ही निर्भर हैं जितना कि 30 वर्ष पहले थे । हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बड़ा जोर देकर कहा है कि लोगों के वर्तमान कष्टों के लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है परन्तु पहले जनता पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस में ही थे। इसलिये उन्हें सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं ।

कृषि विकास के लिये 780 करोड़ रुपये रखे गये हैं । खेद की बात है कि भारत में किसान निर्धनता के स्तर से भी नीचे रह रहा है । किसानों के लिए किये गये उपायों से कोई विशेष सफलता नहीं मिली ।

फसल बीमा योजना लागू करके ही हम किसान के जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि हलधर के निशान वाली जनता पार्टी फसल बीमा योजना को अवश्य लागू करेगी ।

कृषि उत्पाद के उचित मूल्य निर्धारित करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है । लेकिन तमिलनाडु में धान के लिये मूल्य बहुत कम रखा गया है । वर्तमान सरकार धान के सम्बन्ध में उचित नीति नहीं अपना रही है। इस पर पुन. विचार किया जाये ।

योजना परिव्यय में लोहा और इस्पात उद्योग के लिये 510 करोड रुपया रखा गया है। परन्तु सेलम इस्पात संयंत्र को 3 करोड़ रुपया ही दिया गया है । दक्षिण के साथ ऐसा भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये ।

योजना परिव्यय में पत्तनों, जहाजरानी और प्रकाश स्तम्भों के लिये 171.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । परन्तु दुर्भाग्यवश सेतु समुद्रम परियोजना के लिये कोई राशि नहीं रखी गई है । दक्षिण के प्रति सरकार के उपेक्षित रुख को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है तथा वहां के लोग इस संबंध में केन्द्र सरकार के विशेष विरोध में अपनी आवाज उठाने में झिझकेंगे नहीं ।

राष्ट्रीय विकास के लिये 6.8 करोड़ रुपया नियत किया गया है । राष्ट्रीय भाषाओं के विकास की आड़ में सरकार हिन्दी का विकास करना चाहती है । 6.8 करोड़ रुपये के कुल विनियोग में से 2.15 करोड़ रुपया हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति पर व्यय होगा। क्या यह औचित्यपूर्ण है ? सरकार यह आश्वासन दे कि यह राशि समान और उचित रूप में व्यय की जायेगी तथा ऐसा करते समय किसी राष्ट्रीय भाषा का पक्ष नहीं लिया जायेगा । इस समय ऐसा लग रहा है कि सरकार उत्तर भारत की ओर ही ध्यान दे रही है।

*श्री ए० वी० पी० असाइथाम्बी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठा कर सामान्य बजट का स्वागत करना चाहता हूं जिसमें आयकर की सीमा 8000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है । पर यह अन्यायपूर्ण है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 100 रु० भी ऊपर हो जाती है तो उस पर आयकर 8000 रुपये से ही लगेगा । इस त्रुटि को दूर किया जाये ।

अनिवार्य जमा योजना का पैसा कर्मचारियों को वापस किया जाये । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो बाजार से ऋण भी लिया जा सकता है ।

बीड़ी और माचिस पर लगा कर समाप्त किया जाये क्योंकि इनका प्रयोग अधिकतर गरीब लोग ही करते हैं ।

बड़े ही खेद की बात है कि 30 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी पेय जल की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार नहीं और कृषि का विकास नहीं हो पाया है । इसका कारण है कि इन समस्याओं के समाधान के लिये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनकी आय बहुत कम है। हमारा देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक देश का प्रशासन ढुल-मुल रहेगा ।

तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में अध्ययन करने तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण के बारे में अध्ययन करने तथा शक्तियों के विवेन्द्रीकरण के बारे में अध्ययन करने हेतु श्री राजामन्नार की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है । समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाये । केन्द्रीय सरकार को समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिये ।

यदि सभी भाषा बोलने वालों को देश में एकता से रहना है तो "दो और लो" का सिद्धान्त अपनाना चाहिये । हिन्दी भाषी लोगों को यह मांग नहीं करनी चाहिये कि हिन्दी को ही सरकारी भाषा बनाया जाये । राष्ट्रीय एकता के हित में यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषी लोग अपना रवैया बदलें । इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी भाषा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को शीघ्र ही सांविधिक रूप दिया जाये ।

यह सुझाव गलत है कि क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को समाप्त किया जाये क्योंकि ये दल केवल राज्यों की समस्याओं को ही हल कर सकते हैं । मेरा कहना है कि केन्द्र दिल्ली में बैठे-बैठे ये समस्याएं सुलझा नहीं सकता इसलिये क्षेत्रीय दल बहुत आवश्यक है ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी योजना में कहीं मूलभूत गलती है अन्यथा हम अब तक बहुत अधिक प्रगति कर चुके होते । पानी और बिजली के बिना कोई देश प्रगति नहीं कर सकता । यदि गंगा और कावेरी को मिला दिया जाये तो बाढ़ों और सूखे की समस्या एक साथ ही हल हो सकती है । बिजली की कमी के लिये भी कोई स्थायी हल निकल सकता है ।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

यद्यपि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकारी कर्मचारी समान कार्य करते हैं लेकिन उनके वेतनमानों में अंतर है । केन्द्र सरकार को यह अंतर और असमानता को दूर करना चाहिए ।

जनता सरकार को द्विभाषा फार्मूला लागू करना चाहिये । त्रिभाषा फार्मूला इस देश के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा राज्यों की अपनी भाषा ही वहां की सरकारी भाषा होनी चाहिये और केन्द्र में अंग्रेजी होनी चाहिये।

SHRI MRITUNJAY PRASAD VERMA (Siwan) : I am happy that I am participating in the debate. Three months ago no body could dare to speak here. Even if something was said it was not printed in the Press. Now the people can know what we say in this House. Even our friends opposite, who were members of the ruling party could not open their mouths. They knew that if they speak the truth they would be put behind the bars. A number of Members of this House had been put behind the bars. The President of our party Shri Chander Shekhar had not resigned from that party. He was expelled from Congress Party because he refused to close eyes from reality. Some of them appreciate the actions taken by our party, such as removal of press censorship etc. Still there are a few persons whose brains have been totally washed, who are not prepared to accept the good actions of the new Government. They criticise everything, whether it be good or bad. Every political party was allowed to use radio and television. Every party was given equal time. This could never have been thought of during the previous regime.

Our Prime Minister has created a post of leader of the opposition and affended him the status of a Minister.

All persons who fought from liberation of our country and also few restoration of democracy should be recognised as freedom fighters. The families of the persons who died while in detention or shortly after their release should be given relief. No provision has been made for them in the budget.

There should be proper investigation of atrocities committed in jails. Sunder dacoit, it is feared, was killed by the police. Certain persons have been arrested in that connection. The Nexalites who escaped from Bhagalpur jail and were later on caught were shot dead. A number of prisoners died while in jail and many others died shortly after their release. People were detained and given mal-treatment. All these matters require invstigations.

Babu Jaya Prakash Narayan was detained for 4-4½ months. He was suffering from diabeties only. The damage to his kidneys was due to carelessness. That could be diagnosed only in Bombay. The people have doubts that he was released only when it was believed that he would not survive from more than a few weeks. Though he is living today but his condition is worse than a dead person.

The officers who are responsible for atrocities should be punished. The previous government did not succeed in sterilisation of the people but it did succeed in sterilisation of the supreme court. In that situation the police officers detained anybody they wanted under MISA. If any body was killed by firing it was stated that he died in an encounter.

If the Government want to give relief to people it should reduce taxes on middle class people even if they have to enhance taxes on upper class people. The Government has enhanced the taxation exemption limit from Rs. 8,000 to Rs. 10,000 but the surcharge has been increased from 10 to 15 percent. I want that there should be exemption upto 15,000 rupees. The income of Rs. 2,000 today is equal to Rs. 200/- of 15 years back and 400-500 of 10 years age.

The old men die older these days and pensioners have to suffer due to increase in prices. You should allow them same dearness allowance. At least those drawing less than Rs. 500/- should be given same relief.

We should remove the time capsule and arrange few writing of true happenings of our times.

**श्री सोनु सिंह पाटिल** (इरन्दोल) : यह सराहनीय बजट है क्योंकि इससे जनता पार्टी का दर्शन परिलक्षित होता है । इस बजट में जनता पार्टी की बुद्धिमता एवं श्री एच० एम० पटेल का अनुभव भी शामिल है । इस बजट में गांधीवादी माध्यात्मिकता एवं देश की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है । नयी सरकार से तीन महीने में प्रस्तुत किए गये बजट में बहुत आशाएं नहीं लगाई जा सकती । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने अपनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों का दावा किया था । परन्तु कृषि उत्पादन में वृद्धि जन संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं रही । देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है ।

इस बजट द्वारा जनता पार्टी द्वारा किये गये वादों का पूरा करने का यत्न किया गया है । अमीरों का साथ देने के लिए जनता पार्टी की आलोचना की गई है । कांग्रेस ने नई सरकार को रचनात्मक सहयोग का वचन दिया था । वह अपने को ही निर्धनों का संरक्षक मानते हैं । मैं 46 वर्ष कांग्रेस में रहा हूं । सच्ची कांग्रेस अनुशासनहीनता में विलीन हो गई है ।

जनता पार्टी ने गांधी जी की समाधि पर पवित्र संकल्प लिया है । यदि इस शपथ का उल्लंघन किया जाता है तो यह अच्छी बात नहीं है । मैं सदा कृषि को अधिक महत्व देने पर बल देता आया हूं । इससे हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा । हमारे देश की समस्याएं धनी देशों से भिन्न हैं । जनता पार्टी जनता के बलबूते पर ही सत्ता में आयी है ।

बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि जनता पार्टी गरीब जनता की पार्टी है । आज जनता सिंचाई की सुविधाएं, बिजली, ग्राम-विकास तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन चाहती है । जनता इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के पक्ष में है । हमारी राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत प्रशासन पर व्यय होता है । विकास कार्यों पर अधिक धन व्यय करने के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता नहीं आ सकी है ।

हमारी योजनाओं का निर्माण दिल्ली में होता है । ग्राम जनता में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेषज्ञ नहीं समझा जाता ।

हमारे बजट में एक खामी यह है कि हमने वित्तीय वर्ष की वही पुरानी रूढ़ि अपनाई है, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च, तक वित्तीय वर्ष अपनाया है । क्या हम इसे 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, तक वर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकते ? यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि भारत की परिस्थितियां भिन्न हैं । वित्तीय वर्ष के अन्त में हम बजट के प्रावधानों के आवंटनों को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास करते हैं । अंततोगत्वा इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है । और त्रिशूर्ग योजना बनती है । इस बजट से संतुलन बना रहेगा । इसे केन्द्रस्थ बजट कहा जा सकता है । यह वाम पंथी या दक्षिण पंथी न होकर मध्यम बजट है । 1969 में वास्तविक कांग्रेस समाप्त हो गई थी । इसके बाद जो कांग्रेस बची रही वह इन्दिरा बिग्रेड है ।

हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि हमने बजट में भूमि सुधार कार्यों को स्पष्टतः नहीं दर्शाया है । देश में अनेक अवसरों पर उचित निर्णय लिये गये हैं और इसका प्रारम्भ प्रधान मंत्री ने 1937 में किया था । भूमि सुधार कार्यों से ही देश का विकास हो सकता है। परन्तु भूमि-सुधार के मामले में हम रूस की नकल नहीं कर सकते ।

हमारे देश को जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । हम निर्धन वर्ग के हितों के प्रति जागरुक हैं । सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं। यह तो मरु-मरीचिका है । इनमें 1955-56 से 61 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 1966-67 में 36 करोड़ रुपये का। इसलिये वित्त मंत्री ने कहा है कि घाटे में चलने वाली मिलों का स्वथ्य मिलों में विलय हो जाये। वाणिज्यिक हितों का नियन्त्रण करने के लिये हमें पूरे अधिकार प्राप्त हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से हमने समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है । सामाजिक नियन्त्रण ही उचित और सही उपाय है।

बीड़ियों पर कर लगाना बहुत अनुचित है क्योंकि इसे निर्धन वर्ग के लोग ही प्रयोग में लाते हैं।

लघु उद्योगों के लिये 30 लाख रुपये की सीमा, विशेषत: औषध उद्योग और खंडसारी उद्योग की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । यदि हमारी चीनी फैक्ट्रियां सहयोग के आधार पर स्थापित होती है तो भी चीनी फैक्ट्रियां कृषि पर आधारित है और रोजगार की भारी क्षमता प्रदान करती हैं। यदि इन पर उचित ध्यान दिया जाता है तो रोजगार की समस्या का समाधान होगा ।

**डा० विजय मंडल** (बांकुरा) : मैं वित्त मंत्री को इस बार वास्तविक जनता बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। मैं पश्चिम बंगाल के एक पिछड़े जिले से आया हूं जो सूखे से तथा प्राकृतिक विपत्तियों से बार-बार प्रभावित होता है । बांकुरा और पुरुलिया जिले सूखे से प्रभावित हैं। यहां पर प्रत्येक दो या तीन वर्ष के बाद सूखा पड़ता है । इस वर्ष भी सूखा पड़ा है । हमने केन्द्रीय सरकार से राहत के लिये कहा है और केन्द्रीय सरकार ने कुछ राहत कार्य वहां किये भी हैं। यह बजट खेतिहर लोगों के हितों का ध्यान रखेगा परन्तु इसमें सूखे और अकाल से पीड़ित पश्चिम बंगाल के जिलों में रहने वाले निर्धन लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिये वहां कुछ सिचाई परियोजनाएं शुरू करने के लिये कुछ विशेष कदम उठाये जायें और उन्हें युद्ध-स्तर पर कार्यान्वित किया जाये।

लगभग 15 या 20 वर्ष पूर्व कंसावती नदी परियोजना शूरू की गई थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है । केवल थोड़े से ही क्षेत्र में सिंचाई होती है । यह परियोजना धनाभाव तथा अन्य बातों के कारण पूरी न हो सकी है । वित्त मंत्री को इस प्रयोजन के लिये धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये।

छोटी सिचाई परियोजनाओं को विशेषतया सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा इस उद्देश्य के लिये बजट में कुछ प्रावधान किया जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में प्रगति दर एक समान नहीं है जिससे कुछ क्षेत्रों में समृद्धि हो गई है और कुछ क्षेत्रों में गरीबों की संख्या बढ़ गई है । अतः इस दिशा में कुछ उपाय किये जाने चाहिये ।

कुछ जिलों में अनेक कुटीर उद्योग हैं । पिछली सरकार ने हथकरघा उद्योग की ओर उचित ध्यान नहीं दिया था । इस सरकार को हाथकरघा उद्योग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस उद्योग पर बहुत अधिक लोग जीवन निर्वाह करते हैं । बेल मैटल उद्योग, पौटरी उद्योग, शंख उद्योग और लाख उद्योग जैसे अन्य कुटीर उद्योगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । ये बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं। इन्हें पुनर्जीवित करने के लिये कुछ उपाय करने चाहिए।

इस समय कपास का मूल्य 1966 में विद्यमान मूल्य से दोगुना हो गया है । अतः हथ-करघा बुनकरों की आय प्रतिदिन 2 या 3 रुपये भी नहीं हो पाती है इस दिशा में कुछ उपाय किये जाने चाहिये।

बीड़ी पर कर लगाना गरीब लोगों पर कर लगाना है, क्योंकि गरीब लोग ही बीड़ी पीकर अपनी थकान मिटाते हैं । अतः बीड़ी पर से कर हटाया जाना चाहिये।

यद्यपि आयकर की छूट सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है, तथापि 8,000 रुपये से अधिक की आय पर लगने वाले आयकर पर वसूल किये जाने वाले अधिभार से कुछ भ्रम पैदा हो गया है जिससे जो राहत दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कुछ राहत अवश्य दी जानी चाहिये।

**श्री के० टी० कोसलराम** (तिरुचेंदुर) : जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है यह बजट उन लोगों के लिये, जिन्होंने इस पार्टी का चुनाव-घोषणा पत्र तैयार किया था, आश्चर्य का विषय बन गया है, बजट दस्तावेज वित्त मंत्रालय, जिसने योजनाओं की भिन्न व्याख्या की है, की नकारात्मक विचारधारा का परिचायक है।

विभिन्न मदों के अन्तर्गत राशि आवंटन करते समय बजट में ग्रामीण अभिनीति देने का प्रयास किया गया है । लेकिन यह बहुत कम है । क्योंकि ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लिये वर्तमान परिव्यय के अलावा 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि चुनाव घोषणा पत्र में इसके लिये वचन दिया गया था । लगभग 1000 टी० एम० सी० जल, जो केरल से होकर समुद्र में जाकर गिरता है, अनुपयुक्त चला जाता है । सिंचाई आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस सुझाव का अध्ययन करने के लिये कदम उठाये जायें तथा इस जल का बहाव तमिलनाडु, विशेषतया पश्चिमी घाटों के दूसरी ओर के क्षेत्रों में, मोड़कर, इसका उपयोग करने की योजना बनाई जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के प्रतिनिधियों की एक समिति इस मामले का अध्ययन करने के लिये गठित की गई थी । लेकिन केरल सरकार ने इस समिति के निदश-पदों पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशपदों पर अपनी सहमति दे ताकि समिति अपना कार्य आरम्भ कर सके और इस प्रयोजनार्थ एक समयवद्ध कार्यक्रम बना सकें ।

प्रति वर्ष सुझाव दिये जाते हैं कि गंगा नदी को कावेरी नदी से मिलाने के लिये प्रयास किये जायेंगे । सिंचाई और जल परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी यह मत है कि जब यह योजना पूरी तरह क्रियान्वित हो जायेगी तो इससे जल परिवहन, कृषि उत्पादन आदि के क्षेत्र में रोजगार

के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इन दोनों नदियों को मिलाने से हमारे पास समेकित नदी विकास कार्यक्रम हो जायेगा जिससे कुछ क्षेत्रों में पड़ने वाले सूखे की समस्या हल हो जायेगी और साथ ही उन लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वित्त मंत्री, सिंचाई और कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और भारत की इन दो महान नदियों का संगम करने वाली योजना के लिये अवश्य ही राशि का प्रावधान करना चाहिये।

हमें मालूम है कि औद्योगिक गृहों द्वारा बनाये गये जाली धर्मार्थ न्यासों से राष्ट्र को करों का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इस त्रुटि को दूर करने के लिये ही कुछ वर्ष पहले आयकर कानून में संशोधन किया गया था जिससे इन न्यासों को निर्धारित समय के भीतर अपनी हुंडी जमा करनी होती है। इस अवधि को 1 अगस्त, 1981 तक बढ़ाकर वित्त मंत्री ने इन न्यासों को नवजीवन दे दिया है। इस समयावधि में देश के आर्थिक हितों के प्रतिकूल कार्यों से करों का अपवंचन होगा। इस प्रस्ताव को समाप्त कर देना चाहिये।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में बड़े पैमाने पर खपत के लिये जन साधारण के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन करने पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन बजट में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था से बनी खाई को पाटने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। वित्त मंत्री अतिरिक्त कराधान से यह घाटा पूरा कर सकते थे और इस बजट को पूर्णतः सन्तुलित बजट बना सकते थे।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : First of all I would like to congratulate the Finance Minister for having presented a balanced budget in the prevailing difficult circumstances. It is well known how the resources were misused during the congress regime with the result that the income of common man has gone down and none of our problems has been solved. Members from Congress benches have claimed that they have made a substantial contribution to our economy and left a strong base which has enabled the Janata Government to bring this budget.

What is the heritage left by the Congress after 30 years continuous rule in the country. We had been heavily taxed. Disparity has increased. The problems in regard to agriculture, employment and rural industries have been left untackled.

Now an effort has been made to tackle these problems in this budget. I represent the eastern region of Uttar Pradesh. This region has a distinction of being one of the most backward region in our country. The reason is that they have participated in freedom struggle. A deliberate attempt was, therefore, made to keep them poor and backward during British period. It is sad that even after freedom came the Congress Government did not succeed in eliminating poverty and provide employment during all these years. It is for this reason that the people rose in revolt against that rule and threw them out of power. What is the position today? There is wide spread unemloyment and poverty. Whatever cottage industries are there are slowly disappearing. This has put artisans in a pitiable condition. This posed a big challenge for Janata Party. Effective and immediate steps should, therefore, be taken to revitalise cottage industries and to accelerate development of that region.

I am happy that allocation on defence has been reduced. This proves that we are a peace loving country. But this should not affect our defence preparedness. We must be fully vigilant.

Government expenditure has been steadily on increasing. During the previous rule large amount has been spent on the visits of the former Prime Minister and Shri Sanjay Gandhi. The tax payers have to pay for it through their nose. Such practices are undemocratic. I am happy that the Prime Minister of the Janta Party Government has cut down many such ceremonious and unnecessary expenditure. Effective steps should be taken for the development of village and cottage industries in rural sector. Industries based on agriculture should be encouraged.

Government should see that every inch of land is irrigated, every individual of this country becomes literate and all persons should get employment. Every effort should be made in this directoin only then we will be able to eradicate poverty and provide employment to our young men.

With these words I support the budget.

SHRIMATI KAMALA BAHUGUNA (Phulpur) : I welcome this budget. This is a development oriented budget, with emphasis on agricultural. And that is rightly so because our economy depends mainly on agriculture. But strongly no concession has been given in this budget to various inputs such as mobile oil, fertilizers, pesticides used by the agriculturists. Steps should be taken to reduce the price of inputs like pesticides, fertilizers, seeds, etc. used by the farmers.

We have taken steps towards rural industrialisation. This is a welcome measure to reduce unemployment in our villages, unless employment opportunities are created in the villages itself by opening small and cottage industries, the problem of unemployment cannot be solved.

I am afraid that short supply of power will act as a constraint on rapid industrialisation. So long power supply is not adequate how we are going to achieve industrial development. Therefore, effective steps should be taken to accelerate power generation in the country. For this purpose more emphasis should be laid on generation of thermal power than on Hydel power. This can be made possible by setting up small thermal power stations based on coal throughout the country.

Stress has not been laid on public sector. When we undertake rural industrialisation we shall need more machines and more investment. If we depend too much on private sector it would be bad for the country. The public sector should not be ignored on the plea that it yields less profit or no profit.

Tax on bidis is adding burden on common people and it is success of the cigarette lobby. I wish that tax on bidis be totally removed.

The common man has high expectations from Janta Party. The people have seen one party during the last 30 years. That party committed certain mistakes and the people have withdrawn their support from it and formed a new party of their own. We ought to do everything possible to meet the expectations of the people.

The basis of all production are Harijans who work in both farms and factories. Nothing has been done in this budget to give relief to that sector so that we may get their support. Harijans, minorities and women form 75% of the population. The Government should draw schemes for their welfare.

The cut in defence budget is a controvercial matter. I am of the definite opinion that there should be no reduction in defence expenditure. We fought three wars in last 12 years. There are certain nations who had been at war with us and are now converting themselves into military states. The reduction in defence expenditure should be withdrawn.

The pay scales of university and college teachers have been improved. The scales of secondary and primary teachers need to be improved.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : The points raised by the members of the opposition have been sufficiently replied. Even the newspapers belonging to capitalists have criticised the budget saying it as statistical budget.

What has the former Government given during 30 years of its rule ? The number of persons living below the poverty line has risen from 40 per cent to 68 per cent. The number of the unemployed and under-employed has risen by 13 crores.

We have also inherited high prices from the former Government.

The production of edible oils, sugar and cloth has fallen from 15 to 30 per cent. There has been 250 per cent increase in taxation.

The rate of our investment is not different from that of 1967. Our present coal production is not more than the coal production of 1965-66.

The politicalisation of banks was done in the name of nationalisation.

During the shameful regime of Indira Gandhi re-actionary economic system has flourished. According to a 'Times of India' report 300 big industries and 40 thousand small and medium factories were closed. The capitalists were having all the facilities during Indira regime.

Even in the 20-point programme 14 to 20 points gave benefit to the rich people.

Foreign investment has gone up from 254 crores in 1973-74 to 1,000 crores in 1975-76. In fact the former Government has mortgaged the country with the world bank. The bank officials had recommended enhancement of aid to this country.

The budget has been termed as stand still, unexciting budget. Price rise has been the main problem of the last 10 years. This budget has given the least deficit during the past 10 years and it would keep in checking inflation in the country.

The second feature of this budget is that having become confident reduction in defence budget has been proposed. But at the same time we have not ignored the dangers posed before the nation.

The third feature of the budget is that it lays stress on rural development and agriculture. We feel that only rural industries can keep us in checking unemployment. In fact there is no other way to reduce unemployment. The budget provides for 35 crores of rupees for village and cottage industries. It would provide employment to 20 lakh persons. We could end unemployment by raising this allocation. We should set up a separate Ministry of Rural Development.

Janta Government has provided 22 crores of rupees for rural roads. We spend crores of rupees for development of national highways but we do not give due importance to rural development.

Black money is the greatest curse of our economy. There is only way to check it and that is demometization of currency.

So long as black money is there we cannot have an independent and self supporting economic system.

It is essential to check the rising prices. We should introduce 10 per cent reduction in our salaries.

***श्री ए० सूभा साहिब** (पालघाट) : वित्त मंत्री महोदय ने कृषि विकास कार्यक्रमों में नवीनता लाने का उल्लेख किया है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.*

हमारी 80 प्रतिशत जन संख्या ग्रामों में रहती है । लेकिन कृषि की आवश्यकता को देखते हुए उसके लिये जो आवंटन किया गया है वह बहुत कम है। अतः मेरा सुझाव है कि कृषि आवंटन में वृद्धि की जाये।

इस बजट को आम जनता का बजट होना चाहिये था, लेकिन यह जनता का बजट नहीं है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मध्यम वर्ग हमारे समाज की आधारशिला है। फिर भी उनकी आवश्यकता की वस्तुओं, जैसे घड़ियों, रेडियो इत्यादि पर भारी कर लगाया गया है। अनिवार्य जमा योजना की राशि मध्यमवर्ग के लाखों लोगों को वापिस नहीं की जा रही है। अपितु उसे भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बीड़ी पर भी कर लगाया गया है जोकि निर्धन व्यक्ति पीते हैं। इस बजट से जनता पार्टी और उसकी सरकार की करनी और कथनी का अन्तर स्पष्ट झलकता है । लोगों ने जो आस्था जनता पार्टी में व्यक्त की है क्या उसको मान देने का यही तरीका है? सरकारी क्षेत्र, जिसने कि देश के लाखों शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं, कि उपेक्षा की जा रही है और निजी क्षेत्र, जोकि बढ़ती हुई रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है, को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण औद्योगिक विकास की भी उपेक्षा की जा रही है । यदि जनता के हितों की इसी तरह उपेक्षा की जाती रही तो लोग सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। सरकार हमें बताए कि किस प्रकार वह बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करेगी।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सुचारू रूप से चलने वाली मिलों को इस बात के लिये राजी किया जायेगा कि वे बन्द पड़ी कुछ मिलों को अपने हाथ में ले लें । यह एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है । इससे और जटिलताएं पैदा होंगी । केन्द्र सरकार को इस समस्या का कोई और व्यवहार्य समाधान सोचना चाहिये । बजट में मुद्रा-स्फीति को रोकने तथा बढ़ते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण पाने के सम्बन्ध में कोई सशक्त रवैया अपनाने के बारे में संकेत नहीं किया गया । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक सुसंगत आर्थिक नीति बनाने का दावा किया है जिसमें आजीविका और स्वतंत्रता दोनों पर एक समान बल दिया गया है । लेकिन बजट ने इस आर्थिक नीति को झुठला दिया है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि और मुद्रा-स्फीति के कारण न तो आजीविका प्राप्त हो सकती है और न ही स्वतंत्रता । मूल्य-वृद्धि को रोकने तथा मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिएं।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]**

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI BHARAT BHUSHAN (Nainital) : No doubt this Budget cannot be termed as a revolutionary budget of the Janta Party. It was not possible to do it this year.

During 1975-76 and 1976-77 there was increase in money supply to the extent of 17 per cent, prices rose by 17 per cent whereas the development was only 2 per cent. Not even the member of the opposition but the member of their own party could not

speak during Congress regime. No body could speak the truth. In these circumstances blames were put on us.

Had the allocation of 30 per cent for industrial sector been fully used there would not have been any Maruti scandal.

Every day one name used to be uttered. Now that plain truth has come to the fame why are they annoyed ?

It has been stated every where that every day commissions are appointed to hold enquiries. These commissions would enable the people to know the facts. It is heartening that Janta Government has put an end to the old reactionary system and given new directions.

When the former Prime Minister used to tour the country, it looked as if she was not a people's representative and the entire population was bent upon killing her. The Prime Minister of the Janta Government has put an end to that situation. The practice of spending lakhs of rupees as Prime Minister has been stopped.

Most of our money used to be spent on establishment. The allocation as plans was largely spent on repayment of interest. There was very little for the good of the people. I do believe that the Janta Government would see that most of the plan allocation is spent for the welfare of the people.

I represent hilly area of U.P. That area could not come up even after so many five year plans have been implemented. National planning during the last two decades had, in fact, no impact on this area. No roads and means of communications are there. This area remained neglected in the matter of tourism railways and other matters. Foundation stone of Rampur-Kathgodam railway line was laid by the former Prime Minister in 1974 but the work has not so far been started on this line. I hope that the new Government will pay necessary attention towards this line.

Moradabad-Ramnagar metre-gauge line should be converted into broad gauge line. Foundation stone of Jimrani Dam was laid in 1974 but the construction work has not so far been undertaken whereas Rupees one crore is being spent on the Dam Administration annually since 1974.

MR. SPEAKER : You can raise it at the time of discussion on irrigation demands.

SHRI BHARAT BHUSHAN : Some of the members sitting on the opposition benches say that this budget looks like a budget of Swatantra Party budget, because our Finance Minister was once a member of Swatantra Party. The opposition members should repent for that past misdeeds.

The Janta Party should do its all to fulfil the promises made to the people and pay adequate attention towards rural development.

**श्री आर० मोहनरंगन** (चेंगलपुठ) : सामान्य बजट पर अपने विचार प्रकट करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है । हम पिछले 26 वर्षों से सेलम इस्पात संयंत्र के बारे में बातें करते आ रहे हैं । पिछली सरकार का कहना था कि इस योजना पर 510 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जबकि कुल 13 करोड़ रुपये व्यय किये गये । यही नहीं नेवेली संयंत्र के लिये केवल 5 करोड़ रुपये व्यय किये गए और इस संयंत्र के विकास के लिये उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया । सेलम इस्पात संयंत्र के क्रियान्वयन तथा नेवेली संयंत्र विकास के लिये और अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिये । कावेरी-गंगा परियोजना पर सही ध्यान दिया जाना चाहिये । सरकार को कलपक्कम आणविक बिजली परियोजना के सही क्रियान्वयन के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

इससे पहले सरकार फिल्मों के प्रिन्टों की संख्या पर ही उत्पाद शुल्क लगाती थी । अब यह यथा मूल्य आधार पर लगाया जायेगा । यदि 10 प्रतिशत यथामूल्य उत्पाद शुल्क लगाया जाए तो दक्षिणी भारत में तमिल तथा तेलगु फिल्म उद्योग पूरी तरह नष्ट हो जायेगा ।

हमारा दल किसी भी भाषा विशेष के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता । किसी भी भाषा का विकास अन्य भाषाओं का अहित करके न हो सकता है और न ही किया जाना चाहिए । तमिल अच्छी भाषाओं में से एक है और इसे इसका सही दर्जा दिया जाना चाहिए । हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी तथा संस्कृति के लोग रहते हैं । कोई विशिष्ट भाषा या संस्कृति एक दूसरे के ऊपर अपनी सर्वोच्चता प्रकट नहीं कर सकती ।

**वित्त राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : इस बजट को अनेक सीमाओं के अन्दर रहते हुए पेश किया गया है । हमें कई ऐसी योजनाएं विरासत में मिली हैं जिन पर व्यय करने के लिये लम्बे चौड़े वायदे किये गये थे और इन परियोजनाओं पर किये जाने वाले व्यय को बीच में बन्द करना पैसे की बरबादी करना होगा । हमारे दल ने योजनाओं की प्राथमिकताओं के पुन: निर्धारण पर बल दिया है ताकि ग्रामीण विकास हो सके। फिर भी ग्रामीण विकास सम्बन्धी कई गतिविधियां राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आती हैं और कई कारणों से मेरे लिए यह सम्भव है कि मैं राज्य सरकारों से उनकी योजनायें संशोधित करने के बारे में उनसे विचार विमर्श करूं । फिर भी हम 267 करोड़ रुपये की बचत करने में समर्थ हुए हैं और यह राशि कृषि सिंचाई, ग्रामीण जल सप्लायी तथा आवश्यक आधार-भूत ढांचे के लिये आवंटित की गई है ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि जब कि वर्ष 1976-77 के बजट में कृषि के लिये 3471 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जो कुल परिव्यय का 44 प्रतिशत थी, इस बजट में 3024 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि कुल परिव्यय का 30.4 प्रतिशत है । इन दोनों आंकड़ों की तुलना नहीं की जानी चाहिये । पहले आंकड़े कृषि, सिंचाई उर्वरक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित बिजली पर कुल परिव्यय की राशि थी। बजट में दी कई कम राशि सहकारिता पर परिव्यय का 85 प्रतिशत ह जोकि कृषि क्षेत्र के लिए है और कुल परिव्यय का केवल 15 प्रतिशत विद्युत के लिये है जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है । इस आधार पर वर्ष 1976-77 के लिये तुलनात्मक आंकड़े 2312 करोड़ रुपये और 1977-78 के लिये 3024 करोड़ रुपये होंगे । इस प्रकार चालू वर्ष के आवंटन में 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है । यदि कृषि और सहायक सेवाओं की ओर ध्यान दिया जाये तो पता चलेगा कि बजट में प्रस्तावित केन्द्रीय योजना परिव्यय 1976-77 की अपेक्षा 548 करोड़ रुपये अर्थात 64 प्रतिशत अधिक है । सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिये किया गया आवंटन भी 47 प्रतिशत अर्थात् 1244 करोड़ रुपये अधिक है । क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि इस वर्ष कृषि को गत वर्ष 1976-77 की अपेक्षा कहीं अधिक समुचित राशि का आवंटन किया गया है । लेकिन यह वृद्धि अभी भी उतनी नहीं है जितनी कि मैं चाहता था । ग्रामों में सिंचाई और पेय जल की व्यवस्था करने हेतु दी जाने वाली राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि की जायेगी । कृषि पर अधिक धन व्यय करने का हमारा वायदा पक्का और स्पष्ट है तथा आगे आने वाले वर्षों के बजट से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी ।

कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी ग्रामीण विकास की बात की है । इसमें संदेह नहीं कि हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र में कुछ वर्षों के दौरान तरक्की की है । लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं रही जितनी कि होनी चाहिये ।

श्री सुब्रह्मण्यम न कुछ भूलते हैं और न कुछ सीखते हैं । उन्होंने बार-बार मेरे स्वतंत्र दल के दर्शन का उल्लेख किया है । अन्तरिम बजट पर चर्चा के दौरान मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जनता पार्टी के सदस्यों का अब कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है । जनता पार्टी में शामिल होने के समय हमने इस पार्टी के दर्शन को, उसके घोषणा-पत्र को तथा उसके कार्य करने के ढंग को खुले दिल से स्वीकार किया । मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य आय और सम्पत्ति की विषमता को दूर करके बचत को बढ़ावा देना है । इसीलिये मैंने आयकर पर अधिभार 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है (2) सम्पदा कर को भी, जिसे श्री सुब्रह्मण्यम ने बहुत कम कर दिया था, बढ़ाया है और (3) निगमित करों पर अधिक ऐच्छिक अधिभार देने की छूट वापस ले ली है जिससे कोष में 56 करोड़ रुपये आयेंगे ।

श्री सुब्रह्मण्यम ने पिछले वर्ष प्रत्यक्ष करों से आय में कोई वृद्धि नहीं की लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्यक्ष करों से 92 करोड़ रुपये वसूल किये जायें । इस मद से पहले कभी इतना राजस्व प्राप्त नहीं हुआ । यही नहीं इस वर्ष अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों से अधिक धन वसूल होगा । अब सभा को इस बात का निर्णय करना है कि मैंने जिसकी पृष्ठभूमि स्वतंत्र पार्टी की है, कर नीतियों के पुनः वितरण के सम्बन्ध में अच्छा काम करके दिखाया है या कि 'स्वयं भू' कांग्रेसी समाजवादी सुब्रह्मण्यम ने किया था ।

प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि वर्तमान बजट ने सरकारी क्षेत्र के महत्व को कम किया है । उन्होंने यह भी लांछन लगाया है कि सरकार के मन में सरकारी क्षेत्र के प्रति पूर्वाग्रह है । वर्तमान बजट में गैर-विभागीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को साम्य और ऋण के रूप में 2,192 करोड़ रुपये का अंशदान देने का प्रस्ताव है जबकि 1976-77 इस में उद्देश्य हेतु 1832 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । क्या ये आंकड़े इस आलोचना, कि जनता सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रति उदासीन है, को झूठा सिद्ध नहीं करते । हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । देश के सभी क्षेत्रों को चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी अथवा सहकारी सभी की ओर हम बराबर और समुचित ध्यान देंगे ।

कई सदस्यों ने शिकायत की है कि इस बजट में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कुछ व्यवस्था नहीं की गई है । क्या 27 प्रतिशत बढ़ा हुआ योजना परिव्यय रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने में समर्थ नहीं होगा । इसी प्रकार कृषि, सिंचाई, और गांवों में आधारभूत ढांचा बनाने जैसे विद्युतीकरण और सड़क निर्माण इत्यादि के बारे में बढ़े हुए समुचित योजना व्यय के परिणामस्वरूप क्या रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी ? क्या उद्योगों में किये जाने वाले पूंजीनिवेश से उद्योगों में रोजगार नहीं बढ़ेगा । स्पष्ट है कि रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु बजट में एक निश्चित प्रयास किया गया है ।

कुछ सदस्यों ने अन्तरिम बजट की तुलना में प्रतिरक्षा व्यय में 56 करोड़ रुपये की कमी का उल्लेख किया गया है और चिन्ता व्यक्त की है कि इससे देश की सुरक्षा को कोई आंच तो नहीं आयेगी । कटौती के बाद भी बजट में प्रतिरक्षा व्यय हेतु 137 करोड़ रुपये की व्यवस्था

है जो 1976-77 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की अपेक्षा कहीं अधिक है । ऐसी मद में कोई कटौती नहीं की गई जिससे राष्ट्र को खतरा हो सकता हो।

बजट के साथ-साथ प्राक्कलनों को पेश करने का भी उल्लेख हुआ है । केवल वित्तीय बातों का उल्लेख मात्र पर्याप्त नहीं । बजट ही ऐसे तैयार किये जायेंगे जो भविष्य में अधिक जानकारी दे सकेंगे ।

रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में से 800 करोड़ रुपये का विशेष ऋण लिया जा रहा है । इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों की धारणाएं गलत हैं । हाल ही के कुछ महीनों में हमारे विदेशी मुद्रा कोष में समुचित वृद्धि हुई है । अतः इस कोष का उपयोग करके आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने तथा मूल्यों में स्थिरता लाने की जरूरत थी । इस लक्ष्य के अनुरूप हमने अपनी आयात नीति को काफी उदार बनाया है । अतः विदेशी मुद्रा कोष में से जो विशेष ऋण हम ले रहे ह, वह मुद्रास्फिति को नहीं बढ़ायेगा।

कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि इस बजट में भूमि सुधार, भूमि चकबन्दी इत्यादि के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है । यह राज्य का विषय है और राज्य को ही इन पर कार्यवाही करनी होगी। अतः अब आवश्यकता और अधिक विधान बनाने की नहीं है, आवश्यकता तो विद्यमान विधानों के निष्ठापूर्वक प्रभावी क्रियात्मक की है । भूतपूर्व सरकार इसी कार्य में असफल रही । अतः इसी लिए जनता पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी भूमि विधानों का ईमानदारी से कार्यान्वयन करेगी ।

सभी उद्योगों को पूंजीनिवेश छूट लाभ प्रदान करने की बहुत आलोचना की है कि इस सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। वित्त विधेयक में ऐसे उद्योगों की लम्बी सूची है जो पूंजीनिवेश छूट लाभ के हकदार नहीं है। अतः यह आरोप निराधार है । भूतपूर्व वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे खनन और पेट्रोलियम शोधक उद्योगों को कोई पूंजी निवेश संबंधी रियायत नहीं दी थी । सरकारी क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को पूंजीनिवेश संबंधी रियायतों का दिया जाना स्वयमेव इस बात का खंडन करता है कि यह रियायत केवल निजी क्षेत्र तक ही सीमित है।

जो उद्योग अपने देश की प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों की विकसित जानकारी का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हमने 35 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से पूंजी निवेश की रियायत दी है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इसकी आलोचना की है । प्रत्येक भारतीय को जो तकनीकी आत्म-निर्भरता में विश्वास करता है, इस प्रस्ताव से खुश होना चाहिये। यह रियायत भारतीय उद्यमकर्ता को आयातित प्रौद्योगिकी के स्थान पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु दी गई है ताकि जहां उद्यमकर्ता को भारतीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वहां उसे आयातित प्रौद्योगिकी का सहारा न लेना पड़े । अतः श्री सुब्रह्मण्यम का यह आरोप निराधार है कि यह सुविधा केवल बड़े व्यापारियों की सहायता के लिए दी गई है । इस रियायत के दुरुपयोग की संभावना नहीं है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ केवल उन्हीं मामलों तक सीमित रहेंगे जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृति देगा । और अन्ततः इस योजना का लाभ उन्हीं उद्योगों को होगा जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे । अतः उसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि कि ग्रामीण क्षेत्र में लघु पैमाने के उद्योग स्थापित करने के बारे में जो प्रस्तावित नई रियायतें दी गई हैं उनके माध्यम से चतुर व्यापारी करापवंचन करेंगे । वित्त विधेयक में इस विधेयक का स्पष्ट संकेत दिया गया है कि रियायत केवल उन मामलों में दी जायेगी जहां कि नया व्यापार चालू व्यापार को विभाजित करके या वर्तमान संयंत्र और मशीनों का अन्तरण करके स्थापित किया जायेगा। काफी सावधानी बरती गई है। यह कहा गया है कि ग्रामीण कल्याण और उद्धार के मामले में कम्पनियों को शामिल करने के लिए जो उपबंध किया गया है वह हानिकारक है और उससे करापवंचन का मार्ग खुलेगा । लेकिन यह छूट उसी अवस्था में दी जायेगी जबकि व्यय ग्रामीण विकास के विशिष्ट प्रस्तावों पर किया गया हो तथा इन प्रस्तावों की स्वीकृति निर्धारित प्राधिकरण द्वारा करानी होगी। यह प्राधिकरण काफी उच्च स्तरीय होगा।

यह भी कहा गया है कि विद्युत करघों को दी जाने वाली रियायत का लाभ केवल बड़े करघा मिल मालिकों को ही होगा क्योंकि छोटे करघ वाले तो वास्तव में बड़े उद्योगपतियों के बेनामीदार होते हैं । यह भी कहा गया कि विद्युत करघों को दिये गये प्रोत्साहन से हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये सभी आशंकाएं निर्मूल हैं। जो कर ढांचा हमें मिला है, उसके अन्तर्गत शक्तिचालित करघों की संख्या के आधार पर 50 रु० से 250 रु० प्रति वर्ष की लेवी देनी होती है । करापवंचन को न्यूनतम करने, प्रशासनिक बोझ को कम करने, कर विस्तार को समान रूप से वितरित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि बड़े मालिक आसानी से पीछा न छुड़ा सकें, मैंने यह लेवी उस धागे पर लगा दी है जिसका उपयोग विद्युत करघों द्वारा होता है । इसलिए हथकरघा उद्योग की स्थिति सुधारने के लिये हमने जो उपाय किये हैं उनकी महत्ता को कम करने के लिये ऐसे आधारहीन तर्क दिये गये हैं।

बीड़ी पर लगाये गये उत्पादन शुल्क का भी उल्लेख किया गया है । बीड़ी आम जनता के लिये अति आवश्यक नहीं है । बीड़ी पीना या न पीना अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य के लिए अहितकर तो है ही । यदि कोई बीड़ी पीना चाहता है तो दस बीड़ियों पर एक पैसा अतिरिक्त देने में उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कई सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है कि हाथ के औजारों पर लागाए गये प्रस्तावित शुल्क को हटा दिया जाना चाहिये । जो लोग हाथ के औजार 1 लाख रु० से कम मूल्य का बनाते हैं उन्हें इस कर से छूट दी गई है। हाथ के औजार बनाने वाले छोटे निर्माणकर्ताओं पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए हम इस छूट में विस्तार पर भी विचार कर रहे हैं।

कई सदस्यों का विचार है कि घड़ियों के आयात के स्थान पर उनके स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिये । सरकार ने स्वदेशी घड़ियों के उत्पादन को तिगुना करने का एक कार्यक्रम बनाया है फिर भी देश में घड़ियों की मांग को पूरा करने के लिये यह काम बजाये तस्करों के ऊपर छोड़ने से अच्छा है कि सरकार उनका स्वयं आयात करे। इससे आयात शुल्क भी वसूल हो सकेगा।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रश्न बहुत नाजुक है क्योंकि बिक्री कर राज्य का विषय है और यह उनके राजस्व का मुख्य आधार है। अतः इस बारे में कोई भी योजना बनाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा । मेरा इरादा राज्य सरकारों से ऐसी चर्चा करने का है ताकि उन्हें भी सहमत किया जा सके।

सरकार कृषि को समुचित ऋण उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हम चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र को बैंकों की ओर से मिलने वाले ऋण में किसी किस्म की ढील न हो लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि यह सहायता सच्चे रूप में कमजोर वर्गों को मिले । वित्तीय ढांचे में विशेष भूमिका को निर्धारित करने की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों के कार्याकरण का पूर्ण मूल्यांकन करने की जरूरत है ।

फसल बीमा प्रणाली को चालू करने के बारे में भी उल्लेख हुआ है । इस मामले पर सामान्य बीमा निगम कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है।

इस बजट में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था का सच्चे रूप में मार्ग दर्शन करने का प्रयास किया गया है। बजट सरकार की एक प्रगतिशील, न्यायप्रिय और मानवतावादी समाज के निर्माण की इच्छा का प्रतीक है और उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का निरसन करने वाली उद्घोषणा

**संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

*(12) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन निम्नलिखित उद्घोषणाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 23 जून, 1977 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 23 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 396 (ड़) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 23 जून, 1977 की उद्घोषणा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 23 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 397 (ड़) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 487ए/77]

---

## मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

## PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना लागू करने सम्बन्धी यह एक सरल विधेयक है। तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि 5 रु० प्रति माह जमा कराने से 5000 रु० का बीमा होगा। यह राशि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मिलेगी और यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे वास्तविक राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी। आयोग की सिफारिश के अनुसार योजना वर्तमान कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक और नये आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होनी थी।

वर्ष 1973 में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी वर्ग के साथ इस योजना के बारे में विचार विमर्श किया गया था। वे इस योजना के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क यह है कि इस योजना से सेवाकाल के दौरान मरने का जोखिम ही पूरा होता है और सेवानिवृत्त होने पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। एक संशोधित योजना बनाई गयी जिसे कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया। अब उसे शुरू किया जा रहा है।

यह योजना नये तथा पुराने सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी। अंशदान तथा लाभ-पात्रता के उद्देश्य से कर्मचारियों को आयु अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया है। हर एक वर्ग के लिए योजना का अलग चरण रखा गया है।

सरकारी कारखानों तथा रेलवे में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आते हैं। बीमा योजना के लिये सरकारी कर्मचारियों के वेतन से अंशदान तभी काटा जा सकता है जब धारा 7 की उपधारा (2) में उचित संशोधन किया जाये। इस नये विधेयक को लाने का उद्देश्य उपधारा (2) में खंड (ठ) जोड़ना है ताकि आवश्यक कटौती की जा सके। सरकार ने निश्यच किया है कि योजना 1 जुलाई, 1977 से लागू की जाये। इसके लिये विधेयक में तत्काल संशोधन करने की जरूरत है और विधेयक में यही प्रस्ताव किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि मजूरी संदाय अधिनियम, 1936 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री वयालार रवि** (चिरंचिकिल) हम इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक अच्छा विधेयक है।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अब चूंकि संशोधित योजना को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है इसलिये उस पर विशेष चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं उनका ध्यान मजूरी संदाय अधिनियम, 1936

की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि मजूरी में आवास भत्ते को शामिल नहीं किया जायेगा । पर प्राय: नियोजक आवास किराया भत्ते को भी मजूरी में शामिल करते हैं ।

मुझे आशा है कि मंत्री जी एक अधिक व्यापक विधेयक लायेंगे जो कर्मचारियों के पक्ष में थे । बोनस अधिनियम में संशोधन के लिये भी विधेयक लाया जाना चाहिए ।

एक और मामले पर भी गम्भीरता से विचार की जरूरत है । जब कभी श्रमिक कोई मांग करते हैं या अधिक मजूरी चाहते हैं तो मालिक प्राय: तालाबन्दी का सहारा ले लेते हैं जिससे श्रमिक के काम करने के अधिकार और उसकी मजूरी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है देश में तालाबंदी रोकने और ऐसे मालिकों के विरुद्ध मुकदमा लगाने के लिये कोई कानून नहीं बना है । मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और न केवल श्रमिकों को अधिक वेतन दिलाने वाला विधेयक ही लाया जाये बल्कि उद्योगपतियों द्वारा की जाने वाली तालाबंदी पर भी रोक लगायी जाये ।

SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR (Bombay-North-Central) : I Welcome *this* measure. This was the demand of employees since long. But I feel that a more comprehensive bill should have been brought forward. There is need for many more amendments. If these are not made the worker shall continue to suffer as they had been doing for the last 30 years.

During the last two years compulsory deductions have been made from the wages of the workers of Vishrampur Collieries under various pretexts. This malpractice should be stopped.

Shri Mohit Ram, Secretary of Vishrampur Worker's Union who was dismissed from service for opposing these deductions has not yet been reinstated. He should be reinstated immediately and an amendment should be made in the payment of workers Act to stope such deductions.

Now the position is that if an employer did not pay the wages of the workers and was prosecuted under the payment of Wages Act, he has only to pay a fine of Rs. 200/-. That is why instead of paying wages the employer preferred to pay the fine. The Act should be suitably amended so that strict action is taken against the defaulting employers.

***श्री के० राममूर्ति** (धर्मपुरी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि श्रमिकों को उसकी देय राशि से हाथ न धोना पड़े, इस अधिनियम में समयानुसार कई बार संशोधन किया गया है । फिर भी इस अधिनियम के घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सभी संशोधन निर्मूल सिद्ध रहे हैं । प्रबन्धक गम्भीर अपराध के लिये 200 रु० का दंड भुगत कर मुक्त हो जाता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कठोर नियम बनाये जाने चाहियें और उन्हें कठोरता से लागू किया जाये । देश के श्रम कानूनों में बहुत सी त्रुटियां हैं, यही कारण है कि इनके कार्यान्वयन में सरकार असहाय दिखाई देती है ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in *Tamil.*

प्रबन्धकों में बकाया राशि प्राप्त करने के मामलों में असाधारण विलम्ब किया जाता है । राजनीतिक पक्षपात के कारण श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी नीति एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ बनाने की है । इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य कटौती का प्राधिकृत प्रावधान है । मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।

दोषी प्रबन्धकों को दंड देने के मामले में, विशेषकर तब जबकि प्रबन्धक श्रमिकों को मजूरी देने से इन्कार कर देते हैं, सरकार को 200 रु० मात्र का जुर्माना लगा कर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये । श्रमिक 8 घंटे तक कठोर काम करके ही मजूरी लेता है । यदि उसे मजूरी देने से इन्कार कर दिया जाता है तो यह प्रबन्धकों का उसके साथ छल और धोखा है । ऐसे श्रम कानून में संशोधन की जरूरत है। श्रमिकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : Sir, I welcome this Bill. Actually it should have been brought much earlier. It is provided in this Bill that this scheme will be applicable only to the Central Government employees. I think that employees of the State Governments should also be brought under it.

Today there are many incidents of lock-outs and workers are going on strikes. There had been lock out in the D.C.M. Factory at Kotah in Rajasthan for the last three days. But no step has been taken to end it. The Government should take over the management of the factory. Similarly one textile mill of Ujjain was lying closed since 15th April this year and about three thousand workers have been rendered unemployed. The C.P.I. is making political capital out of it. Their main aim is to decrease production. But I tell you they will not succeed. The Labour Minister should take some steps to resolve the dispute.

It has been repeatedly said that Government employees should be given bonus. I will demand that employees in all public sector industries under the control of Central Government or State Governments should be given bonus. The Minister should seriously consider it.

The withdrawal of C.D.S. is welcome, but the employees must get their money back. They may be given their amounts piecemeal but a beginning should be made immediately.

The Janta Party Government should immediately declare their labour policy and bonus should also be declared alongwith it.

Action should be taken against the owners of textile mill in Indore which has been closed down rendering three thousand employees unemployed.

**श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) :** इस समयानुकूल विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । यह बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिये लाभदायक रहेगी । यह योजना सभी कर्मचारियों पर क्यों नहीं लागू कर दी जाती । इस अधिनियम में अभी भी काफी त्रुटियां रह गई हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी एक व्यापक विधेयक लायें ।

एक बड़ी कठिनाई यह है कि इस विधेयक का उचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता। यह अधिनियम 1936 में बना था और प्रति वर्ष इसमें संशोधन भी किये जाते हैं फिर भी इसमें कमियां हैं । उन उद्योगों के लिये जो संगठित नहीं हैं अधिनियम का यह उपबन्ध पर्याप्त नहीं है । जब तक उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती और विधान में इसे

लागू करने के लिये प्रर्याप्त उपबन्ध नहीं किया जाता, किसी भी विधान से कर्मचारियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

मंत्री महोदय बोनस संशोधन विधेयक के बारे में अधिक उत्सुक नहीं लगते । दो या तीन राज्यों में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । अगले मास केरल और तमिलनाडु में बोनस देय हो जाता है । इससे सरकार के लिये भी समस्याएं उठ खड़ी होंगी । केरल ने पहले ही अपनी समस्या से अवगत करा दिया है ।

मिलों को बन्द करने या तालाबंदी के कारण बहुत हानि होती है । क्या ऐसा न होने देने के लिए हमारा कानून पर्याप्त है। सदाशय से विधेयक पास करना ही पर्याप्त नहीं । उन्हें सुचारु ढंग से लागू भी किया जाना चाहिये । उसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये । अन्यथा मजदूरों का कोई भला न हो सकेगा। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार बोनस संशोधन विधेयक शीघ्र लाया जाना चाहिये ।

SHRI SANGATA ROY (Barrackpore) : Sir, I congratulate the hon'ble Minister for bringing forward this Amendment Bill. This Act was enacted in 1936 and it has been amended so many times. In fact it has become very old. The Labour Minister should review all these laws and bring new comprehensive legislation.

The present Bill relates only to the Central Government employees. The employees of State Governments and private industries should also be brought under its ambit.

In Barrackpore 6 jute mills have been closed and three thousand workers are not getting their wages. Payment of wages Act is not in operation there.

Incidents of lock-outs, lay offs, closures and retrenchment have increased after the installation of Janta Government. There is industrial unrest in the country. The Government should take steps to ensure that industrial peace is restored. They should bring forward legislation which will enjoin on the mill owners to seek Government's permission before declaring a lock out.

There is no law for protecting the interests of agricultural workers. The previous Government has taken measures for payment of minimum wages to agricultural workers. But these measures are not being implemented in all States. Interests of agricultural workers have to be safeguarded.

The Government should hold consultations with Members to find out ways and means to bring about industrial peace in the country. So a new and comprehensive bill may be brought forward as soon as possible.

SHRI YUVRAJ (Katihar) : I welcome this Bill but I would like to draw the attention of the Minister of Labour towards the condition of workers.

The R.B.H.M. Jute Mills (Pvt.) Ltd., Katihar is lying closed for about one and a half years. Due to poor financial position and maladministration of this mill about 3500 workers have been thrown out of job and are facing starvation. The condition of workers has become very pitiable in Katihar which is called the gate-way of this northern part of India. Law and order problem has also arisen there. Efforts made by the State Government to reopen the Mill did not succeed so far.

The above mill is one of the biggest jute mills in Bihar and is situated in a backward region. It has not only provided employment to the poor people of that area but it is biggest purchaser of jute from hundreds of producers who grow jute as their main cash crop. This mill has been closed because of mismanagement and misappropriation of

funds by the owners. State Government has filed suits against the management for recovery of dues amounting to Rs. 70,17,881. Besides, the mill has to pay arrears amounting to lakhs of rupees for gratuity, provident fund etc. of the workers.

I will, therefore, urge upon the Government to take over this mill under Section 18-A of the Industrial Development and Regulation Act. This will provide employment to the needy and poor workers and revitalise the ruined economy of this region.

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : Government have paid more attention to a factory worker than to an industrial worker. The reason is that factory workers are united and they have a collective voice while the farm workers are unorganised and have no voice at all. In spite of the fact that Government have assured minimum wages for agricultural workers they are never paid this amount. Besides, they have got no facilities and amenities. Most of the agricultural workers are harijans and belong to the poorer section of our society. The fact is that the farmers who employ them are not in a position to pay adequate wages to workers. I would suggest that Government should come to the rescue of workers and see that they receive at least the minimum wage fixed for them.

As regards factory workers we must see that the disparity in wages of the highest-paid and the lowest-paid staff in a factory is brought to minimum.

Several members have pleaded that the cut in bonus should be restored. Why should we limit ourselves to bonus alone ? We must see that a worker should be given participation in management. This requires a basic change in our outlook. Unless we change our outlook and give a new direction to labour problems no basic and dynamic change can be brought into labour relations.

Therefore steps should be taken to restore confidence in our workers and to make them feel that they have a share in management. Only them there can be a real change in the condition of labour in our country.

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : I congratulate the Minister for bringing forward this Bill. The Government should also contribute towards insurance money to be deducted from the salary of the employees. The present labour laws are very complicated. Mill owners are rich people and can afford to engage good lawyers. They win cases against workers because their lawyers find out loopholes in laws. These laws should be simplified and new labour laws should be enacted, so that workers can themselves fight for their rights. There should be uniform labour laws for all categories of workers in our country, whether they are in public sector or private sector or agricultural workers.

L.I.C. employees and employees of State Bank and other public sector undertakings should be given bonus. Cut in the bonous in the private sector should also be restored. restored.

**संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :** माननीय सदस्य श्री राजन तथा कुछ अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है कि यह विधेयक दूसरे वर्गों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है । जहां तक इस विधेयक को असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों पर लागू करने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिये है । अतः अधिक संगत प्रश्न यह होता कि इस विधेयक को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिये । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, सरकार का आशय यह है कि वह राज्य सरकारों का ऐसा कानून बनाने की परामर्श दे ताकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी बीमा योजना से लाभ मिल सके ।

**श्री वसन्त साठे :** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बनाई गई यह योजना बहुत अच्छी है। मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों पर ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की जा सकती ? इसमें कोई तकनीकी कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** सरकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार के लाभ अधिकाधिक कर्मचारियों को तथा अधिकाधिक क्षेत्रों में मिलें। सरकार की यह नीति होगी कि सामाजिक सुरक्षा उपाय विशेषकर बीमा के लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों को मिले।

प्रश्न किया गया है कि सरकार ने उद्योगों की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। इस प्रश्न का पूरा उत्तर मैं बाद में श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान दूंगा। अब तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में औद्योगिक स्थिति के बारे में कार्मिक संघों के नेताओं, नियोजकों और राज्य सरकारों से परामर्श करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलनों में कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। उनमें नियोजकों तथा राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि शामिल थे।

कुछ सदस्यों ने मजदूरों की दशा के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। यह समस्या सरकार के ध्यान में है। इन बातों पर बाद में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी।

**डा० हेनरी आस्टिन :** क्या मंत्री महोदय, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत निगमों पर भी इस विधेयक को लागू करने का विचार करेंगे। उदाहरणतया भारतीय तेल निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारीयों लगभग केन्द्रीय सरकार के ही कर्मचारी हैं। उनकी स्थिति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसी है। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे उनके मन में सरकारी सुरक्षा की भावना पैदा होगी कि वे भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहूंगा कि हम राज्य सरकारों को परामर्श दे रहे हैं कि वे भी इसी प्रकार के विधेयक तथा योजनायें अपने यहां लागू करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

> "कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।**

*Clause 2 was added to the Bill.*

**खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।**

*Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाय ।"

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा कल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

**तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 जून, 1977/3 आषाढ़ 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June* 24, 1977/ *Asadha* 3, 1899 (*Saka*).



521LSS/77—200—24-9-77—GIPF.